खण्ड-218, अंक-8
गुरूवार, 27 माघ, शक संवत् 1882
(16 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, १६ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३६१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खर्बासिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गु प्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गँदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्वेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री.
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री

झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी,श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री

परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन, खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधर्मी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विविश्वनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिव मंगलसिंह श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम , श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री

Archive

श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट——मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानुगुप्त, श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १६ फरवरी, १९६१

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

पुलिस स्टेशन, मधुबन के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)——क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के पास पुलिस स्टेशन मधुबन के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध इस प्रकार की लिखित शिकायत की गई है कि २९ जनवरी, १९६१ को थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये आये हुये ३ व्यक्तियों को बहुत ही बुरी तरह मार कर के तीसरे दिन जिला कारागार भेजा गया ? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और उसका क्या परिणाम हुआ ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)——जी हां, इस प्रकार की शिकायत एस० पी० को प्राप्त हुई किन्तु इसमें घटना की तारीख दिनांक २८-१-६१ अंकित है।

यह शिकायत दिनांक २-२-६१ की शाम को प्राप्त हुई थी। ३-२-६१ को प्रार्थी ने न्यायालय में इस्तगासा दायर कर दिया जो विचाराधीन है। इसलिये कोई जांच न की जा सकी।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० पी० को जो दरख्वास्त प्राप्त हुई है उसका मजमून क्या है ?

श्री चरणसिंह——यह दरख्वास्त मिली है कि जब वह पुलिस में गये तो पुलिस वालों ने प्रार्थी और दो आदमियों को पीटा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ तारीख को वे पकड़े गये और तीन दिन के बाद जेलखाने भेजे गये तो दो दिन लगातार वह कहां रखे गये थे ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा चूंकि इस्तगासा दायर हो गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वह तो दरख्वास्त की बात है मुकदमे के सिलसिले में ।

श्री अध्यक्ष---वह तो अदालत में पेश किया जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---२९ तारीख को जब वह थाने में रपट लिखाने गये तो ३ रोज तक कहां रहे ?

श्री अध्यक्ष---जिसने शिकायत की है वह क्या यह चीज छोड़ देगा ? सब-जुडिस जब मामला हो गया है तो यह क्यौरा सभी उसमें पूंछा जायगा और कैसा ट्रीटमेंट हुआ यह सब चीजें उसमें आयेंगी ।

श्री राजनारायण---यहां पर न आने से ही हम रोज पीटे जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---अदालत में उसको इस्तगासा दायर नहीं करना चाहिए था, अगर दायर न होता तो आप पूछ सकते थे । आप कृपया बैठें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---वे जेल किस दफा में भेजे गये, इसकी जानकारी गृह मंत्री को है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, इसकी जानकारी नहीं है । दो रिपोर्ट एक साथ हुई हैं । एक तो वह रिपोर्ट जिसके मुताल्लिक आप पूछ रहे हैं और दूसरे फरीक ने दूसरी रिपोर्ट उनके खिलाफ की, बस यही मुझको मालूम है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---इनकी रिपोर्ट किसी स्टेज पर थाने में लिखी गयी ? अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह---२८ तारीख की दोपहर को रिपोर्ट लिखी गयी और पहली तारीख को उन्होंने रजिस्ट्री प्रार्थना-पत्र एस० पी० के पास भेजा, जो दूसरी तारीख की शाम को प्राप्त हुआ और तीसरी तारीख को उन्होंने, जिन्होंने शिकायत भेजी थी, खुद वह दावा दायर कर दिया ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि जो तीन व्यक्ति जिस घटना के सम्बन्ध में रपट लिखाने गये थे जिसके फलस्वरूप उन्हें मार पड़ी, उस घटना की रपट लिखी गई और लिखाने जाने वाले व्यक्तियों के नाम क्या थे ?

श्री चरणसिंह---उन्होंने अपने मारे-पीटे जाने के जो एलीगेशन्स हैं उनको एस० पी० के पास रजिस्ट्री के द्वारा भेजा है और वहां---उनके यहां सिर्च की चोरी हो गई थी इसकी रिपोर्ट लिखाने गये थे, ऐसा उनका कहना है---जब रिपोर्ट लिखाने गये तो सब-इन्सपेक्टर ने उनको पीटा, इसकी शिकायत रजिस्ट्री द्वारा एस० पी० के पास भेजी है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मार पीट की रपट तो अधीक्षक के पास चली गई, लेकिन जिस चोरी की बाबत वह रपट लिखाने गये थे क्या उसकी कोई तहकीकात हुई ?

श्री चरणसिंह---मुझे नहीं मालूम कि अभी उन्होंने तहकीकात की या नहीं, लेकिन वह रिपोर्ट २८ जुलाई को दोपहर में दर्ज हो गई ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---उन तीन व्यक्तियों को पुलिस ने क्यों मारा इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है ?

श्री चरण सिंह---वह तीन आदमी कहते हैं कि हमको चोट आई। दो को कोई चोट थी ही नहीं और एक ने भागने का प्रयत्न किया, उसको पुलिस ने पकड़ा, उसमें कुछ मामूली सी चोट उसको आई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि पहले दिन की गिरफ्तारी के बाद दूसरे दिन वह आजमगढ़ की कोतवाली में बन्द किये गये और कोतवाली में दूसरे व्यक्ति को मारने की भी रिपोर्ट है ?

श्री चरणसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २८ तारीख को दोपहर को जो रिपोर्ट लिखी गई वह किस दफा में लिखी गई और वह पुलिस काग्निजेबिल आफेन्स है या साधारण ?

श्री चरणसिंह---वह चोरी की रिपोर्ट लिखाने आये थे कि फलां आदमी ने मिर्च की चोरी की और दूसरे आदमी रिपोर्ट उनके खिलाफ लिखाने आये थे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के वाच ऐण्ड वार्ड विभाग के कर्मचारियों की मांगें

*१---**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत ७ जनवरी से स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर के वाच एन्ड वार्ड विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी प्रत्येक चार घंटों में बदले जाने के कारण हड़ताल कर रहे हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)---जी नहीं।

*२---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त वाच ऐन्ड वार्ड विभाग के कर्मचारियों की मांगों का आवेदन-पत्र उसे प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वसी नकवी---जी हां।

वाच ऐंड वार्ड विभाग के कर्मचारियों ने सरकार से केवल यह मांग की है कि जब तक मिल एरिया में मिल की तरफ से फैमिली क्वार्टरों की और जगाने वालों की व्यवस्था न हो जाय तब तक सेवा योजकों को इस प्रकार चार-चार घंटे काम लेने पर रोक लगाई जाय।

सरकार ने दोनों पक्षों में आपसी समझौता कराने का प्रयत्न किया परन्तु उसमें सफलता न मिलने पर श्रमिकों से विवाद को संराधन समिति में वैधानिक ढंग से उठाने को कहा गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस प्रकार से जो चार-चार घंटे की ड्यूटी बदलने का तरीका इस मिल में रखा गया, कानपुर की किसी अन्य मिल में भी ऐसा कोई तरीका है ?

श्री वसी नकवी--एक मिल ऐसी भी है जिसमें श्रमिकों के रहने के लिये क्वार्टर्स बना दिये गये हैं उसमें चार-चार घंटे का तरीका है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कानपुर की केवल एक मिल में ऐसी स्थिति है और वहां रहने के क्वार्टर मौजूद हैं तो इस स्वदेशी मिल के कर्मचारियों के लिये, जिनके रहने की सुविधा भी नहीं है और बराबर परेशान किये जा रहे हैं, सरकार ने मिल मालिकों से कौन से कदम उठाने के लिये कहा है ?

श्री वसी नकवी--उनसे कहा गया है कि टेम्पोरेरी शेड्स बनवा दें। राजी भी हैं और वे बन रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार ने जो स्वतः प्रयास किया था उसमें उसने अपनी ओर से भी कोई प्रस्ताव रखा था ? यदि हां, तो वह क्या था और किसने उसे नहीं माना ?

श्री वसी नकवी--जब एम्प्लायर्स और एम्प्लाईज में झगड़े होते हैं तो सरकार उनके निपटारा कराने की कोशिश करती है। हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने कोशिश की कि समझौता हो जाय, लेकिन वे ४ घंटे वाले पर तो राजी नहीं हुये और टेम्पोरेरी शेड्स बनवाने के लिये तैयार हो गये। सिवाय इसके कि उनसे कंसीलियेशन बोर्ड के सामने मामला रखने को कहा जाता और कोई रास्ता नहीं था।

श्री मोतीलाल अवस्थी--टेम्पोरेरी शेड्स कितने लोगों के लिये बन पावेंगे, किस तरह के होंगे और कितनी दूरी पर बन पावेंगे ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--मिल-मालिक २१ तारीख को यहां बातचीत करने के लिये आ रहे हैं दूसरे विषय में, उस वक्त मैं उनसे बातचीत करके इसका निपटारा करवा दूंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--बातचीत के समय क्या मजदूरों के किसी प्रतिनिधि को या प्रश्नकर्ता को ही उपस्थित रहने की आज्ञा देने की कृपा मंत्राणी जी करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--मैं इस मामले से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वाच ऐन्ड वार्ड के लोग रिप्रेजेंटेशन दे गये हैं और मैं कानपुर गई थी। मैं सब बातों को अच्छी तरह से जानती हूं और मैं उनसे बात कर लूंगी।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि मजदूरों के प्रतिनिधि बुलाने में उसे क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष--अगर आपकी समझ में उनका उत्तर नहीं आया तो मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता हूं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के अन्तर्गत विभिन्न अनुदान

*३--**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) तथा **श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला-देवरिया)--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन कृषि, शिक्षा, उद्योग, पशु- पालन, बागवानी, समाज कल्याण, हरिजनोत्थान, गन्ना विकास, जूट विकास कपास विकास तथा मकान बनाने की मद में कितना धन व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक कितना कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

सूचना उप मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---माननीय सदस्यों की मेज पर आवश्यक तालिका प्रस्तुत है जिसमें कृषि के अन्तर्गत दिए गये आकड़ों में बागवानी, गन्ना, जूट तथा कपास विकास के निर्धारित एवं व्यय होने वाले धन भी सम्मिलित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७०२ पर)

*४---**श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार का इरादा दूसरी योजना की शेष अवधि में शेष रकम व्यय कर देने का है ?

श्री रऊफ जाफरी---नियोजन आयोग द्वारा प्रति वर्ष हर मद के लिये रकम (Ceiling) निर्धारित की जाती है और राज्य सरकार उसी के अनुसार व्यय करती है। अतएव शेष रकम व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता।

*५---**श्री गेंदासिंह तथा श्री ब्रजनारायण तिवारी**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधीन प्रदेश में कितनी रकम व्यय करने का लक्ष्य था और कितनी रकम व्यय की गई थी ?

श्री रऊफ जाफरी---प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिये नियोजन आयोग द्वारा कोई रकम (Ceiling) शुरू में निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु योजना काल में लगभग १५१ करोड़ रुपये व्यय हुये थे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---प्रश्न ३ के उत्तर की तालिका पढ़ कर सुना दें तो अच्छा होगा।

श्री रऊफ जाफरी---कृषि उत्पादन में प्रस्तावित धनराशि ४६,२२,००,००० थी वास्तविक ३०,३५,००,००० और अनुमानित सन् १९५६ से १९६० तक की २०,३५,००,००० है। सन् १९६०-६१ की अनुमानित रकम ११,४६,००,००० है। कुल अनुमानित व्यय १९५६ से १९६१ तक है ४१,८१,००,०००। इसी में बागबानी, गन्ना, जूट और कपास भी शामिल हैं।

शिक्षा में प्रस्तावित धनराशि २०,५६,००,००० थी। १९५६ से १९६० तक वास्तविक १३,९६,००,००० है, अनुमानित १९६०-६१ में ४,५४,००,००० और कुल १८,५०,००,००० है।

उद्योग में प्रस्तावित १३,१२,००,००० है, वास्तविक १९५६ से १९६० तक ९,२७,००,००० है, अनुमानित १९६०-६१ की २,५९,००,००० है। कुल ११,८६,००,००० है।

पशुपालन में ३,२०,००० प्रस्तावित थी। १,६६,००,००० वास्तविक सन् १९५६ से १९६० तक हुई और १९६०-६१ में ५३ लाख है। कुल २,१९,००,००० है।

समाज कल्याण में ५०,००,००० प्रस्तावित थी। १९५६-६० तक २२ लाख खर्च हुई। १९६०-६१ में ९,००,००० का अनुमान है। कुल ३१ लाख खर्च हुआ।

हरिजन सहायक में ६ करोड़ प्रस्तावित थी। ४,२३,००,००० सन् १९५६ से १९६० तक खर्च हुई। १,१९,००,००० का अनुमान है १९६०-६१ के लिये, कुल ५ करोड़ ४२ लाख है।

गृह निर्माण में १०,४५,००,००० प्रस्तावित थी। ६,८५,००,०००, १९५६ से १९६० तक की है और १९६०-६१ का अनुमान है १,६२,००,००० का। कुल ८,४७,००,००० हुआ।

जोड़ हुआ १,००,०५,००,००० का प्रस्तावित था। इसमें से १९५६ से १९६० तक ६६,५४,००,००० खर्च हुआ और २२,०२,००,००० १९६०-६१ का अनुमान है। इस तरह से कुल ८८,५६,००,००० हुआ।

श्री गेंदासिंह---१२ करोड़ के लगभग रकम हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना से खर्च करन को रह जायगी, इसका क्या कारण है ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, इसके कारण मुख्यतः ये हैं। ज्यादातर रकम जो खर्च नहीं हो पाई वह इमारतों से संबंधित थी। इमारतों के बनाने के लिये कभी कोयले की कमी हुई, कभी इस्पात यानी स्टील की और कभी जमीन उचित मात्रा में नहीं मिली। कहीं जमीन समय पर नहीं मिल पायी और कहीं ट्रेन्ड परसोनेल जिसकी आवश्यकता योजना के संचालन के लिये होती है वह समय पर नहीं मिल पाया।

श्री गेंदासिंह--५ वर्षों में १०० करोड़ में से ४ वर्षों में केवल ६६ करोड़ खर्च किया गया, यानी दो-तिहाई ही, तो क्या प्लानिंग कमीशन ने यह शिकायत करते हुये कि राज्य सरकार पूरा रुपया खर्च नहीं कर पायी, इसलिये अधिक धन देने में आनाकानी की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो प्लान बनता है उसका सारा रुपया एक मर्तबा में या एक साल ही में भारत सरकार हमारी सरकार को नहीं दे देती है। वह स्वतः प्रत्येक वर्ष कितनी रकम किस योजना के तत्वावधान में दे सकती है, इसका निर्णय लेती है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में जिन चीजों को निर्मित करने के लिये हम तैयारी कर रहे हैं, पहले वर्ष में वे कम तैयार होंगी, दूसरे वर्ष में अधिक होंगी और तीसरे वर्ष में उससे भी अधिक होंगी और आखिरी वर्ष में उन पर सब से ज्यादा धन व्यय होगा। इसी प्रकार से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्य किया गया और जो कारण मैंने बताये, जिनकी वजह से पूरा धन व्यय नहीं हो सका, वही मुख्य कारण थे जिनकी वजह से प्रस्तावित धनराशि पूरी-पूरी व्यय नहीं हो सकी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सीमेंट, स्टील आदि की जो कमी बतायी गयी वह कमी तो पहले भी थी जिस समय योजना बनायी गयी थी तथा उत्तर प्रदेश ने इनके लिये जितना कोटा कायम किया था उतना केंद्रीय सरकार दे नहीं रही थी, इस बात को जानते हुये भी इतनी बड़ी रकम इस मद में क्यों रखी गयी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस समय योजना बनायी गयी थी उस समय यह आशा थी कि जो आवश्यक पदार्थ हैं वे समय पर मिल जायेंगे और हम अपनी योजना को समय के अन्दर कार्यान्वित कर लेंगे और जितनी धनराशि प्रस्तावित की गयी है उसको खर्च कर लेंगे। किन्तु बहुत-सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर नियंत्रण प्रदेशीय सरकार का नहीं है। इसलिये जिन चीजों को हम निर्मित करना चाहते हैं उनको निर्मित नहीं कर पाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी सन् १९६०-६१ की उस सीलिंग को बताने की कृपा करेंगे जो योजना आयोग ने विभिन्न मदों के लिये नियत की है?

श्री अध्यक्ष--धन का व्यय तो हो रहा है।

श्री राजनारायण--उन्होंने बतलाया कि सीलिंग से ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--उन्होंने बताया कि वे २० करोड़ खर्च कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं तो उसकी सीलिंग जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने अभी उसके आंकड़े अध्ययन नहीं किये हैं इसलिये अधिकृत रूप से उसके आंकड़े नहीं बता सकता हूं। यदि नोटिस मिलेगा तो सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकूंगा।

श्री राजनारायण--क्या सरकार यह बतायेगी कि कृषि के लिये ४६ करोड़ रुपया नियत किया गया था, जिसमें से केवल ३० करोड़ रुपया खर्च हुआ है और १६ करोड़ कृषि की मद में बाकी है। अब १९६०-६१ में सरकार का इरादा ११ करोड़ रुपया खर्च करने का है और पता नहीं वह भी खर्च हो पाये या नहीं तो क्या सरकार इस बचत में से अलाभकर जोत वाले किसानों का लगान माफ करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो आंकड़े आपने रखे हैं वे सही नहीं हैं। १६ करोड़ रुपये की बचत का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--वे यह कह रहे हैं कि चार साल में ३० करोड़ ३५ लाख रुपया खर्चा हुआ है और ४६ करोड़ रुपया ५ साल में खर्च होना था इस साल सरकार साढ़े ११ करोड़ रुपया खर्च करना चाहती है। अब जो बाकी साढ़े चार करोड़ रुपया रह जाता है उसमें वे चाहते हैं कि अलाभकर जोत वालों का लगान माफ कर दिया जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बचत का प्रश्न ही नहीं उठता। प्लान ५ साल का बनाया जाता है। जिसके लिये फिर यह निर्णय प्रत्येक वर्ष होता है कि अमुक वर्ष में अमुक विभाग में इतना रुपया खर्च होगा, इसलिये बचत का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च नहीं किया गया है, वह आपको नहीं मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) अगर १६ करोड़ रुपया मिल जाता तब तो बचत का प्रश्न पैदा हो सकता था, लेकिन वे कहते हैं कि ११ करोड़ रुपया जो हम खर्च कर सकते हैं, वही हमें मिलेगा।

श्री राजनारायण--मेरा निवेदन यह है कि वह कृषि उत्थान पर खर्च कर रहे हैं तो उस बची रकम से किसानों का लगान माफ हो जाय, इससे उन का उत्थान हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--वह तो प्लान में नहीं है।

श्री गेंदासिंह--हरिजन उत्थान और पशुपालन विभाग में भी काफी रकम खर्च करने को बाकी है, क्या इन विभागों में भी बिल्डिंग मेटीरियल की कमी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, उन में भी हरिजनों की बस्ती और कुयें आदि बनाने का प्रश्न था और उन को भी वह सामग्री देने का प्रश्न था जो हम उन्हें समय के भीतर न दे सके।

श्री चन्द्रजीत यादव--इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेशीय सरकार अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पाई, क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ऐसी सावधानी बरतेगी कि उस में भी फिर ऐसा न हो कि आवश्यक सामग्री की कमी के कारण वह रुपया व्यय न हो सके और लैप्स हो जाय और इस तरह से प्रदेश को घाटा हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्रादेशिक सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में ऐसे आदेश जारी किये हैं और अपने अधिकारियों से कहा है कि किसी योजना के तत्वावधान में जितनी धनराशि रखी जाती है उस सारी रकम को उन सुभीतों के लिये जिन के लिये वह रखी गई है खर्च किया जाना चाहिये और हमारे आदेश हैं कि प्रत्येक अधिकारी के कैरेक्टर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

रोल की एंट्री में यह दर्ज किया जाय कि उसने विभाग में कितना काम किया, इस बुनियाद पर एन्ट्री की जाय। जहांतक उन पदार्थों का संबंध है जो हमें केंद्रीय सरकार से मिलते हैं और जो नियंत्रित हैं और अक्सर जो समय पर नहीं मिल पाते वह हमारे सामने एक ऐसी अड़चन है जिस के रहते हुये हम अपना काम स्वतः आगे नहीं बढ़ा पाते और पूरी धनराशि व्यय करने में दिक्कत होती है और यदि आगे भी ऐसा रहा तो छोटी-मोटी योजनाओं की निर्धारित धनराशि हमें व्यय करने में दिक्कतें होंगी और कदाचित् इस विषय में अभी भी जब नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की बैठक हुई थी तो हमने और देश की सभी प्रादेशिक सरकारों ने यह विनती की थी कि यदि योजना को पूरे तौर पर कार्यान्वित करना है तो केन्द्रीय सरकार के वे विभाग जिनका संबंध उन वस्तुओं और पदार्थों से है जो इमारतों के बनाने में काम आती हैं या जो विभाग सामान को इधर-उधर ले जाने का काम करता है, वे विभाग जरूरी सामान को समय से देने में समर्थ हो सकें उदाहरणार्थ आज वैगन्स की कमी है और उसके कारण कोयला भिन्न क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहा है और कोयला ऐसी वस्तु है कि उसकी उपलब्धि पर ही नलकूप बन सकते हैं क्योंकि उन को बनाने के लिये पहले ईंट पाथनी पड़ती है जो कोयले से पकाई जाती है। जहां तक प्रादेशिक सरकार का संबंध है वह इसके लिये अग्रसर है कि जितनी धनराशि उस को मिली है वह समय के भीतर उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यय कर ले जिन के लिये वह धनराशि निर्धारित की गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का धन व्यय नहीं हुआ इसका एक कारण यह भी है कि विभिन्न विभागों को अपनी अलग-अलग मदों के लिये योजना आयोग से सलाह-मश्विरा करना होता है और उन डिलेल्स के परामर्श में बहुत समय लग जाता है तो क्या भविष्य के लिये प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय आयोग से इस तरह की इजाजत मांग रही है कि विभाग स्वयं मदों का डिटेल स्वीकार कर लिया करें, इतना अधिकार प्रादेशिक सरकार को रहे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक इस विषय का संबंध है, अवश्य ही प्रादेशिक सरकार केंद्रीय आयोग से समय-समय पर निवेदन किया करती है कि जो योजनायें यहां से भेजी जायं वे समय से वहां स्वीकार कर ली जायं। अक्सर ऐसा होता है, मुझे दुख है कि जो ४ कारण मैंने बताये कि जिन की वजह से योजना की पूर्ति में अधिक समय लग जाता है और व्यय नहीं हो पाता उन के अलावा एक कारण यह भी है कि कभी-कभी योजनाओं की स्वीकृति केन्द्रीय आयोग से समय पर नहीं आ पाती और वह जनवरी के महीने में आती है और फिर २ मास के भीतर साल भर की योजनायें पूरी नहीं हो पातीं। इसलिये भी एक अड़चन हमारे बीच में पूरी तरह से योजना को कार्यान्वित करने के सिलसिले में समय-समय पर उपस्थित होती हैं।

श्री गेंदा सिंह---पांचवें प्रश्न के संबंध में पूछ रहा हूं श्रीमन्, क्या यह सही है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जितने धन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा खर्च हुआ और अब की मर्तबा जो निर्धारित किया गया है उससे कम खर्च होगा, तो यह कठिनाइयां जो मुख्य मंत्री जी ने अभी बताईं क्या वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं थीं और अगर थीं तो उन्हीं तरीकों को क्यों नहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी अपनाया गया जिनको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि निर्धारित नहीं की गई थी। प्रत्येक योजना जैसी आयोग के सामने प्रस्तुत होती थी उसको मंजरी प्रदान की जाती थी। अब तो सारे देश के लिये योजना बनाने का पैटर्न सब बदल गया है और उसी पैटर्न के तहत में प्रदेशीय सरकार को भी चलना पड़ता है ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार इसका कारण स्पष्ट करेगी कि हरिजनोत्थान में जिसमें विद्यार्थियों के पढ़ाने की समस्या भी है और जो पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं उनको भी पढ़ाने की समस्या है और जिसमें न जमीन की आवश्यकता है, न कोयले की और न वैगन्स की आवश्यकता है, अब भी बहुत से ऐसे पिछड़ी जाति के विद्यार्थी हैं जिनकी लिस्ट मैंने भेज रखी है, तो उसमें ६ करोड़ रुपये की स्वीकृति है और केवल ४ करोड़ ही खर्च हुआ है और उत्तर में बताया गया कि १ करोड़ के करीब और खर्च होगा, तो जो रुपया बच रहा है इसके लिये सरकार विद्यार्थियों की फीस माफी, स्कालरशिप और सहायता देने की अगर योजना बनाये तो क्या आपत्ति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इसमें तो, जैसा मुझे बताया गया है, करीब ४२ लाख रुपया और खर्च हो गया है, तो यह प्रश्न तो उठता ही नहीं है ।

श्री राजनारायण--जो उत्तर सरकार ने दिया है और जो आंकड़े बताये हैं उसी के अनुसार हमने यह प्रश्न किया है ।

श्री अध्यक्ष--हरिजनोत्थान में ६ करोड़ में....

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अब जो रिवीजन हुआ है उस रिवीजन के बाद जो प्रस्तावित आंकड़े मुझे बताये गये हैं सप्लीमेंटरीज के लिये उससे ऐसा पता चलता है कि करीब ४२ लाख और ज्यादा हरिजनोत्थान में व्यय होगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--श्रीमन्, समाज कल्याण में ५० लाख रुपया निर्धारित है और उसमें से ३१ लाख खर्च हुआ और शिक्षा में २० करोड़ में से १८ करोड़ खर्च हुआ, तो क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो समाज कल्याण का आधे के करीब धन बच गया है वह किस काम के लिये रखा गया था और शिक्षा में क्यों इतना बच गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इन योजनाओं में मैचिंग ग्रांट्स की भी आवश्यकता होती है धन व्यय करने के लिये । अगर किसी को अनुदान दिया जाता है तो उसमें यह शर्त होती है कि उस व्यक्ति को भी २५ या २० परसेंट लगाना होगा, ऐसा पैटर्न है । वह रुपया ढूंढ़ना पड़ता है, अगर वह रुपया नहीं लग सकता है तो फिर वह योजना पूरी नहीं हो पाती है । केंद्रीय सरकार ने और प्लानिंग कमीशन ने कुछ मदों में ऐसा पैटर्न बना रखा है कि जिस व्यक्ति को अनुदान दिया जाय वह भी स्वतः अपनी जेब से कुछ व्यय करे । अगर वह नहीं कर पाता तो वह धन उसको नहीं दिया जाता और इस प्रकार से बच जाता है ।

श्री अध्यक्ष--मैं एक बात मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें १९६०-६१ के बारे में अनुमानित भी बताया है और अभी उन्होंने जवाब जो दिया हरिजनोत्थान के बारे में उसमें भी अनुमानित है, तो वह इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया ? लेटेस्ट जो इन्फार्मेशन है, मैं समझता हूं, वह सदन को देने की आवश्यकता थी । क्या और भी मदों में कुछ इस तरह से रिवाइज किया गया है ? अगर किया गया है तो उसकी सूचना सदन को देनी थी ।

श्री रऊफ जाफरी--मैंने जो फिगर्स दी हैं वह प्रस्तावित धनराशि की थीं ।

इसके बाद यह हुआ कि प्लानिंग कमीशन ने उसमें रिवीजन किया और उसके बाद यह प्रस्तावित जो धन था वह कुछ कम कर दिया गया । इस तरह से हरिजनोत्थान के लिये बजाय ६ करोड़ के ५ करोड़ रह गया था और खर्च हुआ ५ करोड़ ४२ लाख । इस तरह जो जवाब....

श्री अध्यक्ष--मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप फिर से दें जो रिवाइज्ड हो, लेटेस्ट पोजीशन, उसकी सूचना देनी चाहिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जैसा मैंने अभी कहा था कि प्रत्येक वर्ष यह अनुदान केंद्रीय सरकार से मिलते हैं वे रिवाइज किये जाते हैं और जिन विभागों में वह समझते हैं कि रुपया व्यय नहीं हो सकेगा तो उस विभाग का रुपया, अगर दूसरे विभाग में ज्यादा खर्च हो सकता है, तो उसकी व्यवस्था कर देते हैं। या किसी और चीज में जिसको हम समझते हैं बहुत जरूरी है और धनराशि कम है उसके सिलसिले में जब मांग अपनी प्रस्तुत करते हैं और वह उस सीलिंग के अन्दर आ सकती है तो उसकी भी वह इजाजत दे देते हैं। तो प्रत्येक वर्ष ये बदला करती हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं जो केंद्रीय सरकार से धनराशि के मिलने की बात है ऐसा माननीय सदस्य न समझें कि केंद्रीय सरकार कोई रुपया अनुदान के रूप में देती है। जो रकमें हमको मिलती हैं वे कर्जे के रूप में मिलती हैं, प्रदेशीय सरकार को उनके ऊपर सूद देना पड़ता है। तो जिस योजना को हम पूरा नहीं कर पाते हैं उसके लिये धन भी नहीं मांगते क्योंकि हमको नाहक सूद देना पड़ता है और जब धन व्यय ही नहीं होने वाला है तो सूद क्यों दें। यह बात समझ कर जिन चीजों को पूरा नहीं कर पाते हैं उनको स्थगित कर देते हैं और उसके लिये धनराशि फिर नहीं मांगते।

श्री अध्यक्ष--मैं यह कह रहा था कि हरिजनोत्थान के लिये प्रस्तावित धनराशि ६ करोड़ रुपये थी। अभी माननीय उप-मंत्री जी ने कहा कि उसको अब ५ करोड़ रुपये कर दिया गया, यानी सीलिंग कम कर दी गई। तो करेक्ट फीगर्स, जिनकी सीलिंग कम कर दी गई, उन सब के बारे में एक साथ उत्तर, लेटेस्ट पोजीशन आनी चाहिये। नहीं तो यह हो जायगा कि इसी के ऊपर लोग टीका करते रहेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप लेटेस्ट फीगर्स कल दे सकेंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह सूचना मैं दे दूंगा। लेकिन प्रति वर्ष की देनी पड़ेगी, क्योंकि हर एक वर्ष में बदलती रहती है।

श्री अध्यक्ष--माननीय उप-मंत्री जी ने किस तरह से कहा कि ६ करोड़ की जगह ५ करोड़ रह गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--प्लानिंग कमीशन ने उस सीलिंग को घटा दिया इसलिये ६ करोड़ की जगह ५ करोड़ रह गया।

श्री राजनारायण--सीलिंग को घटाने की क्या बात है?

श्री अध्यक्ष--जो लेटेस्ट पोजीशन है इन सब के बारे में, उसके बारे में प्रस्तावित अब क्या रह गया, कितना धन उसमें से खर्च हो गया है और १९६०-६१ में कितना खर्च होगा, यह लेटेस्ट पोजीशन २, १ दिन में दे दीजियेगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिस दिन इस विषय के क्वेश्चन होंगे दूसरे सप्ताह में, उस दिन दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--जो नेक्स्ट वीक के लिये मैं इन प्रश्नों को स्थगित करता हूं।

[१६ फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उन्नाव जिले में प्राइवेट औषधालयों को अनुदान न मिलना

*१--**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के किन-किन आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालयों को जो व्यक्तिगत रूप से चलाये जाते हैं, कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जिला उन्नाव के किसी भी ऐसे आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथिक औषधालय को जो व्यक्तिगत रूप से चलाया जाता हो आवर्तक अनुदान नहीं दिया जाता।

गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्टाफ तथा शिक्षार्थी नर्सों की मांगें

*२--**श्री मदन पांडेय**--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांधी मेमोरियल मेडिकल कालेज, लखनऊ के स्टाफ तथा शिक्षार्थी नर्सों (Student Nurses) की तरफ से उक्त कालेज के सुपरिन्टेन्डेन्ट के पास गत ६ मास में कितने पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें उनके वर्तमान वेतन-क्रम तथा काम करने की दशाओं में परिवर्तन की मांग की गई है ?

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--ऐसा कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

*३--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन प्रार्थना-पत्रों में मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्म सिंह--प्रश्न नहीं उठता।

*४--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार की सेवा में जो लखनऊ शहर में नर्सिंग स्टाफ है उसमें क्या कुछ ऐसी नर्सें हैं जिनका वेतन तीन महीने से भी अधिक समय से बाकी है ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ की एक स्टाफ नर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट अपूर्ण होने के कारण, ११ जुलाई, १९६० से १२ अगस्त, १९६० की अवधि का अवकाश वेतन बाकी है।

श्री मदन पांडेय--मुझे श्रीमन्, एक पत्र प्राप्त हुआ है जो प्रतिलिपि के रूप में आया है नर्सेज आफ दी किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के नाम से और इसको मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में भेज रहा हूं। यदि उनको वह पत्र न प्राप्त हुआ हो तो क्या इसकी जांच करा के इसके सम्बन्ध में कुछ सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप भेज दीजिये उसमें क्या बात है। वह जांच करायेंगे अवश्य।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो सर्टिफिकेट में अपूर्णता थी वह किस प्रकार की थी और वह अभी दूर हुई है या नहीं हुई है ?

श्री धर्मसिंह--क्योंकि सिविल सर्जन के काउंटर सिगनेचर नहीं हुये थे इसलिये उनसे कहा गया था कि काउंटर सिगनेचर करा दिये जायं। उसके बाद वह अभी वापिस नहीं हो पाया है। उन्हीं का यह काम है कि काउंटर सिगनेचर करा कर वापस करें तभी ठीक किया जा सकेगा।

सीतापुर एवं पीलीभीत जिलों में हुई वर्षा से बाढ़

*५--**श्री गौरीशंकर राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में तथा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में सीतापुर एवं पीलीभीत में भीषण वर्षा की सूचना सरकार को कब मिली ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)——सरकार के स्थायी आदेश हैं कि वर्षा-काल में जिलों से वर्षा के आंकड़े सरकार के पास प्रति सप्ताह तार द्वारा भेजे जायं। इन आदेशों के अनुसार सितम्बर के अन्तिम सप्ताह तथा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह की वर्षा की सूचना सीतापुर से क्रमशः दिनांक ४–१०–६० तथा १२–१०–६० को एवं पीलीभीत से क्रमशः दिनांक ३–१०–६० तथा ९–१०–६० को तार द्वारा प्राप्त हुई थी। दोनों जिलों में वर्षा की मात्रा सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में साधारण तथा अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में अत्यधिक रही।

श्री गौरीशंकर राय——क्या कारण है कि सितम्बर के अन्तिम सप्ताह की जो रिपोर्ट है वह चार दिन बाद वहां के अधिकारियों को मालूम हुई जिसकी सूचना यहां दी जा सकी, अन्तिम सप्ताह ही में क्यों नहीं दी गई?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)——जिलों से सूचना एकत्रित करने में दो एक रोज लगते हैं।

श्री गौरीशंकर राय——इस सूचना से जो वर्षा पीलीभीत व सीतापुर में हुई उससे सरकार यह अनुमान नहीं लगा सकी कि बाढ़ की मात्रा क्या होगी जो लखनऊ में आ रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन——लखनऊ के बारे में इन्क्वायरी कमेटी बैठी है, रिपोर्ट आने के बाद ही जवाब दिया जा सकता है।

श्री गौरीशंकर राय——लखनऊ की इन्क्वायरी कमेटी के बारे में मैं नहीं जानना चाहता। मैं यह जानना चाहता था कि सीतापुर तथा पीलीभीत में जब भीषण वर्षा हुई उसकी जानकारी के बाद क्या यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि बाढ़ की मात्रा क्या होगी?

श्री अध्यक्ष——इसी की जांच के लिये कमेटी बनी हुई है और कमेटी उसकी जांच कर रही है, यही मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री राजनारायण——अक्तूबर के पहले सप्ताह में सीतापुर तथा पीलीभीत में बाढ़ आने का प्रश्न किया गया है। जब सीतापुर में बाढ़ आती है तो लखनऊ प्रभावित होगा ही, तो कमेटी लखनऊ में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थिति पर और कारणों पर जांच करेगी और सीतापुर तथा पीलीभीत में जो बाढ़ आई उस पर नहीं करेगी?

श्री अध्यक्ष——इन सब बातों की जांच करेगी, फिर उसका जवाब आज वे कैसे दे सकते हैं।

श्री राजनारायण——तो प्रश्नकर्ता को आश्वासन मिल जाना चाहिये कि सरकार जो रिपोर्ट देगी उसमें पीलीभीत और सीतापुर में बाढ़ के कारणों का भी समावेश होगा?

श्री अध्यक्ष——यह तो है ही।

श्री गौरीशंकर राय——प्रत्येक दिन प्रातःकाल और संध्या की बाढ़ की मात्रा के सम्बन्ध में रिपोर्ट बगल के जिलों को दे दी जाती है ऐसा नियम है, तो क्या यह नियम यहां पर लागू नहीं है?

श्री अध्यक्ष——नियम है तो लागू होगा ही।

श्री राजनारायण--पहले उत्तर में लिखा गया है .....

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न वर्षा के बारे में पूछा गया है, सैलाब के बारे में नहीं पूछा गया है।

श्री गौरीशंकर राय--जवाब माननीय मंत्री कुछ भी दे सकते हैं लेकिन वर्षा और बाढ़, दोनों का एक दूसरे से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है।

मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद

*६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद का मोतीलाल नेहरू अस्पताल कब तक बन कर चालू हो जायेगा ?

श्री धर्म सिंह--इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू अस्पताल के अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से चालू होने की सम्भावना है।

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मोतीलाल नेहरू अस्पताल की इमारत की बाउंडरी में दो और सरकारी अस्पताल हैं ? यदि हां, तो क्या इनको भी इस इमारत में ले जाया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अगर माननीय सदस्य का तात्पर्य आई हास्पिटल से है तो वह आई हास्पिटल तो वहीं रहगा। उसे अच्छा बनाया जा रहा है और सरकार ऐसा विचार कर रही है कि जो नया अस्ताल बना है उस अस्पताल को कालेज के सुपुर्द कर दिया जाय, शिक्षा के हेतु और जो मौजूदा अस्पताल है उसे भी एक जिले के स्तर का अस्पताल बना कर रखा जाय जिससे जो लोग अस्पताल में जो शिक्षा के हेतु बना है उस में दाखिल न हो सकें तो वे जिले के अस्पताल में अपना इलाज करा सकें। अभी हमने इस पर निर्णय नहीं लिया है लेकिन इरादा यह है कि इलाहाबाद जिस तरह से बढ़ रहा है और जितनी आबादी उसकी है उसके अनुपात से इस बात की आवश्यकता है कि एक अस्पताल जो अब तक चालू था उसे तोड़ा न जाय और उसे जिले के स्तर का अस्पताल बनाकर रखा जाय।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे मुख्य मंत्री हुये थे तो प्रयाग पधारे थे और वहां उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि मेडिकल कालेज बहुत जल्द स्थापित हो जायगा ? यदि हां, तो कब तक और किस स्थान पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन पूरा होगा और कालेज भी कोशिश हमारी यह है कि जुलाई से कायम हो जाय और उसकी ओपनिंग भी जिस दिन मोतीलाल जी का जन्म हुआ था, यानी ५ या ६ मई को, उस दिन हो जाय।

कानपुर के मुख्य अस्पतालों की नर्सें

*७--**श्री रामस्वरूप वर्मा तथा श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उर्सिला अस्पताल, कानपुर, लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर व आई० डी० अस्पताल, कानपुर में तीन वर्ष या इससे अधिक दिनों से वहां काम करने वाली सिस्टर नर्सें कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री धर्मसिंह--कानपुर के उर्सिला, लाला लाजपत राय तथा आई० डी० अस्पतालों में तीन वर्ष या उससे अधिक दिनों से काम करने वाली सिस्टर नर्सों की संख्या तथा उनके नाम निम्न प्रकार हैं :--

उर्सिला अस्पताल--

१--श्रीमती एम० नजीरत

२-- ,, ए० चाइल्ड्स

३-- ,, एम० डी० दास

४--कुमारी डी० एच० सिंह

५--श्री लक्ष्मी नारायण वार्ड मास्टर।

लाला लाजपतराय अस्पताल--

१--कुमारी पी० पी० लाल

२--श्रीमती डी० मैसी

३--कुमारी एस० पी० लाल

४--कुमारी एस० पी० सालोमन

५--कुमारी आर० जैम्स

६--श्रीमती ए० ब्लाइथ

७--श्री आर० के० सिंह वार्ड मास्टर

८--श्री गुलाम हैदर वार्ड मास्टर।

आई० डी० अस्पताल--

१--श्रीमती डी० भट्टाचार्य।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सिस्टर नर्सों को एक अस्ताल में रखने के लिये अधिक से अधिक क्या अवधि उन्होंने निश्चित की है जिसके बाद उनका स्थानान्तरण किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह--कोई निश्चित अवधि नहीं है और कोई इस तरह के स्टैंडिंग रूल्स नहीं हैं कि इतने ही दिन तक उनको एक अस्पताल में रखा जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री, जिन नर्सों को तीन साल से ज्यादा रखने की सूचना दी गई है उनके बारे में ज्यादा अवधि होने के कारण बहुत-सी शिकायतें भी आयी हैं, तो या तो उनकी अवधि में कमी करेंगे या उनकी शिकायतों के आधार पर उनको हटाने की भी कोशिश करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस ओर आपने सरकार का ध्यान आमंत्रित किया है और अब सरकार डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर जो भी स्थानान्तरण करते हैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा--श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि इस तरह से हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है, तो हम यह कहना चाहते हैं कि ध्यान तो उनका हमने १५ अक्तूबर को ही आकर्षित किया था।

श्री अध्यक्ष--वे यह कहते हैं कि आपने जो सुझाव दिया उस पर संबंधित अधिकारियों का वे ध्यान आकृष्ट करेंगे। कोई खास मामलों का प्रश्न इससे पदा नहीं होता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि जो सिस्टर नर्सें तीन साल या उससे अधिक की हैं उनके तबादले के सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता दिया कि इस ओर अधिकारियों का ध्यान वे आकृष्ट करेंगे।

श्री राजनारायण---क्या सरकार इस का कारण स्पष्ट करेगी कि जो ये सिस्टर नर्सें हैं उनके सम्बन्ध में कोई नियमावली क्यों नहीं बनी जबकि सरकार की अन्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हुये हैं उनके नियम बने हुये हैं ?

श्री धर्मसिंह---सरकार इस पर विचार करेगी।

आई० डी० अस्पताल, कानपुर के टी० बी० मरीजों की शिकायत

*८---श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री के पास अक्तूबर, १९६० में कोई ऐसी शिकायत आयी है कि १ अप्रैल, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० के बीच आई० डी० अस्पताल, कानपुर में टी० बी० वार्ड के मरीजों ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मरीजों के प्रति लापरवाही व उचित सफाई न होने के विरुद्ध अनशन की घोषणा की थी और सम्बन्धित अधीक्षक अस्पताल द्वारा आश्वासन दिये जाने पर खाना खाया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, इस सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जांच की जा रही है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जांच की प्रगति इस समय क्या है ?

श्री धर्मसिंह---मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने जांच कर ली है लेकिन वर्मा जी ने शिकायत की थी इसलिये उनसे आग्रह किया गया है कि वह सबूत इत्यादि दें ताकि जांच पूरी हो सके।

श्री रामस्वरूप वर्मा---मंत्री जी ने अभी कहा कि मुझ से आग्रह किया गया है, तो मुझ से न तो आग्रह किया गया है और न मुझे इसकी कोई सूचना ही है। क्या वह बतायेंगे कि किसने आग्रह किया है और किस तरह से किया गया है ?

श्री धर्मसिंह---सरकार की तरफ से मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को ७ जनवरी को एक पत्र लिखा गया था कि वह वर्मा जी से सम्पर्क स्थापित करें। फिर २७ जनवरी को दूसरा पत्र लिखा गया कि वह किसी वजह से वहां न हों तो दुबारा सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करें ताकि छानबीन जल्द से जल्द हो सके।

श्री राजनारायण---क्या सरकार अपने दिये गये उत्तर पर पुनः विचार कर के उसको बदलेगी कि जो कहा गया है कि वर्मा जी से आग्रह किया गया है वह आग्रह नहीं किया गया है बल्कि प्रिंसिपल मेडिकल कालेज को लिखा गया है कि वह उनसे सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश करें ?

श्री धर्मसिंह---जैसा कि मैंने निवेदन किया सरकार की तरफ से दो पत्र लिखे गये हैं मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल को कि उनसे संबंध स्थापित करके जांच की कार्यवाही को कम्पलीट करें।

श्री अध्यक्ष ---प्रश्न यह है कि उत्तर में यह कहा है कि वर्मा जी से आग्रह किया गया है और उनको पता नहीं है और आपने प्रिंसिपल को लिखा है उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिये, तो क्या आप अपने उत्तर को मौडीफाई करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अध्यक्ष महोदय, मतलब यह है कि प्रिंसिपल द्वारा ही तो आग्रह किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---तो आप सरकार के पहले उत्तर को मौडीफाई करते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- जी हां।

श्री राजनारायण---क्या सरकार पूछेगी कि वर्मा जी से सम्पर्क स्थापित करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वर्मा जी कानपुर में रहते नहीं हैं।

श्री राजनारायण---वहीं रहते हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---आजकल तो यहीं रहते हैं इसलिये सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाये होंगे।

श्री उग्रसेन---बावजूद इसके कि सरकार ने प्रिंसिपल को लिखा कि वह वर्मा जी से सम्पर्क स्थापित करें और वह नहीं हुआ, तो क्या सरकार सीधे वर्मा जी से सम्पर्क स्थापित कर के जानकारी प्राप्त करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--- इन्क्वायरी तो प्रिंसिपल को करना है इसलिये वही सम्पर्क स्थापित करेंगे। अगर सरकार को करना होता तो सरकार सम्पर्क स्थापित करती।

"स्वास्थ्य मन्दिर या मृत्यु गृह" शीर्षक समाचार सम्बन्धी जांच

*९---श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--- क्या सरकार का ध्यान कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र "जागरण" के दिनांक १९ सितम्बर, १९६० के अंक में प्रकाशित "स्वास्थ्य मन्दिर या मृत्यु गृह" के हेडिंग के अन्तर्गत लिखित समाचार की ओर गया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री धर्मसिंह--- जी हां, इसके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--- क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किस तरीख से और किसके द्वारा जांच की जा रही है ?

श्री धर्मसिंह---मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल जांच कर रहे हैं और उसी समय से कर रहे हैं जब से यह समाचार प्रकाशित हुआ है।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मंत्री जी जिस सीमा तक जांच हो चुकी है उसको बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री धर्मसिंह---अभी तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। जब तक वह न आये तब तक क्या कहा जा सकता है।

गांव समाज मैनुअल में कुम्हारों के लिये मिट्टी देने की व्यवस्था का आश्वासन

*१०--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से पत्र संख्या ५११/पी---१-क-६१४-६०, दिनांक २० जून, १९६० का कोई ऐसा पत्र श्री बाबू राम प्रजापति, प्रधान मन्त्री, उत्तर प्रदेश कुम्भकार यूनियन, झींझक, जिला कानपुर को भेजा गया जिसमें यह लिखा है कि कुम्हारों के बर्तनों के काम आने वाली मिट्टी की व्यवस्था ग्राम समाज मैनुअल के आगामी संस्करण में प्रकाशित कर दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त मैनुअल का आगामी संस्करण कब तक प्रकाशित हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। गांव समाज मैनुअल के आगामी संस्करण के निकलने में अभी पर्याप्त समय लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् बिल, १९६०, जो कि इस समय विधान परिषद् के विचाराधीन है, के पास होने पर गांव समाज तथा भूमि प्रबन्धक समिति के विधान में परिवर्तन हो जायगा जिसके फलस्वरूप गांव समाज मैनुअल में अनेक हेर-फेर करने होंगे।

फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, फैजाबाद के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस जांच

*११--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास दिनांक ३०-५-६० को यह शिकायत आई है कि फाइलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम यूनिट, फैजाबाद के कार्यालय में नौ ऐसे कर्मचारियों की तनख्वाहें कई महीनों तक बराबर निकाली गयीं जो काम नहीं करते थे और उनकी तनख्वाहों को जाली दस्तखत बना कर कुछ अन्य लोग लेते रहे ? यदि हां, तो उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। ऐसी शिकायत जिस पर कि तारीख नहीं पड़ी है आई है। इसकी जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी लेकिन चूंकि विभाग के सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर की फाइलेरिया यूनिट के एकाउन्ट्स की जांच की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी इसलिये पुलिस ने अपनी जांच मुलतबी कर दी थी। अब सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर ने वहां के एकाउन्ट्स की जांच कर ली है उनकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि स्थानीय पुलिस फैजाबाद को भेज दी गई है और उनसे कहा गया है कि वह अब उपरोक्त शिकायत की पूरी-पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट दें।

*१२--श्री भीखालाल--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ३-७-६० को एक प्रार्थना-पत्र धारा १९७ जाब्ता फौजदारी के मातहत उनको दिया गया है जिसमें उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की आज्ञा मांगी गई है जिसने जाल बना कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है ? यदि हां, तो उस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह--जी हां। अब रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

*१३--श्री भीखालाल--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त फाइलेरिया कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने दिनांक २६-७-६० को न्याय मंत्री के पास और दिनांक २७-८-६० को जिलाधीश, फैजाबाद के पास प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिसमें लिखा है कि फाइलेरिया अधिकारी ने उन लोगों को घर बुलाकर और उनको धमका कर यह लिखवा लिया कि जिन नौ लोगों की तनख्वाहें निकाली गई हैं उन लोगों ने कुछ माह पिछले साल व कुछ माह इस साल उनके साथ काम किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री धर्मसिंह--जी हां, विभाग द्वारा जो जांच की गई है उस से कथित शिकायत प्रमाणित नहीं हुई ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीनियर एकाउन्ट्स आफिसर ने जांच कब की और उसकी रिपोर्ट की प्रति पुलिस कप्तान को कब दी गई ?

श्री धर्मसिंह--जांच के बाद भेज दी गई है । मेरे पास उसकी तिथियां नहीं हैं ।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फाइलेरिया विभाग के एकाउन्ट्स की जांच का कार्यक्रम क्या है, साल में एक बार होती है या कितने समय के बाद होती है और इससे पहले जांच कब हुई थी ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । जांच के लिये तो कायदे बने हुये हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर--वाकया ३०-५-१९६० का है और सवाल ५ दिसम्बर को पेश किया गया, इन सब बातों को देखते हुये क्या सरकार अब तक पता लगा सकी है कि वह नौ आदमी हैं जिनके नाम से यह फर्जी तनख्वाह निकाली गई ?

श्री धर्मसिंह--९ आदमियों का जहां तक सवाल है वह प्रार्थना-पत्र में है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रश्न का संबंध है इससे पहले भी यह प्रश्न आया था, उसकी जांच पुलिस कर रही थी और सरकार की तरफ से यह उत्तर दिया गया था कि पुलिस जांच कर रही है लेकिन बाद में पुलिस ने यह समझा कि आडिट वगैरह होना जरूरी है इसलिये पुलिस की जांच मुल्तवी कर दी गई । आडिट के बाद केस फिर पुलिस को दे दिया गया है ।

श्री भीखालाल--माननीय मंत्री जी प्रश्न १३ के संबंध में जो जांच करवा रहें हैं उस जांच को भी पुलिस के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मसिंह--जितने भी मामले इससे संबंधित हैं सभी की जांच करेंगे । जहां तक प्रश्न १३ का खासतौर से संबंध है जिसमें धमकी की बात कही गई है, उसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । विभाग ने जांच कर ली है और वह गलत साबित हुआ ।

श्री चन्द्रजीद यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट के बाद यह पता चला कि कितना रुपया इस प्रकार से फर्जी दस्तखत करके तनख्वाह के रूप में निकाल लिया गया था ?

श्री धर्मसिंह--जी नहीं । जब तक पुलिस पूरे तरीके से जांच न कर ले यह नहीं कहा जा सकता । हमारे पास ऐसे कोई फीगर्स नहीं है ।

*१४--**श्री मोतीलाल अवस्थी**--[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१५--**श्री गौरीशंकर राय**--[हटा दिया गया ।]

आजमगढ़ जिले में टेस्ट वर्क पर व्यय

*१६--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष कितना धन टेस्ट वर्क खोलने के निमित्त स्वीकृत किया गया है और उक्त जिले में कहां-कहां टेस्ट वर्क हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--आजमगढ़ जिले के लिये चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यकता पड़ने पर टेस्ट वर्क चलाने के लिये ५०,००० रुपये की धनराशि मई, १९६० में स्वीकृत की गई थी। इस समय उक्त जिले में कहीं भी टेस्ट वर्क नहीं चलाया जा रहा है ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५० हजार रुपये के स्वीकृत धन में से कितना धन व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२० हजार रुपया खर्च हुआ ।

श्री मुक्तिनाथ राय--क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शेष ३० हजार रुपये का उपभोग क्यों नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--शायद टेस्ट वर्क चलाया गया था । लेकिन जब उस पर हाजिरी कम होने लगी तो वह बन्द कर दिया गया । लिहाजा वह रुपया खर्च नहीं हुआ ।

*१७-१९--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०-२१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[१७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५३-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बुन्देलखंड क्षेत्र में जोत सीमा आरोपण तथा चकबन्दी योजना लागू करने की जानकारी

*२२--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन)--क्या सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित किया गया है कि बुन्देलखंड के जिलों में मौजूदा सरकिल रेट को ड्योढ़ा कर के प्रत्येक काश्तकार की जोत का नक्शा अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं ।

*२३--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बुन्देलखंड के जिलों में चकबन्दी योजना कब से लागू की जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस विषय में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

निघासन तहसील में वर्षा एवं बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*२४--**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी की तहसील निघासन के किन-किन ग्रामों में इस वर्ष बाढ़ एवं अधिक वर्षा से फसलों को हानि हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसन--संबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७०३-७०५ पर ।)

*२५--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि उक्त गांवों के किसानों को क्या-क्या सुविधायें दी गईं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--संलग्न सूची में दिये गये क्षतिग्रस्त ग्रामों में किसानों के सहायतार्थ ३४,५०० रुपये तकावी, १,७५० रुपये अहेतुक सहायता और ६,००० रुपये हाउस सब्सीडी बांटी गई, और २५० रुपये के व्यय से राजापुर में पीने के पानी के दो हैन्ड पम्प लगाये गये ।

*२६--**श्री जगन्नाथप्रसाद**--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इन गांवों को कितनी धनराशि की छूट मालगुजारी में दी गई है ?

नोट--तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--संलग्न सूची में दिये गये प्रथम ८२ ग्रामों में जिनमें क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक थी खरीफ १३६८ फसली की मालगुजारी में ६३,४६९ रुपये की सहायता देने का अनुमान है। सहायता के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुकूल उचित छूट दी जायेगी। शेष ग्रामों में क्षति की मात्रा इतनी कम है कि नियमानुकूल उनमें मालगुजारी में कोई सहायता नहीं दी जा सकती है।

राजकीय अस्पताल, काशीपुर का भवन

*२७--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बातयेगी कि काशीपुर, जिला नैनीताल के राजकीय अस्पताल का भवन कब तक बन जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आगामी वर्ष के अन्त तक इस अस्पताल के भवन के निर्माण होने की आशा है।

*२८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[१७ फरवरी, १९६१ के लिय प्रश्न ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

लखनऊ तथा उन्नाव जिले के कुछ गांवों में सीमा परिवर्तन

*२९--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले से लखनऊ जिले में तथा लखनऊ जिले से उन्नाव जिले में कुछ ग्रामों को मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रश्न पर कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां। भारतीय जन गणना, १९६१ के पश्चात् इस प्रश्न पर निर्णय किया जायगा।

आगरा जिले के वसूली विभाग में गबन की जांच

*३०--**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा कलेक्टरी कचहरी में उगाही विभाग में हेड क्लर्क द्वारा लगभग ३ लाख रुपये जाल-साजी करके गत जून माह, सन् १९६० में गबन कर लिया गया है और यह कार्य लगभग ३ वर्ष से किया जा रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आगरा जिले में वसूली विभाग के एक सहायक द्वारा ३ अगस्त, १९५६ से २२ मार्च, १९५८ के बीच में कुल १,९६,१९७ रुपये ४३ नये पैसे के गबन होना बताया गया है।

*३१--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मामले की जांच किस के द्वारा कराई जा रही है और क्या इस संबंध में कुछ लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उपरोक्त मामले की जांच एकाउन्टेन्ट जनरल, इलाहाबाद की Special Audit Party द्वारा हो चुकी है। सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है। जांच से जो सहायक गबन के लिये मुख्यतः उत्तरदायी पाया गया वह गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके विरुद्ध Criminal और Departmental Proceedings जारी करने के आदेश दिये जा चुके हैं। दूसरे कर्मचारियों के विरुद्ध भी, जिनका कि इस गबन से किसी तरह का भी संबंध हो सकता है, Departmental Proceedings जारी करने के आदेश हैं। अधिकारियों के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के विचराधीन है।

सोशल सर्विसेज पर व्यय

*३२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या सोशल सर्विसेज पर जो १९ करोड़ रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित था उसमें से केवल ११ करोड़ ही खर्च हो सका है । यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सोशल सर्विसेज ग्रुप के लिये वास्तव में १९ करोड़ रुपये के बजाय ५६.५७ करोड़ रुपये की सीलिंग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई थी, और उसमें से लगभग ४४.९८ करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है ।

आजमगढ़ जिला अस्पताल का एक्सरे यंत्र खराब हो जाना

*३३--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री ११-८-६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल का बड़ा एक्सरे यन्त्र कब और कितने रुपये में खरीदा गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सदर अस्पताल की बड़ी एक्सरे मशीन २८-३-५३ को आई थी और उसकी कीमत २१,३२८ रुपये थी ।

*३४--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ से १५ जुलाई, १९६० तक बड़ा एक्सरे कितनी बार खराब हुआ और उसके बनाने में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--सन् १९५५ से १५ जुलाई, सन् १९६० तक बड़ी एक्सरे मशीन एक बार खराब हुई थी और उसके बनाने में ११,०५१ रुपये ३१ नये पैसे खर्च हुये थे । उपरोक्त काल में एक बार एक्सरे रूम की बिजली का तार खराब हो जाने के कारण भी इस मशीन का उपयोग २२-२-६० से २५-३-६० तक नहीं किया जा सका ।

*३५--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से १५ जुलाई, १९६० तक कितने व्यक्तियों का एक्सरे किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१९५५ से १५ जुलाई, सन् १९६० तक २,१६३ व्यक्तियों का एक्सरे हुआ ।

*३६-३७--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[हटा दिये गये ।]

कोयले का भाव

*३८--**श्री मुक्तिनाथ राय**--दिनांक ३ अगस्त, १९६० के विधान सभा के अल्प-सूचित प्रश्न संख्या १ के उत्तर व पूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश में कोयले की प्राप्ति की क्या स्थिति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वैगनों की कमी के कारण कोयले की प्राप्ति की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं है ।

*३९--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोयले के लिये रेलवे वैगन का पूरा प्रबंध हो गया है कि नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं ।

*४०--श्री मुक्तिनाथ राय--यदि नहीं, तो इसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस सम्बन्ध में कोल कन्ट्रोलर तथा भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

फरेंदा केन सोसाइटी पर किसानों का बकाया

*४१--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिले के फरेंदा केन सोसायटी के जिम्मे काश्तकारों का गन्ने का सन् १९५७ से लगायत ३१ अक्तूबर, १९६० तक का कितना रुपया बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१ जनवरी, १९६१ को गोरखपुर जिले की फरेंदा केन सोसायटी पर किसानों का गन्ने का निर्दिष्ट अवधि तक का ११,८५५.३५ रुपये बकाया था ।

टैक्सटाइल मिल क्लर्कस यूनियन, कानपुर की मांगें

*४२--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास टैक्सटाइल मिल क्लर्क्स यूनियन, कानपुर के सम्मेलन द्वारा सितम्बर, १९६० में पारित कोई मांगें आई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी हां । मांगों की सूची† संलग्न है । ये मांगें सरकार के विचाराधीन हैं ।

क्षेत्रीय विकास अधिकारियों के स्थायी पद

*४३--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या क्षेत्रीय विकास अधिकारियों के कुछ पद स्थायी घोषित किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अधिकारी कब तक व किस प्रकार स्थायी घोषित किये जावेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--क्षेत्रीय विकास अधिकारियों के १४७ पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं । अधिकारियों के स्थायी करने का प्रश्न अभी विचाराधीन हैं । लोक सेवा आयोग के परामर्श के उपरान्त अधिकारियों को स्थायी घोषित किया जायगा ।

*४४--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास अधिकारियों के कुछ पद २५०-२५-८५० के क्रम में स्वीकृत हो चुके हैं ? यदि हां, तो उन पर कब तक किस प्रकार नियुक्तियां होंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

*४५--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार क्षेत्रीय विकास अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों को पी० सी० एस० में चुनने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह चुनाव कब तक व किस प्रकार होगा ? क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कुछ निर्देश प्राप्त हुये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इस सम्बन्ध में अभी लोक सेवा आयोग से परामर्श चल रहा है । केन्द्रीय सरकार से कोई निदश प्राप्त नहीं हुये हैं । विकास आयुक्तों की कांफ्रेंस ने जो जून, १९६० में श्रीनगर में हुई थी इसी प्रकार की सिफारिश की थी ।

---

† नत्थी छापी नहीं गई ।

मुरादाबाद तथा बुलन्दशहर जिले के दो सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हाईकोर्ट का सुझाव

*४६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या इलाहाबाद के हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री देसाई ने १६-११-६० को अतिरिक्त सेशन जज, मुरादाबाद के फैसले को स्वीकार करते हुये तथा सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पास उस फैसले की नकल भेजते हुये यह लिखा है कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां, परन्तु फैसले की तारीख ८ नवम्बर, सन् १९६० थी ।

*४७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर के सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कोई फैसला १६-११-६० को दिया है और उसकी नकल चीफ सेक्रेटरी के पास मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये भेजी है ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । परन्तु फैसले की तारीख ९ नवम्बर, सन् १९६० थी।

उत्तर प्रदेश बिहार संयुक्त गन्ना बोर्ड के निश्चय

*४८--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश बिहार संयुक्त गन्ना बोर्ड की जो बैठक ८-११-६० को मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उसने गन्ने के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--बोर्ड ने गन्ने के सम्बन्ध में जो निश्चय किये उनकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७०६ पर)

*४९--श्री ऊदल--क्या संयुक्त गन्ना बोर्ड ने सन् १९६०-६१ के सीजन के लिये तथा १९६१-६२ के सीजन के लिये गन्ने की कीमतों के सम्बन्ध में कोई सिफारिश केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां । इन प्रत्येक दोनों सीजनों के लिये बोर्ड ने गन्ने का मूल्य गेट के लिये रु० १.७५ तथा रेल संटर्स के लिये रु० १.६२ प्रति मन की दर से नियत किये जाने के लिये सिफारिश की थी । इस सिफारिश से राज्य सरकार सहमत थी और उसने यही सिफारिश केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर की है ।

विभिन्न राजकीय मिलों के श्रमिक

*५०--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या श्रम मंत्री कृपया मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में १५ नवम्बर, १९६० को कितनी मिलें, कपड़ा, लोहा, चीनी, तेल व सीमेंट की अलग-अलग थीं और उनमें से कितनी चालू हालत में थीं तथा कितने मजदूर कार्य कर रहे थे और जो मिलें बन्द थीं उनमें कितने मजदूर कार्य करते थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--१५ नवम्बर, १९६० को इस प्रदेश में कारखाना कानून, १९४८ के अन्तर्गत आने वाली ७९ मिलें कपड़े की, ५३६ लोहे, २४१ चीनी व खांडसारी की, १०६ तेल की और १ सीमेंट की थीं । इनमें से ७९ कपड़े की, ५१९ लोहे की, ६४ चीनी की ९५ तेल की और १ सीमेंट की मिलें चालू हालत में थीं जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या क्रमशः ६३८६९, २६८२५,४८२५२,६२१९ और ९७२ थी । लोहे की १७, चीनी की १७७ और तेल की ११ मिलें बन्द थीं जिनमें कार्य करने वाले श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या क्रमशः ५५२, १६४८३ और ५२२ थी ।

सिनेमा गृहों से प्राप्त मनोरंजन कर

*५१--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने स्थायी सिनेमा गृह किन-किन नगरों में, १५ नवम्बर, १९६० को थे तथा सरकार को वित्तीय १९६०-६१ में १५ नवम्बर तक उनसे कितना रुपया मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त हुआ है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना एक तालिका में एकत्रित है जिसकी प्रति मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७०७-७०८ पर)

गरभियांग तथा गुंजी में विकास कार्य बढ़ाने की सिफारिश

*५२--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--क्या मुख्य मंत्री को यह ज्ञात है कि भारत-तिब्बत सीमा के अन्तिम ग्राम गरभियांग और गुंजी में सन् १९५२ से आज तक कोई विकास निर्माण व उद्योग का कार्य नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इस बात की जांच करायेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सही नहीं है वरन् वास्तविकता यह है कि १९५५ में अतिवृष्टि के कारण सम्पूर्ण गरभियांग ग्राम तहश-नहश हो गया था तथा ऐसा मालूम होता था कि धंस जायेगा। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार इस ग्राम में रहना सुरक्षित न था। इस ग्राम के ग्रामीणों को अन्यत्र बसाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में विकास कार्यों पर धन व्यय करना उचित न समझा गया। फिर भी ग्रामीणों की नितान्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ विकास कार्य जैसे--(१) पेय जल योजना, (२) स्कूल की मरम्मत इत्यादि किये गये हैं।

गुंजी ग्राम में भी आवश्यकतानुसार विकास कार्य किये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :

एक पंचायत घर का निर्माण, एक पुल, बांध, पेय जल के लिये धारा, पुस्तकालय तथा पाइप लाइन का निर्माण ।

सीमांत जिलों में कल्चरल आफिसर्स के कार्य तथा असकोट-गरभियांग व कपकोट--तेजम मोटर मार्ग

*५३--**श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सीमान्त जिलों के विकास क्षेत्रों में कल्चरल आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री इनके कार्यों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--भारत तिब्बत सीमा विकास योजनाओं के अन्तर्गत कल्चरल विकास योजना भी १९५७-५८ से सीमान्त क्षेत्र में चलाई जा रही है जिसे कार्यान्वित किये जाने के लिये एक कल्चरल आफिस नियुक्त किया गया है जिसका कार्य मुख्यतः वहां के निवासियों की सांस्कृतिक उन्नति, लोक गीतों का एकत्रीकरण छोटे छोटे कल्चरल क्लबों की स्थापना है।

*५४--**श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जिलों की असकोट-गरभियांग, कपकोट-तेजम मोटर रोड कब तक बन जायेंगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--असकोट-गरभियांग सड़क का असकोट-धारचुला भाग वास्तव में पूर्ण हो चुका है केवल गोरी गंगा का पुल बनना बाकी है। इस पुल की भी अगली बरसात तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

इस सड़क के धारचुला-गरभियांग भाग के सम्बन्ध में सूचना देना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं होगा। कपकोट-तेजम मोटर सड़क की सितम्बर, १९६१ तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

बागपत सहकारी गन्ना मिल के व्यवस्थापकों के विरुद्ध शिकायत

*५५--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें २४-११-६० को एक ऐसा शिकायती पत्र मिला है जिसमें बागपत सहकारी गन्ना मिल के व्यवस्थापकों द्वारा बाहरी जिलों के लोगों को काम पर रखने और विभिन्न ढंग से गन्ने के दामों में अत्यधिक कटौती करने का विरोध किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां ।

*५६--आचार्य दीपंकर--यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सहकारी चीनी मिल है। प्राप्त सूचनानुसार १८-१२-६० तक नियुक्त किये गये ५६५ व्यक्तियों में से ३०३ स्थानीय तथा उपयुक्त technical hands न मिलने के कारण २६२ बाहरी जिलों के व्यक्ति हैं । इसके अतिरिक्त बागपत कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा लिये गये निर्णय तथा Bye-laws के अनुसार गन्ने के मूल्य से निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कटौती की जा रही है :--

मद की प्रकार	कटौती की दर	अभियुक्तियां
(१) Loss Equalization and Capital Redemption Fund	१३ नया पैसा प्रति मन	इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन की जिससे उपरोक्त फैक्ट्री ने ऋण लिया है यह शर्त है कि २ आने प्रति मन गन्ने के मूल्य में से काटकर एक फंड बनाया जाय जिससे यदि कोई हानि हो तो उसका भुगतान हो सके और शेष रुपया ऋण आदि अदा होने के बाद काश्तकारों के हिस्से के मद पर लगा दिया जाय ।
(२) शेयर की पूंजी (share-capital)	२५ नया पैसा प्रति मन	यह रकम हिस्सेदार काश्तकारों के हिस्से की पूंजी की मद में सम्मिलित होती है और न कि फैक्टरी के हिसाब में ।

खैराबाद के बुनकरों की कलेण्डर मशीन के लिये कथित मांग

*५७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या यह सत्य है कि खैराबाद (सीतापुर) कस्बे के बुनकरों ने सरकार से नवम्बर, सन् १९६० में ऐसी मांग की है कि कलेन्डर (पालिश) की मशीन सरकार द्वारा लगाई जाये ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--खैराबाद (सीतापुर) के बुनकर भाइयों द्वारा नवम्बर, १९६० में कलेन्डर (पालिश) की मशीन सरकार द्वारा लगाये जाने की मांग से संबंधित कोई भी सूचना उद्योग विभाग के कार्यालय में नहीं है । अतः उस पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव में औद्योगिक आस्थान कायम करने की योजना

*५८--श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसने उन्नाव में औद्योगिक आस्थान कायम करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और उस पर अब तक क्या अमल हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन्नाव में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक औद्योगिक आस्थान को कायम करने का प्रस्ताव है जिसकी लागत लगभग ७.५ लाख रुपये होगी । इसके लिये जमीन का चुनाव किया जा रहा है ।

*५९—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव में औद्योगिक आस्थान कायम करने की योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग खोले जायेंगे और उन पर अलग-अलग कितना-कितना धन व्यय किया जावेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

*६०—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अधीन कौन-कौन उद्योग पब्लिक सेक्टर में और कौन-कौन उद्योग प्राइवेट सेक्टर में खोले जावेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब उद्योग प्राइवेट सेक्टर में खोले जायेंगे ।

*६१-६२—श्री गैंदासिंह [९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

फलोपयोग विभागान्तर्गत हार्टीकल्चर शाखा के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट

*६३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि U. P. Fruit Utilization Department के Horticulture Branch के Group II कर्मचारियों की Gradation लिस्ट Seniority के आधार पर बनाई गई है या और किसी आधार पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फलोपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश के Horticulture Branch के ग्रुप दो के कर्मचारियों की ग्रेडेशन लिस्ट लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई स्वीकृति तथा ज्येष्ठता के आधार पर बनाई गई है ।

सीतापुर जिले में औद्योगिक विकास सर्वेक्षण की मांग

*६४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में औद्योगिक विकास के लिये भावी औद्योगिक क्षेत्रों के सर्वेक्षण कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री उक्त योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले का भी सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली पानी, यातायात इत्यादि सम्बन्धी सुविधाओं को दृष्टि में रखते हुए औद्योगिक विकास में उपयुक्त भूमि क्षेत्रों क विवरण प्रभागों के आयुक्तों से मांगे हैं । उनके प्रतिवेदनों के प्राप्त होने पर निर्धारित प्रावधान के भीतर अधिकतम उपयुक्त स्थान निश्चित करते समय जिला सीतापुर विषयक मांग के औचित्य पर स्वमेव पूर्ण रूप से विचार हो जायेगा ।

कुमायूं डिवीजन में 'लीसा' उद्योग विकास

*६५—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या लीसा उद्योग के बारे में ९ फरवरी, १९६० के अल्पसूचित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के क्रम में सरकार यह बताने की कृपा करगी कि उद्योग मूल्यांकन समिति, कुमाऊं डिवीजन की रिपोर्ट पर जो सरकार के विचाराधीन थी सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस रिपोर्ट पर सरकार द्वारा तृतीय आयोजना बनाने के लिये निर्मित सब ग्रुपों तथा मुख्य वर्किंग ग्रुप द्वारा विचार किया गया और जो जो सिफारिशें उचित प्रतीत हुईं उनको तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

*६६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उक्त रिपोर्ट में यह लेखते हुये कि सहकारी समितियों द्वारा चलाये गये लीसा उद्योग से जनता को अधिक लाभ पहुंचा है, वह लघु उद्योगों के रूप में लीसे का काम चलाने का कोई विचार रखती है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६७—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बरेली की रोजिन टर्पेन्टाइन फैक्टरी ने १९५७–५८ व १९५८–५९ में वन विभाग से कितना-कितना लीसा किस दर व कीमत पर लिया और इस दौरान में लीस का आम बाजार भाव क्या था?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७०९ पर)

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल सम्बन्धित मुकदमे

*६८—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में राज्य में सरकारी कर्मचारियों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों पर कुल कितने मुकदमे चल रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के सिलसिले में २ व्यक्तियों पर इस समय मुकदमे चल रहे हैं। इनमें एक सरकारी कर्मचारी तथा दूसरा गैर सरकारी व्यक्ति है।

*६९—**श्री चन्द्रजीत यादव**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उपरोक्त मुकदमों को उठाने के लिये उससे कोई प्रार्थना की गई है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। सरकार इस प्रश्न पर गौर कर रही है।

*७०—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६७ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*७१—**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

श्रम विभाग की कथित अकर्मण्यता

*७२—**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे ३० सितम्बर, १९६० का भेजा हुआ कोई ऐसा पत्र मिला है जिसमें श्रम विभाग की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में शिकायत की गई है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं।

*७३—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**—[१७ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ट्रेन्ड मेकैनिकल ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा को मान्यता देने का आश्वासन

*७४—**श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कानपुर द्वारा दिये जाने वाले ट्रेन्ड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन डिप्लोमा को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता न देने का क्या कारण है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रदेश के इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सभी डिप्लोमाज/सर्टीफिकेट्स (जिसमें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल भी सम्मिलित हैं) को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश बहुत जल्द जारी किये जाने की आशा है।

रामचन्द्र ऐन्ड सन्स, शुगर मिल्स, बाराबंकी पर किसानों का बकाया

*७५—श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में शुगर मिल मालिक को अब तक कुल कितना रुपया किसानों को गन्ने के दाम के रूप में देना बाकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—७ फरवरी, १९६१ को रामचन्द्र एंड सन्स शुगर मिल्स, बाराबंकी के मालिक पर किसानों का केवल वर्तमान सीजन (३१-१-६१ तक) का गन्ने के दाम के रूप में मय कमीशन तथा सूद के रु० ३,५४,३५१.९८ बकाया था ।

*७६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

गन्ना सुपरवाइजरों का चुनाव

*७७—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि १४ जून, १९६० को गन्ना सुपरवाइजरों का जो चुनाव हुआ था उसमें किस योग्यता के लोग बुलाये गये थे ? क्या सभी उम्मेदवार विभाग से ही बुलाये गये थे ? यदि नहीं, तो कितने फीसदी बाहर के बुलाये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१३ व १४ जून, १९६० के गन्ना सुपरवाइजरों के चुनाव में निम्नलिखित योग्यता वाले दोनों विभागीय एवं बाहर वाले लोगों को बुलाया गया था:—

विभागीय कर्मचारी

(१) ग्रेजुएट
(२) इन्टरमीडिएट
(३) हाई स्कूल जिन्होंने दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा प्राप्त किया है ।

बाहर के अभ्यर्थी

(१) ग्रेजुएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से पास किया है ।
(२) इन्टरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से पास किया है ।
(३) हाई स्कूल जिन्होंने दो वर्ष का कृषि डिप्लोमा प्राप्त किया है ।

बाहर के अभ्यर्थियों का प्रतिशत साढ़े बारह था ।

फरेंदा तथा बृजमनगंज में अल्मोनियम सल्फेट खाद का भाव तथा फरेंदा केन डेवलपमेंट यूनियन से स्कूलों को सहायता

*७८—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेन्दा तथा बृजमनगंज केन सोसायटी से तथा फरेन्दा बृजमनगंज की कोआपरेटिव सोसाइटी से अल्मोनियम सल्फेट खाद करीब दो रुपया फी बोरा अधिक पर दी जा रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*७९—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरदा केन डेवलपमेंट विभाग ने सन् १९५८-५९ में किन-किन स्कूलों को कितना-कितना रुपया किन-किन तारीखों में दिया ह ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--गोरखपुर जिले के फरेंदा केन डेवलपमेंट यूनियन ने सन् १९५८-५९ में जिन स्कूलों को जो धनराशि जिन तिथियों को दी वह इस प्रकार है:--

नाम स्कूल		धनराशि	तिथि
		रु०	
१--विद्यापीठ फरेंदा, बुजुर्ग ..	..	१,७००.००	२७-११-५८
२--सुबास जूनियर हाई स्कूल, मूसा भोर	..	१,०००.००	४-२-५९
३--सुबास जूनियर हाई स्कूल, मूसा भोर	..	४००.००	३-३-५९
४--सुबास जूनियर हाई स्कूल, मूसा भोर	..	४००.००	२३-३-५९
५--जूनियर हाईस्कूल, इन्दरपुर ..	..	१,०००.००	९-३-५९
	योग ..	४,५००.००	

*८०--श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६० में जिन-जिन स्कूलों को सन् १९५८-५९ में केन डेवलपमेंट, फरेंदा, जिला गोरखपुर की तरफ से रुपया दिया गया उसकी रसीदों आदि की जांच के लिये एक कमेटी बनायी गयी थी ? उस पर अब तक कमेटी की तरफ से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उस कमेटी की तीन बैठकें दिनांक १६-३-६०, २५-३-६० तथा १९-४-६० को बुलाई गईं, परन्तु कमेटी के मेम्बरान के न एकत्र होने के कारण कोई कार्यवाही न हो सकी ।

*८१--श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)--[९ मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

गुड़ तथा खांडसारी में गन्ने की खपत

*८२--श्री गेंदासिंह--क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम तथा द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में गन्ने की कितनी-कितनी खपत गुड़ में तथा खांडसार में हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--खेद है यह सूचना नहीं दी जा सकती क्योंकि इस तरह के आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं ।

जिला गन्ना अधिकारी की योग्यता

*८३--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गन्ना अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिये बाहरी उम्मीदवारों की कम से कम योग्यता क्या रखी गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में मास्टर डिग्री या कला, विज्ञान, वाणिज्य या कृषि में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की बेचलर डिग्री तथा भारत या विदेश में अर्थशास्त्र, कृषि या मार्केटिंग में २ वर्ष की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ।

तराई व भावर क्षेत्र में एस० डी० एम० की अदालतें कायम करने पर विचार

*८४--श्री प्रतापसिंह--क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला नैनीताल में एस० डी० एम०, भावर व तराई की अदालतें नैनीताल में ही हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, किन्तु जाड़े में ये अदालतें हल्द्वानी आ जाती हैं।

*८५---श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री इस बात को देखते हुये कि तराई व भावर का क्षेत्र नैनीताल खास से बहुत दूर पड़ता है, इस बात का आदेश देंगे कि भावर व तराई के एस० डी० एम० की अदालतें शीघ्र अपने-अपने क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दी जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*८६---श्री प्रतापसिंह---क्या मुख्य मंत्री को यह भी ज्ञात है कि इस सम्बन्ध में उपर्युक्त क्षेत्र के नागरिकों के आवेदन-पत्र भी सरकार के पास आये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां, इन आवेदन-पत्रों में दी हुई बातों पर सरकार विचार कर रही है।

चुनार दुर्ग में उद्योग स्थापना के लिये प्रार्थना

*८७---श्री ओंकारनाथ (जिला मिर्जापुर)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे चुनार के ऐतिहासिक किले में कोई कारबार खोलने का विचार कर रहे हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं, किले की स्थिति ऐसी है कि वह किसी उद्योग के लिए उपयुक्त नहीं है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री अध्यक्ष---अब मेरे सामने एक कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी का है.....

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अध्यक्ष महोदय, जरा प्रश्नों के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर एक मिनट सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब तो मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है। कल कहिए आप।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के उत्तर हमारे पास हस्ताक्षरित आने चाहिए, लेकिन हमारे पास जो आता है उसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष---हस्ताक्षर के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि सब पर मंत्रियों के हस्ताक्षर होने चाहिए, लेकिन सदस्यों के पास जो उत्तर जाता है उस पर मंत्री जी का नाम टाइप तो होता है। हस्ताक्षर किया हुआ उत्तर सिर्फ मेरे पास आना चाहिए।

श्री शिवप्रसाद नागर---अब जरा मेरी बात भी सुन ली जाय क्योंकि प्रश्नों की बात आ गई है। मेरा निवेदन यह है कि अभी एक प्रश्न आया प्रश्न नम्बर ११ और इस प्रश्न नम्बर ११ में जो नौ कर्मचारियों द्वारा फर्जी वेतन लेने की बात है उसका जबाव जो दिया है....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप उसकी शिकायत कर रहे हैं,....

श्री शिवप्रसाद नागर---मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह ताजीरात हिन्द की दफ़ाओं में जुर्म है एम्बेजिलमेंट और गबन, उस पर अगर इस प्रकार के उत्तर दिये जायेंगे तो बड़ा भारी अनर्थ होगा। आडिट रिपोर्ट की टट्टी में छिपाकर के इस गबन और एम्बेजिलमेंट को दफना दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष---मेरे कमरे में आकर आप इसको एक्सपोज कीजिए।

कानपुर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षण के लिये सूचनायें

श्री अध्यक्ष––जो कामरोको प्रस्ताव राजनारायण जी का है उसी से करीब करीब सम्बन्धित कई प्रश्न मेरे सामने दफा ५२ के भी आ चुके हैं। मैं समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता क्योंकि इस विषय में कोई स्पष्ट यह बात नहीं है कि इसकी सब जिम्मेदारी सरकार की या प्रदेशीय सरकार की ही है। इसलिए जानकारी पहले हासिल कर लेनी चाहिए।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)––श्रीमन्, रामस्वरूप वर्मा जी वहां गये थे और उनसे ए० डी० एम० ने स्वयं कहा है, वह जानकारी करके आये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)––श्रीमन्, ए० डी० एम० ने हमसे खुद कहा है कि प्रान्तीय सरकार को लिख दिया गया...

श्री अध्यक्ष––जी नहीं, किसी एक व्यक्ति के कह देने से प्रान्तीय सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो जाती। जहां रेलवे वैगन का सवाल आता है वह कैसे जिम्मेदारी ले सकती है?

अब इसमें मैं माननीय उग्रसेन जी का नियम ५२ के अन्तर्गत आया हुआ कोयले की कमी के सम्बन्ध में प्रश्न ले लेता हूं। और भी बहुत से प्रस्ताव आये हैं, लेकिन उनका पहले आया, इसलिये उनका मैं लिए लेता हूं। और उसके ऊपर वक्तव्य देने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी स कहूंगा। वह इस प्रकार है:––

"कोयले की कमी के कारण कानपुर के बीसियों मिलों की बन्दी की आशंका उत्पन्न हो गई है। जे० के० काटन मिल्स ने मिल बन्दी की नोटिस लगा दी है। इस प्रकार कानपुर के २५,००० मजदूर बेकार हो जावेंगे। गत १७ जनवरी को केवल ६० वैगन कोयला कानपुर में प्राप्त हुआ था। वह भी कम ही था। जब से आज तक लगातार केन्द्रीय सरकार तथा कोयला कंट्रोलर, कलकत्ता और राज्य सरकार को सूचित किया गया, कोयला नहीं आया। घर में जलाने के लिये ३,००० मन प्रति दिन कोयले की कानपुर में खपत है और कोयले के दूकानदारों के पास कुल १,७०० मन कोयला है, इस प्रकार कानपुर का जन-जीवन अत्यन्त संकटापन्न स्थिति में है और एक विषम परिस्थित पैदा हो गई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।"

इसमें वक्तव्य आप आज देंगे या किसी और रोज देंगे?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––अध्यक्ष महोदय, मैं मुनासिब समझता हूं कि एक ब्योरेवार वक्तव्य इस सम्बन्ध में दिया जाय और इसे मैं दो-तीन दिन में तैयार करा के दे दूंगा?

श्री अध्यक्ष––अच्छा, तो मैं राजनारायण जी का कामरोको प्रस्ताव भी आपके पास भेज दूंगा, बल्कि भेज ही दिया है। उसमें जो वाकयात हैं उस सबन्ध में भी जानकारी आप दे देंगे। इसके अलावा जितने भी दफा ५२ के प्रस्ताव आये हैं कानपुर के सम्बन्ध में या प्रदेश के और स्थानों के सम्बन्ध में, वह सब मैं आप के पास भेज दूंगा। दो तीन दिन में जब आप वक्तव्य देंगे तो उन को सब को वक्तव्य में आप कवर कर लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, अभी कल तो ए० डी० एम० ने यह भी स्वीकार किया है कि ला ऐण्ड आर्डर की समस्या भी पैदा हो गई है। पांच पांच हजार आदमी घूम रहे हैं, इस वजह से अभी आप तीन दिन लेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी। कल ही वक्तव्य दे दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—वर्मा जी यह कह रहे हैं कि वहां की परिस्थिति कोयले की कमी के कारण विकट हो गई है और शांति के लिये भी खतरा है, इसलिये जितना शीघ्र हो सके वहां की जानकारी दे दें। जो कार्यवाही करना है वह इस सूचना के हिसाब से कार्यवाही जारी हो जाय। इसके लिये जो प्रान्तीय सरकार को करना चाहिये वह तत्काल करे।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोयले की यह विषम परिस्थिति सिर्फ कानपुर में ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में पैदा हो गई है। फीरोजाबाद के कारखानेदारों ने भी बहुत से पत्र भेजे हैं। मैं समझता हूं कि कानपुर के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य दे दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—जितने कोयले की कमी के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव आये हैं वे सब उनके पास भेज दिये जायंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जिन मिलों ने कोयले की कमी के कारण बन्दी का नोटिस दे दिया है, जैसे कि जे० के० मिल्स वगैरह हैं, उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी पूरी जानकारी हासिल करके सदन को बतला दें।

श्री राजनारायण—इस सम्बन्ध में मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जितने कार्य-स्थगन प्रस्ताव या दफा ५२ के प्रस्ताव आते हैं वे विरोधीदल के लोगों की तरफ से आते हैं और उनको ही देना चाहिये क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के स्वयं सदस्य हैं वे अपनी पार्टी मीटिंग में या मुख्य मंत्री जी से हर समय अपनी समस्याओं को कह लिया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—जब वे वक्तव्य देंगे तो आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री राजनारायण—अब लहरी जी इसी समय अपनी बात कह रहे हैं जिससे कानपुर वाला मामला दब जाय। आज तो वहां पर आफत आ गई होगी।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैंने पूरे प्रदेश के लिये मांग की है। पता नहीं समाजवादियों को प्रदेश के दूसरे जगह के उद्योगों से क्यों चिढ़ पैदा हो गई है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—यह प्रतापसिंह जी का दफा ५२ का प्रस्ताव कुल प्रदेश के लिये और विशेष रूप से कानपुर के लिये है। इसलिये मन्त्री जी जो अपनी रिपोर्ट दें वह सारे प्रदेश के लिये दें।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनके पास भेज दिया है।

फीरोजाबाद में रामलीला के जुलूस पर बम फेंके जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य इस प्रकार है। १७ सितम्बर, १९६० की रात को सवा ग्यारह बजे फीरोजाबाद शहर में रामलीला जलूस वापस आ रहा था। जब जलूस जामा मस्जिद के पास आया तो रामलीला जलूस के पिछले भाग पर जामा मस्जिद से एक बम फेंका गया। उसके फलस्वरूप ४७ व्यक्ति घायल हुए। जिलाधीश और एस० पी० सूचना पाकर तुरन्त ही घटनास्थल पर पहुंच गये। घायलों के

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

इलाज की व्यवस्था की गई। २५ व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गये। ५ व्यक्तियों को जामा मस्जिद से उसी समय गिरफ्तार किया गया। बाद में १२ व्यक्ति और पकड़े गये और उनका चालान हो चुका है। जो व्यक्ति अस्पताल में भरती किये गये वे इलाज के बाद अस्पताल से वापस चले गये। उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई। १८ सितम्बर, १९६० को छुरे बाजी की १ घटना होने पर तुरन्त करफ्यू लगाया गया। जब करफ्यू लगाया जा रहा था तो नगर के बाहरी सीमा पर छुरेबाजी की ७ घटनायें और हुईं। फीरोजाबाद से ३ मील दूर सूफी मजार में भी १८ और १९ सितम्बर, १९६० को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ व्यक्तियों के गायब होने की सूचना मिली। छरेबाजी की कुछ घटनायें १९, २० सितम्बर को शहर में हुईं। इसके बाद शहर में कोई घटना नहीं हुई। छुरेबाजी की कुल १८ घटनाओं की सूचना पुलिस को मिली। सूफी मजार की घटना के सम्बन्ध में ३५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये जिनमें से ५ का चालान हो चुका है। झगड़ों को रोकने के लिये पी० ए० सी० लगायी गयी। पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा गश्त की व्यवस्था की गयी। जुर्म करने वालों को पकड़ कर चालान किया गया और शान्ति कमेटी बनायी गयी। २० सितम्बर के बाद फीरोजाबाद शहर में स्थिति पूर्णतया काबू में है और वहां अब शान्ति है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बम फैंका गया मस्जिद से, क्या सही-सही माननीय मंत्री जी को पता लगा कि कितने व्यक्तियों ने वह बम फेंका था?

श्री चरणसिंह---मैं यह तो नहीं कह सकता, लेकिन ५ व्यक्ति उस समय मस्जिद में से निकलते हुये पकड़े गये और यह मैं अर्ज कर चुका। अब वे सही थे या गलत थे, यह तो अदालत तय करेगी जब उन पर मुकदमा चलेगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बमकांड के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कितने हिन्दू और कितने मुसलमान थे?

श्री चरणसिंह---इस सम्बन्ध में कुल ९५ हिन्दू और १५९ मुसलमान गिरफ्तार किये गये और बम के सिलसिले में १५९ मुसलमानों में से ७२ थे जो गिरफ्तार हुये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय मन्त्री जी यह देखते हुये कि आजादी के बाद फिर उसी पैटर्न पर दंगे हुये जैसे कि आजादी के पहले अंग्रेज करवाते थे यानी धार्मिक स्थानों को अपवित्र करना अथवा धार्मिक जलूस पर बम आदि फेंक कर दंगा करवाना, क्या ऐसी कोई योजना बनाने का विचार करेंगे कि जिससे उसकी रोकथाम हो सके और इन पंचमार्गियों का दमन किया जाय?

श्री अध्यक्ष---यह इससे उठता नहीं है।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास क्या ऐसी सूचना आयी है कि दोनों दलों में अब समझौता हो गया है और वे सरकार के पास इसलिये आये हैं कि दोनों तरफ के केस वापस ले लिये जायं?

श्री चरण सिंह---यह बात सही है कि दोनों सम्प्रदायों में फैसला हो गया है। मतलब यह है कि जो बहुत से लोगों ने आपस में मिल कर दस्तखत किये हैं और उसकी एक प्रति गवर्नमेंट को दी है और जिलाधीश को दी है और सरकार उस पर विचार कर रही है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच उन्होंने किसी विशेष अफसर द्वारा करवायी है अथवा पुलिस विभाग द्वारा ही करायी गयी है?

श्री चरण सिंह--पुलिस ही गवर्नमेंट के पास एक एजेन्सी है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से समझौते की दरख्वास्त आयी है तो क्या यह सही है कि समझौता पहले भी हो चुका था और उसके पश्चात् मुसलमानों ने समझौता मानने से इन्कार कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता। आप किसी एक पक्ष का नाम ले कर पूछते।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या उस मामले में जिसमें लोग गिरफ्तार हुए ह और मुकदमा चल रहा है, कुछ लोगों को सजा भी हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह--कुछ लोग जमानत पर छूटे हुये हैं और कुछ की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। कुछ पर मुकदमा चलना शुरू हो गया है, लेकिन जहां तक मेरी इत्तला है, सजा किसी को नहीं हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो दोनों पक्षों में के लोग उनके पास समझौते के लिये आये, तो उनमें वे क्या बम फेंकने जैसे गंभीर मामले को भी वापस लेने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री चरणसिंह--यह बम फेंका गया १७ सितम्बर को रामलीला के जलूस पर, लेकिन दरअस्ल जो वहां आपस में तनाव हो गया और वहां की स्थिति बिगड़ी उसका मुख्य कारण यह था कि जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में एक मस्जिद है उसका दरवाजा एक ओर तरफ था, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा दरवाजा मुसलमान साहबान ने बना लिया और उधर उन्होंने दरवाजा भी बनाया, शौचालय भी बनाया और इधर हिन्दुओं की और जैनियों की पाठ-शाला थी और मन्दिर भी थे। तो उनकी वजह से १२ अगस्त को झगड़ा हुआ और वह तनाव की स्थिति बराबर बनी रही जिसका नतीजा यह हुआ कि १७ अगस्त को रामलीला के जुलूस पर एक बम फेंका गया। अब स्थिति यह है कि मुसलमानों ने उस तरफ दीवार बना ली है और उस दरवाजे को बन्द कर दिया है और अब वहां के हिन्दू व मुसलमान साहबान यह कहते हैं कि हमारे बीच अब सौहार्द और उचित वातावरण पैदा हो गया है और हमारी सबकी अब यह कोशिश रहेगी कि कोई झगड़ा न हो।

श्री अध्यक्ष--अब मैं श्री टीकाराम पुजारी का दूसरा प्रस्ताव लेता हूं।

आगरा, मैनपुरी आदि जिलों में सैलाब से विषम परिस्थिति होने पर भी चकबन्दी टैक्स वसूली के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--श्रीमन्, श्री टीकाराम पुजारी ने मथुरा, आगरा और मैनपुरी आदि जिलों में सैलाब और वाटर लागिंग के कारण जो वहां की परिस्थिति खराब हो गई है उससे चकबन्दी टैक्स की वसूली पर आपत्ति की है और बताया है कि वहां पर इससे बहुत बेचैनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चकबन्दी टैक्स टैक्स नहीं है, यह तो एक तरह की फीस है या जो खर्चा उस पर होता है वह वसूल किया जाता है और जो कास्ट होती है वही वसूल की जाती है ....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--वह टैक्स नहीं है तो और क्या है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--वह टैक्स नहीं है, वह कास्ट है, यह चकबन्दी का जो मसला है यह हमारे प्लान आइटम्स में है। प्लान आइटम होने के कारण जो इसका खर्चा है वह भी हम अपने बजट के रिसोर्सेज में दिखाते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार से हमको ५० परसेन्ट मिलता है। तो ऐसी सूरत में इस कास्ट को हम वसूल न करें तो हमारे बजट रिसोर्सेज भी सब अपसेट हो जायेंगे। फिर वर्षा या सैलाब के कारण नुकसान तो और जिलों में भी हुआ है, हम केवल इन्हीं ४ जिलों में इसकी वसूली रोक दें और जिलों में न रोकें, यह भी उचित

बात मालूम नहीं होती। इसके अतिरिक्त एक बात मैं और बता दूं यह जो हमारा जमींदारी एबालिशन एंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट हैं जिसके अनुसार हम मालगुजारी वसूल करते हैं, उसमें मालगुजारी को स्थगित करने के अधिकार सरकार को दिये गये हैं। मगर यह जो हमारा चकबन्दी का कानून है इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। इसमें हमको कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि हम चकबन्दी की जो फीस है उसको छोड़ सकें। ऐसी सूरत में यह वसूलयाबी बन्द करना असम्भव है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, फीस तो बच्चों की पढ़ाई आदि पर पड़ती है, यह कौन सी फीस हो गयी, या मेरी समझ में नहीं आया.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपया सवाल करिये।

श्री टीकाराम पुजारी---मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ के कारण पश्चिमी जिलों में किसानों की जो रबी और खरीफ की दोनों फसलें बरबाद हो गयीं, उनके यहां यह चकबन्दी फीस माफ करने की कृपा करेगी और जिन किसानों के पास चारे का प्रबन्ध नहीं है, मकान का प्रबन्ध नहीं है, उन्हें कुछ सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१४ तारीख को मैंने एक विवरण-पत्र आप लोगों के बीच वितरित करवाया है उसमें क्या-क्या सहायता दी गयी है उसका पूर्ण विवरण है। जहां तक चकबन्दी की फीस का संबंध है, उसको माफ करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उसके लिये हम मजबूर हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या इस बात को देखते हुये कि जहां प्राकृतिक बाधायें आयी हैं, लोग चकबन्दी का खर्चा देने में असमर्थ हैं, मंत्री जी कानून में कोई इस किस्म की तरमीम करने की कृपा करेंगे या कोई संशोधन ले आकर या आर्डिनेंस के जरिये से, उसको ठीक करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---चूंकि असेम्बली बैठी है, आर्डिनेंस नहीं आ सकता और कानून लाने में बड़ा वक्त लगेगा, उस समय तक यह वसूली हो जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि उन पश्चिमी इलाकों में गरकी से बहुत काफी परशानी होती है और किसानों की प्रतिवर्ष क्षति होती है, तो कोई ऐसी योजना सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिससे उनकी गरकी समाप्त हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इरिगेशन डिपार्टमेंट में ड्रेनेज वगैरह की स्कीम है। जहां वाटर-लागिंग हो वहां उसके जरिये से अमल किया जाता है। ऐसी स्कीम पहले से ही है।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---अगर चकबन्दी फीस को माफ करने का ऐक्ट में कोई प्रावीजन नहीं है, उसको मुल्तवी करने का भी कुछ तरीका नहीं है तो क्या यह सही है कि इस साल की अगले साल वसूल की जाय इसके खिलाफ भी कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको बार करे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह अधिकार की बात होती है। हमको अधिकार नहीं, हम किस अधिकार से काम करें ? बार का प्रश्न नहीं है।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)---क्या यह सही है कि जो फीस की वसूली होती है वह गवर्नमेंट लैण्ड रेवेन्यू के एरियर्स की तरह से होती है ?

श्री अध्यक्ष---यह कहिये कि मालगुजारी की तरह से वसूल की जाती है। कोई शब्द अंग्रेजी का और कोई हिन्दी का, इससे उनको समझ में नहीं आता।

श्री हुकुमसिंह विसेन---मालगुजारी के तौर पर वसूल होती है, लेकिन सस्पेंशन नहीं होता।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन जिलों के संबंध में नोटिस दिया गया है उसका तात्पर्य है कि जो गरीब किसान दे नहीं सकते हैं उनसे सख्ती से वसूल न करे ताकि उन पर आर्थिक बोझ न पड़े, तो क्या लगान को माफ करने पर विचार कर रहे हैं और चकबन्दी फीस को इंस्टालमेंट्स में दे सकें, इसका भी प्रबन्ध कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जहां-जहां सैलाब की वजह से क्षति हुई है, वहां और सस्पेंशन की बात सरकार के जेर गौर है। वह तो हो गया है और इतना मैं कह दूंगा कि बहुत सख्ती न की जाय, आसानी के साथ यह वसूल की जाय।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---मंत्री जी ने जवाब में कहा कि चकबन्दी की वसूली खरीफ और रबी की फस्ल पर वसूल की जाती है और वहां रबी और खरीफ की फसलें दोनों मारी गयी हैं तो फरवरी के महीने में कौन-सी रबी की फसल हुई है जिससे वसूल करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस चकबन्दी के खर्चे से फस्ल का कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को देखते हुए कि जहां गरकी वगैरह होती है और बाढ़ आती है, वहां पर लैण्ड रेवेन्यू सस्पेन्ड भी किया जाता है और रेमिट भी किया जाता है और उसके अनुसार जो आबपाशी और दूसरे सरकारी देय होते हैं उनको भी स्थगित और रेमिट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुये वह पुनः विचार करेंगे कि चकबन्दी टैक्स को फिलहाल स्थगित कर दें?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसका जवाब हम दे चुके हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री रामदीन (जिला मैनपुरी)---प्रदेश में गम्भीर वर्षा के कारण जो नक्शा माननीय मंत्री जी ने कल यहां पेश किया उसमें ज्यादा नुक्सान ६ जिलों में दिखाया है जैसे मैनपुरी, एटा, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा जौनपुर वगैरह, तो क्या सरकार इन जिलों के प्रति ऐसा विचार करेगी कि वहां पर जो गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है उसके कारण यह जो फीस वसूल की जा रही है वह वसूल न की जाय तथा दूसरी अन्य रियायतें भी दी जायं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लगान, मालगुजारी और तकावी के बारे में तो जितना हम कर सकते हैं वह सब करेंगे, लेकिन इसके बारे में मजबूर है।

श्री अध्यक्ष---अब यह समाप्त किया जाता है।

भारत-तिब्बत सीमा पर काला पानी से बूंदी में चेक-पोस्ट को हटाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी की मांग

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय आपने आदेश दिया था कि मैं एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री को कालापानी से बूंदी में चेक-पोस्ट हटाने के संबंध में लिखूं तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कब स्टेटमेंट देंगे।

श्री अध्यक्ष---जब मंत्रियों के बक्तव्य का समय आये तब मैं उनसे कहूंगा।

उत्तर प्रदेश हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट की सदस्यता से नाम वापस लेने की तिथि में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष---शांतिप्रपन्न जी ने प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट की सदस्यता से नाम वापस लेने की तिथि आज सायंकाल तक थी उसको कल सायंकाल तक के लिये बढ़ा दिया जाय क्योंकि कल सूर्यग्रहण के कारण एक बजे के बाद ही सदन स्थगित हो गया था। यह मांग उचित ही मालूम होती है इसलिये मैं एक दिन का समय बढ़ाये देता हूं, लेकिन चुनाव २२ तारीख को ही होगा अगर उसकी आवश्यकता पड़ी यदि नाम वापस न लिये गये।

आगामी सप्ताह के कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं अगले हफ्ते का प्रोग्राम जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह तो एक हफ्ते का ही दिया जाता है। अगले सोमवार को आपको बता दिया जायगा। क्या आप समझते हैं कि कोई परिवर्तन हुआ है?

श्री मदन पांडेय---कुछ सुनने में आ रहा है कि परिवर्तन हुआ है। कुछ लोग २० तक और कुछ लोग २२ तक बताते हैं इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि अगले सोमवार को बैठ रहे हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं माननीय सदस्य अफवाहों पर ही अन्दाज़ लगाया करते हैं। यहां जो बात होगी वही सही होगी।

भारत-तिब्बत सीमा पर कालापानी से बूंदी में चेक-पोस्ट को हटाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत जानकारी की मांग---(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---प्रतापसिंह जी ने जो पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजा उस संबंध में मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि वह यह जांच करके देखें कि यह जो चेक-पोस्ट है इसको मुकर्रर करने का अधिकार प्रदेशीय सरकार को है यानी प्रदेशीय सरकार जहां के लिये सलाह देती है वहां वह स्थापित की जाती है या केंद्रीय सरकार स्वयं चेक-पोस्ट कायम करती है। इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी जितनी सूचना देना उचित समझें, यानी कोई ऐसी सूचना नहीं होनी चाहिये जिससे किसी विदेशी सरकार को कोई ऐसी जानकारी मिल जाय जिससे अनहित होने की सम्भावना हो, वह दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जानकारी मेरे पास है, लेकिन मैं तमाम बातों पर गौर करके कि क्या बातें मुझे बतानी हैं और क्या नहीं, कल संतुलित ढंग पर लिखित जानकारी दूंगा।

चीनी वायुयानों द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि चीनी वायुयानों की प्रदेश के ऊपर उड़ने की कोई सूचना उनको नहीं है। किन्तु प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने बताया कि दो बार--नवम्बर और जनवरी में--चीनी वायुयान यहां आये, यू० पी० की सीमा में आये। इन दोनों बातों में कोई विरोधाभास न हो, इसके बारे में वे कोई अपना वक्तव्य देंगे?

श्री अध्यक्ष---माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देना उचित समझते हों तो दे सकते ह।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय सदस्य मुझसे चाहते हैं, उसके विषय में मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक इस सरकार का संबंध है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारी सीमा में कोई वायुयान उड़े या नहीं उड़े क्योंकि वायुयान उड़ने की सूचना वहीं के अधिकारी रखते हैं और वे केंद्रीय सरकार तथा डिफेंस विभाग को समय-समय पर देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष---क्या वे डायरेक्ट भेज देते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी, वे डायरेक्ट भेज देते हैं, हमारे जरिये से नहीं भेजते और केंद्रीय सरकार भी इसकी सूचना स्वतः हमें नहीं देती, क्योंकि डिफेंस का विषय उसका विषय है। उसके लिये उनका ही उत्तरदायित्व है इसलिये प्रदेशीय सरकार को इस प्रकार की सूचना देने के लिये वे बाध्य भी नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, एक निवेदन और है कि माननीय मंत्री जी इस बात का पता स्वयं लगा लें कि चीनियों के जेट विमान आते रहे या नहीं? अगर वे चीनियों के नहीं थे तो किस देश के थे?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि केंद्र की जिम्मेदारी का प्रश्न यहां पूछ कर जिनको आप सूचना नहीं देना चाहते हैं, उनको दे देते हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात को जानकर कि प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता इस सीमा अतिक्रमण के बारे में जानने को बहुत उत्सुक है, इस प्रकार से हाउस के सेंस को केंद्रीय सरकार को भेजने की कृपा करेंगे जिससे वे यह बता सकें कि वे सचेष्ट होकर इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमें यह भी समझ लेना है कि यह सदन उन सब बातों का जिम्मेदार नहीं है। इस प्रदेश के और भी प्रतिनिधि हैं जो उत्तराखंड के हैं और जो पार्लियामेंट में हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इसके बारे में केंद्रीय सरकार को जानकारी दें और उनसे हासिल करें और प्रश्न पूछें। जो जिम्मेदारी हमारी नहीं है उसको हम क्यों अपने ऊपर लें। इसमें कहीं-कहीं ऐसा हो सकता है कि आप यहां कोई प्रश्न पूछें जिसका उत्तर यहां कुछ दिया जाय और लोक सभा में कुछ वहां दूसरा हो जाय। इससे देश का अकल्याण ही हो सकता है। इसके लिये आप अपना कौतूहल रोक लें तो अच्छा है। जो चीज आपके दायरे में नहीं आती उसके बारे में प्रश्न न पूछें।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---आपने कहा कि इस प्रदेश के पार्लियामेंट में भी तो मेम्बर हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पार्लियामेंट में यह प्रश्न अभी पूछा भी गया था। बहुत बार हमें वहां जाकर उनको सूचना देनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष---आपके कोई मित्र उत्तराखंड के भी होंगे जो पार्लियामेंट के सदस्य होंगे, उनको कहिये कि आप गाफिल क्यों रहते हैं।

श्री प्रतापसिंह---वे तो सोते रहते हैं?

श्री अध्यक्ष---तो आप उनको ही जगाइये। यहां मुख्य मंत्री को न जगाइये।

१४ सितम्बर, १९६० के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ के सम्बन्ध में श्री देवनारायण भारतीय के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---श्री रामचन्द्र विकल तथा श्री अवधेश सिनहा द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ से संबंधित श्री देवनारायण भारतीय द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री अपना शोधन वक्तव्य देंगे।

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)--अध्यक्ष महोदय, १४ सितम्बर, १९६० को सर्वश्री रामचन्द्र विकल तथा श्री अवधेशकुमार सिनहा के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ से संबंधित श्री देवनारायण भारतीय ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि:--

"रिइम्प्लायमेंट से पहले ये प्रिंसिपल साहब किस पोस्ट पर थे और उससे रिटायर हुये या अलहदा किया गया ?"

उस दिन सदन में उक्त प्रश्न का न्याय मंत्री द्वारा निम्नलिखित उत्तर दिया गया था:--

"सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के प्रिंसिपल थे। वहां से रिटायर हुये।"

यह उत्तर ठीक नहीं था और सही उत्तर इस प्रकार है:--

"कानपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के पद रिइम्पालायमेंट के पहले डाक्टर सी० बी० सिंह, एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा में सरजरी के प्रोफेसर के पद पर थे। वह उसी पद से रिटायर हुये थे।"

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिये देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७१० पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--कल कोर्ट फीस अध्यादेश के निरनुमोदन के संकल्प पर श्री गौरी शंकर राय बोल रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखें।

***श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं आप की सेवा में अध्यादेशों के संबंध में निवेदन कर रहा था और संकल्प की २ बातों की तरफ मैं संकेत कर रहा था। पहली बात तो यह थी कि ऐसे समय में अध्यादेश का औचित्य था या नहीं, वह आने चाहिये थे या नहीं और दूसरे मैंने कोर्ट फीस के औचित्य के संबंध में निवेदन किया था।

अध्यादेशों के संबंध में मैं यह भी सदन के सम्मुख निवेदन कर दूं कि वह जिन परि-स्थितियों में और जिस समय पर आये वह एक बड़े ध्यान से देखने और समझने की वस्तु है। वे उस समय आये जिसके संबंध में विधान सभा में एक बार बहस हो चुकी है कि उस को, सदन को एक बार बुलाया गया और फिर टाला गया। विधान सभा को हक है लेजिस्लेट करने का, वह अधिकार सरकार को नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं और शायद आप भी सहमत होंगे कि संविधान की मंशा यही है कि आर्डिनेंस अगर निकाले जायं तो वे ऐसे समय में निकाले जायं जब विधान सभा के मिलने में कोई विशेष कठिनाई हो। यहां परिस्थिति दूसरी थी, विधान सभा को बुलाने में कोई कठिनाई नहीं थी, वह बुलाई हुई थी और विधान सभा के लोग या सदस्य यहां मिलने के लिये तैयार थे और अपनी इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं कि हमारे काम का नुक्सान हुआ है, लेकिन बिना आप से श्रीमन्, पूछे इस तरह से आमंत्रित विधान सभा की बैठक को कैंसिल किया गया और इस तरह से अनियमित ढंग से सरकार के यह अध्यादेश जारी हुये, संविधान की मंशा के विरुद्ध कार्य किया गया और बैठक को टलवाया गया। यह चीज इसी आर्डिनेंस के बारे में नहीं बल्कि इन सभी आर्डिनेंसेज के विषय में है, जिनकी संख्या १-२-३-४-५-६ नहीं ७ है उन सबके बारे में है। क्या किसी भी दशा में इस तरह से लाये गये अध्यादेश प्रजातांत्रिक परम्पराओं में स्वस्थ परम्परा जोड़ सकते हैं ? यह कौन-सा प्रजातांत्रिक स्तर है कि एक बार में तमाम आर्डिनेंस निकाल दिये गये और किस देश की यह स्वस्थ परम्परा है ? अगर संविधान में जो खास इमरजेंसीज के लिये यह

---

†१५ फरवरी, १९६१ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गौरीशंकर राय]

हक दे रखा है उसका इस तरह से आम तौर से रोज रोज इस्तेमाल किया जायगा, औचित्य हो या न हो तो यह सदन के विचार की वस्तु है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की जो हमारी मान्यतायें हैं उनको इस तरह की चीजों से भारी धक्का पहुंचा है। इससे अधिक मैं न कहूंगा।

एक बात और साफ कर दूं कि यहां आप अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं। आप कार्य करते हैं और आपकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष को अधिकार है कि वह कार्य करें और विधान सभा को कानून बनाने का हक है। अब आपको अगर हम कमरे के बाहर रोक दें और मजबूर कर दें कि आप इधर ही रहें और कहें कि हम उस कुर्सी पर बैठेंगे, आप के हक को रोक कर हम बैठेंगे इसी तरह का कार्य इस सरकार ने किया है, यहां की बैठक को टालकर और आर्डिनेंस लाकर इस सरकार ने अपनी कमजोरियों का या उसकी पार्टीबाजी में जो उसकी गृहकलह थी उसको शांत करने में और एक दूसरे के खिलाफ कार्यवाहियां चलाने में अपना समय व्यय किया, बैठक को टाला और उस का यह फल है कि आर्डिनेंस लाये गये। इस तरह से मैं तो कहूंगा कि प्रजातंत्र के मूल्यों के साथ अत्याचार और अनाचार हुआ है और प्रजातंत्र के जो नये आदर्श और परम्परायें बनने वाली हैं और आगे आने वाले इतिहासकार इस सरकार को इसके कृत्यों पर कोसेंगे ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश की प्रजातांत्रिक परम्पराओं को बिगाड़ने के लिये दोषी और अपराधी ठहरायेंगे।

दूसरे कोर्ट फीस के संबंध में मैं आपको बता दूं कि संसार के किसी देश में भी, गुलाम देशों के अलावा और कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में २ प्रकार की चीजें आज दुनियां में प्रचलित हैं, एक तो कोर्ट फीस और दूसरे टैक्सेशन या लेवी जिसे कहते हैं। पहली चीज साधारण सी नाममात्र की फीस होती है जैसे कि अमरीका में भी लगती है और वह भी अपील में और हाईकोर्ट के मामलों में नहीं लगती है। हमारे प्रदेश में आज रोज रोज यह सरकार कोर्ट फीस बढ़ा रही है जबकि अंग्रेजों ने बहुत कम कोर्ट फीस लगाई थी। हिन्दूकाल में और मुस्लिम काल में यहां कोई कोर्ट फीस नहीं थी और अंग्रेजों ने सन् १८०० के बाद उसको लगाया था और सन् १८३५ में लार्ड मेकाले ने पार्लियामेंट में २५ जून को हाउस आफ लार्डस की बैठक में भर्त्सना की थी कि आप देश हिन्दुस्तान में न्याय का गला घोट रहे हैं। १८३५ में लार्ड मैकाले की नजर में, एक अंग्रेज की नजर में जिसकी गुलामी में हिन्दुस्तान था, कोर्ट फीस का बढ़ाना और लगाना गलत काम था, लेकिन आज १९६१ में यह सरकार, जो वेलफेयर स्टेट की बात करती है और समाजवाद की बात करती है, कोर्ट फीस लगाना चाहती है। जो लार्ड मैकाले का सन् १८३५ में दृष्टिकोण था वहां तक पहुंचने में मैं नहीं जानता कि प्रजातंत्र और समाजवाद की बात करने वाली इस सरकार को कितना समय लगेगा।

श्रीमन्, एक ला कमीशन की रिपोर्ट जो श्री सीतलवाद की चेयरमैनशिप में लिखी गई है, उसका एक पैराग्राफ आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। इसमें लिखा है :—

"India is, so far as we know, the only country under a modern system of government which deters a person who has been deprived of his property or whose legal rights have been infringed from seeking redress by imposing a tax on the remedy he seeks. Our States provide hospitals which give free treatment to persons who are physically afflicted. But if a person is injured in the matter of his fundamental or other legal rights, we bar his approach to the Courts except on payment of a heavy fee. The fee which we charge is so excessive that the civil litigant seeking to enforce his legal right pays not only the entire cost of the administration of civil justice, but also the cost incurred by the State in prosecuting and punishing criminals for crimes with which the civil litigant has no condern."

तो यह ला कमीशन ने कहा है। श्रीमन्, सबसे बड़ी अगर शर्मिन्दगी है तो वह उत्तर प्रदेश में होने के नाते है। ला कमीशन ने उत्तर प्रदेश का स्पेसीफिक जिक्र किया है कि यही एक प्रदेश है जिसमें क्रिमिनल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जितना खर्च होता है उससे भी सरप्लस केवल सिविल लिटीगेशन में कोर्ट फीस से आता है और किसी प्रदेश में यह बात नहीं है। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि सारी स्टेट्स में कहीं-कहीं घाटा भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि कुछ बिल पर बोलने के लिये थोड़ा-सा कार्य रहने दीजिये ....

श्री गौरीशंकर राय--मैं बिल के बारे में तो बोल ही नहीं रहा हूं। मैं कोर्ट फीस के जस्टीफिकेशन के बारे में कहना चाहता हूं कि. .....

श्री अध्यक्ष--कोर्ट फीस ऐक्ट जो है उसके पूरे का तो सवाल है नहीं। यह तो अमेंन्डिग बिल है....

श्री गौरीशंकर राय--अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मैंने कल ही निवेदन किया था, अगर कोई लेजिस्लेशन हाई कोर्ट में टैक्नीकल मिस्टेक से गड़बड़ हो जाय तो उसको आर्डिनेन्स कर दिया जाय .....

श्री अध्यक्ष--तो उसी पर आरग्यूमेंट दीजिये।

श्री गौरीशंकर राय--अब मैं एक दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं। मैंने अभी बताया कि किन परिस्थितियों में कोर्ट फीस लागू हुई इस देश में। सबसे पहले बंगाल में लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? यह कहा गया कि कोर्ट फीस इसलिये लगाई गई है कि ज्यादा दरख्वास्तें आती हैं। तो दरख्वास्तों की तादाद कम करने के लिये लगाई गई। उस वक्त सन् १८३५ में लार्ड मैकाले ने पार्लियामेंट में कहा था कि यह सरकार का निकम्मा-पन है। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस समय की सरकार उस समय से भी ज्यादा निकम्मी साबित हो रही है। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस अमेंडमेंट को लाने में उससे भी पीछे है। वह तो दरख्वास्तों की तादाद रोकने के लिये कहते थे और इनका खयाल है कि भूत में जो चले गये हैं अदालत में जिनको न्याय मिला या न मिला उन लोगों के जिम्मे जो पैसे की बचत होती है उसको उनकी पाकेट से हम निकाल लें। इस तरह की मंशा किसी की नहीं थी, अंग्रेजों की भी नहीं थी।

एक दूसरी बात कही कि रोज उसकी तादाद बढ़ रही है। अब जरा देखा जाय कोर्ट फीस जिसको फंडामेंटल राइट्स के नाम पर कोई हाई कोर्ट भी नहीं रखना चाहता उसको सरकार अपने राइट्स के अन्दर आर्डिनेंस से रखना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक उसूल का सवाल है कि यह फीस है या टैक्सेशन है। हर साल कोर्ट फीस बढ़ती जा रही है और जो हमारा सरप्लस है सिविल के मामले में वह फीस न हो कर रेवेन्यू से भी बहुत आगे चला गया है अगर सबसे ज्यादा इस प्रदेश में है। ला कमीशन ने इस सरकार की भर्त्सना की है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप संक्षेप में कहें। निरनुमोदन में ज्यादा लम्बे भाषण नहीं होना चाहिये। यहां तो आध्यादेश का सवाल है उसी पर आप बोलें।

श्री गौरीशंकर राय--मैं कोर्ट फीस के प्रिन्सिपिल के बारे में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--कोर्ट फीस का प्रिन्सिपिल इसमें नहीं आ सकता है।

श्री गौरीशंकर राय--मैं जिस बात को कह रहा हूं गलती से मैं इसको ही प्रिन्सिपिल की बात समझता हूं।

श्री अध्यक्ष---इससे उसका संबंध नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय--अगर यह सिद्धान्त की बात नहीं है तो मैं नहीं कहता ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलूं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केवल इस विषय पर ही मैं बोलूंगा कि अध्यादेश का जनतांत्रिक प्रणाली में क्या स्थान होना चाहिये ।

मान्यवर, जिस प्रकार राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद २१३ में अध्यादेश निकालने का अधिकार है उसी प्रकार का अपने नियमों के अन्तर्गत हमें यह भी अधिकार है कि हम निरनुमोदन कर सकते हैं । २१३ (सी) में यह अधिकार हमको है । अनुच्छेद २१३ इस प्रकार है "उस समय को छोड़कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान परिषद् वाले राज्य में विधान मंडल के दोनों सदन सत्र में हैं यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों ।"

मान्यवर, इस धारा को मैं तीन हिस्सों में बांटता हूं । पहला हिस्सा है राज्यपाल को समाधान हो जाय । तो कौन समाधान कराये ? मैं इसके लिये बसु की संविधान पर कमेन्ट्री से बताना चाहता हूं कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल ही राय देता है । दूसरा यह है कि राज्यपाल का अपना हक नहीं है कि वह कोई अध्यादेश निकाले जब तक कि उसको कोई राय न दी जाय । बसु ने लिखा है "It is not the discretionary power. It must be exercised with the aid and advice of the Minister." यानी मंत्रिमंडल जब तक राय नहीं देगा तब तक नहीं निकाल सकते हैं । तो ऐसी कौन एमरजेन्सी आ गई थी जिससे अध्यादेश निकाले गये ?

अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत प्राचीन समय से हैं । आपको मालूम है २१३ आर्टिकिल कहां से लिया गया है । १९३५ के एक्ट की जो धारा ८८.....

श्री अध्यक्ष--मैं प्राचीन समय से यहां पर हूं तो क्या मैं हजार साल से यहां पर हूं ?

श्री प्रतापसिंह---मेरा तात्पर्य था कि आप काफी दिनों से सदन के सदस्य हैं आपको मालूम है कि १९३५ का जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट था उसमें धारा ८८ में यह प्रावीजन था और उसी को अनुच्छेद २१३ में रख दिया गया है । स्वतंत्रता संग्राम जो १९४२ का था उसको कुचलने के लिये और उनकी स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिये विदेशी सरकार ने यह सेक्शन उस विधान में बनाया ।

तो इस जनतांत्रिक प्रणाली को कायम करने वाली सरकार ऐसे आर्डिनेन्स लाये यह कहां तक उचित होगा ? अन्तर्राष्ट्रीय जगत में हम और आप सोचते हैं जब चारों तरफ तानाशाही के बादल मंडरा रहे हैं ऐसे समय में इस सरकार को सोचना चाहिये कि ऐसे आर्डिनेन्स से क्या हमारी जनतंत्र की जड़ मजबूत होगी या इससे हमारा जनतंत्र कमजोर पड़ेगा यह सरकार ने नहीं सोचा । सरकार यह आर्डिनेन्स क्यों लाई, बम्बई की हाई कोर्ट ने यह कहा कि स्वतंत्र राष्ट्र के किसी भी नागरिक को किसी भी अदालत में जाकर अपील करने का अधिकार है, कोई रुकावट लगे तो गलत है । सरकार कहती है कि हमने फीस बढ़ा दी । १९५८ में ही हमने कहा था कि यह गलत है । सरकार ला डिपार्टमेंट को सैक करे क्योंकि उसे सही राय देना चाहिये या फिर ला डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट जो राय देते हैं उसे सरकार सुनना नहीं चाहती । तो इसकी छान-बीन की जाय । यह अमेरिका नहीं है । मान्यवर, यहां लेजिस्लेचर सुप्रीम है । लेजिस्लेचर से जो हम अधिकार देते हैं जुडीशियरी वही करती है । सरकार अगर इस पर कोई आर्डिनेन्स लाती है तो वह जनतंत्र की जड़ों को खोखला कर रही है । संविधान में लिखा है कि संविधान की सुरक्षा हमारी न्याय शाखा करेगी और न्याय शाखा साफ कहती है कि जो फीस बढ़ी है वह गलत है, इसे गरीबों को अपील के लिये देना चाहिये । सरकार कहती है कि वह रुपया रिफंड करना

पड़ेगा। इसलिये वह आर्डिनेन्स लाना चाहती है। दूसरे राज्यों में भी आर्डिनेन्स लागू होता होगा। एंसाइक्लोपिडीया ब्रिटानिका से मैं जरा पढ़ देना चाहता हूं :--

"The most celebrated instance of the use of Orders in Council was in 1807 when Great Britain was at war with France. Orders in Council are used to regulate the matters which need immediate attention and the death of one sovereign and the accession of another."

जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स में युद्ध हुआ उस जमाने में वहां आर्डिनेन्स जारी किया गया। मिसाल के लिये कांगों में लुमुम्बा को मार दिया गया और वहां जो हरकतें होंगी उनके लिये वहां की गवर्नमेंट का फर्ज है कि आर्डिनेन्स के जरिये से वहां की परिस्थिति ठीक करे। १८०७ में जब यह हुआ तब ब्रिटेन में आर्डिनेन्स निकाला गया और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यह तय कर रखा है कि वहां आर्डिनेन्स तब निकाला जायगा जब किसी राजा को मारा जाय या कोई एमर्जेंसी आये। एमरर्जेंसी पावर हमरे संविधान में भी है। एमर्जेंसी क्या है यह मैं इस आदरणीय सदन को नहीं बतलाना चाहता।

अधिक समय न लेते हुये मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेन्स है आखिर किस चीज के लिये निकाला गया ? फीस के लिये ! इसके लिये कोई अथारिटीज होंगी जिन्होंने यह कहा होगा कि आर्डिनेन्स किस मामले में निकालना चाहिये। मैं जैसा पहले कह चुका हूं अमेरिका में एक ऐक्ट बना दिया गया कि इस तरह का कोई आर्डिनेन्स नहीं होगा और किसी भी व्यक्ति को जो फीस देता है, न्याय खरीदता है तो हमारे लिये लज्जा की बात होगी। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से कहूंगा कि वे जरा तवज्जह दें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि १, २ मिनट में आप खत्म करें। १ बजे के पहले इस पर राय भी लेना है।

श्री प्रतापसिंह--मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं आपकी आज्ञा से जरा यह भी पढ़े देता हूं :--

"Every subject of the Commonwealth ought to find a certain remedy by having recourse to the laws for all injuries or wrongs which he may receive in his person, property, or character. He ought to obtain right and justice freely, and without being obliged to purchase it ; completely and without any denial ; promptly, and without delay, conformably to the laws."

यह जो आर्डिनेन्स है वह इसलिये है कि फीस जो एक्सेस में ली गई है उसे वापस न लिया जाय। १८०७ में दूसरे मुल्कों ने कह दिया कि किसी व्यक्ति को न्याय को न खरीदने का और न बेचने का अधिकार है। यह हमारे देश के लिये लज्जा की बात है। इसलिये उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों के लिये जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर है इस तरह का आर्डिनेन्स लाना लज्जा की बात है। जनतंत्र प्रणाली में आर्डिनेन्स का क्या रूप होना चाहिये उसका रेफरेन्स मैं कोर्ट फीस के साथ देना चाहता हूं। उसमें जस्टिस एफ० स्टोन ने कहा है :--

"It is a matter of life and death for a democracy because a democracy cannot survive if it cannot find a way to make its administration of justice competent."

यह काम्पीटेण्ट जस्टिस नहीं है कि आप एक आर्डिनेन्स जारी करें और कहें कि आपसे फीस ली जायगी। आखिर में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी जबान पर ताला भी लगाया गया। वह कैसे ? उसके लिये मैं जस्टिस ह्वेग ने जो कहा वह पढ़ना चाहता हूं--

"It is idle to speak of the blessings of liberty unless the poor enjoy the equal protection of the laws."

यहां रूल आफ दी ला है। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव ला नहीं है कि मिनिस्टर के लिये अलग अदालत है और एक रिक्शा वाले के लिये अलग अदालत है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि हमारे सवालों

[श्री प्रतापसिंह]

का जवाब दें और यह भी बतायें कि कौन सी एमर्जेंसी आ गई थी जिसकी वजह से उन्होंने महामान्य राज्यपाल को यह सलाह दी थी कि आर्डिनेन्स निकालें ।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—श्रीमन्, इस संबंध में जो भाषण हुये उन्हें सुन कर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ, इसलिये कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा वही किया गया जो इस सदन ने पहले ही कर दिया था । आप जानते हैं कि कोर्ट फीस ऐक्ट में समय समय पर कई संशोधन हुये, सन् १९४८ में हुआ, सन् १९५२ में हुआ, सन् १९५८ में हुआ और कुल का मकसद यही था कि कोर्ट फीस में कुछ बढ़ोत्तरी की जाय । वह उचित थी, अनुचित थी, मेकाले ने क्या कहा था, हाउस आफ कामन्स में क्या कहा गया, कहीं दुनिया में कोर्ट फीस लगती है या नहीं लगती है, ये जितने प्रश्न हैं उनका इस आर्डिनेन्स से कोई संबंध मेरी समझ में नहीं है । इस सदन ने बिल पास किया । जिस समय वह संशोधन ऐक्ट पास हुआ उससे तो यह स्पष्ट है कि मन्शा इस सदन की थी कि कोर्ट फीस में बढ़ोत्तरी की जाय । उसमें कोई कानून बनाने वाले की भी गलती नहीं थी । यही मन्शा था और यही किया गया । बम्बई में भी यही किया गया था । यहां उसका कोई मुकदमा भी नहीं हुआ बम्बई में एक मुकदमा हुआ था और वह मुकदमा सप्रीम कोर्ट तक भी गया । वह मुकदमा मेरे पास है और कानून की किताबों में भी छपा हुआ है । उसमें उन्होंने एक निर्णय दिया था और उस निर्णय की मन्शा यह थी कि जिस समय कोई मुकदमा दायर करता है तो उस समय जो कोर्ट फीस होती है वह उस पर लगाता है और यह भी उसका अधिकार सुरक्षित है कि अगर वह अपील करे तो यह माना जायगा कि अपील का मुकदमा ओरिजिनल मुकदमें से कोई जुदा नहीं है बल्कि उसके लगाव में वह एक ही मुकदमा है इसलिये वही कोर्ट फीस अपील पर भी लगेगी जो ओरिजिनल सूट पर लगी थी ।

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुये ।)

जिस समय सदन ने कोर्ट फीस में संशोधन किया था उसका यह मन्शा नहीं था । सदन का मन्शा यही था कि कोर्ट फीस में जो वृद्धि की जा रही है वह वृद्धि अपील के लिये, सब के लिये लागू होगी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला हो गया इसलिये यह समझा गया कि यह ठीक ही होगा कि हम आर्डिनेन्स के जरिये से यह सुरक्षित कर लें कि जो कोर्ट फीस अदा हो चुकी है वह हम से मांगी न जाय । सदन की मंशा यह थी कि मुकदमों पर उतनी ही कोर्ट फीस ली जाय और उसी के अनुसार कोर्ट फीस ली गई । लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हो गया कि जिस रोज पहली बार मुकदमा दायर हुआ उस समय जितनी कोर्ट फीस लगती थी, उतनी ही कोर्ट फीस मुकदमें के अन्त तक रहेगी चाहे वह अपील में जाय, उतनी ही कोर्ट फीस ली जायगी, अधिक नहीं ली जा सकती है क्योंकि वह एक ही मुकदमा समझा जायगा । जब यह फैसला हुआ तो बहुत-सी दरख्वास्तें पड़ने लगीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो हमसे ज्यादा कोर्ट फीस ली गई है वह वापस मिलनी चाहिये । अब यह तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब जगह लागू होगा और जब कोर्ट फीस की वापसी की दरख्वास्तें पड़ने लगेंगीं तो यह ठीक समझा गया कि जो सदन की राय थी और जिसको उसने कोर्ट फीस (संशोधन) ऐक्ट के जरिये जाहिर किया था उसी के अनुसार कोर्ट फीस लेना चाहिये और उसी का हमने पालन किया ।

आर्डिनेन्स जारी करने की जरूरत इसलिये पड़ी कि उस समय विधान सभा नहीं थी । इस में किसी को खुशी नहीं होती कि विधान सभा है तो उसको भंग कर दिया जाय और फिर आर्डिनेन्स निकाल दिया जाय और छः महीने के बाद वह फिर विधान सभा के सामने आये । उस समय अर्जेंसी यह थी कि बहुत-सी दरख्वास्तें पड़ने लगी थीं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो कोर्ट फीस ज्यादा ली गई वह वापस की जाय । सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह तय हुआ कि इस ऐक्ट के पास होने के बाद जो मुकदमें दायर होंगे उन पर ही यह फीस लग सकती है, पुराने मुकदमों पर नहीं ली जायगी । सदन की मंशा यह नहीं थी बल्कि यह थी कि जो भी अपील दायर हों उन पर भी फीस ली जाय, लेकिन यह फैसला हो गया कि वह फीस नहीं ले सकते हैं

बल्कि वही लेनी पड़ेगी जो पहले आप लेते थे। इसलिये यह आर्डिनेन्स निकाला गया और उस समय विधान सभा नहीं थी, इसलिये जरूरत पड़ी कि जो रुपया हमारे यहां जमा हो चुका है वह वापस न करना पड़े, इसलिये हमने यह किया। यह आपके सामने आयेगा।

श्रीमन्, आज मैंने एक नई बात सीखी कि सोशलिस्ट स्टेट में टैक्स नहीं लिये जायेंगे। गौरीशंकर राय जी ने कहा कि आप बात तो सोशलिस्ट स्टेट की करते हैं और टैक्स भी बढ़ाते जाते हैं। यह मुझे एक नई बात मालूम हुई।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—आप न्यायालय में जाने के अधिकार से तो वंचित न करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सोशलिस्ट स्टेट जिसका कि यह दावा है कि वही एक सोशलिस्ट स्टेट है यानी रूस, वहां जजों को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है वहां पर निश्चित लोग हैं। वक्तन-फवक्तन जा कर फैसला करते हैं। लेकिन जब हमारा सिस्टम यहां यह है कि हमको उनको तनख्वाह देनी पड़ती है, तो कहीं न कहीं से उसको लाना ही पड़ेगा। जज किसका काम करता है? जज तो उसका काम करता है, जो उसके पास जाता है और कहता है कि हमारे साथ यह अन्याय हुआ है, हमारे पड़ोसी ने हमारे साथ यह अन्याय किया है आप इसका फैसला कर दीजिये। तो वह उसके पालन-पोषण के लिये भी देता है। या तो देश बड़ा धनी होता कि कोर्ट फीस को वह खत्म कर देता। वह एक आइडियल स्टेट होगी। मैं इस सिद्धान्त को बुरा नहीं मानता। यह प्रत्येक सरकार का काम है कि वह एक दूसरे के झगड़े के निपटारे का प्रबन्ध करे और उससे कुछ लेना नहीं चाहिये, यह भी ठीक है। लेकिन मजबूरी है। हमारा देश इतना धनी है नहीं, हम कर नहीं सकते। इतना बड़ा देश, इतने यहां नागरिक, इतने यहां मुकदमें, इतना उसका आडम्बर और वह न लिया जाय तो किसी मद से तो देना ही पड़ेगा। यह तो आप कहेंगे नहीं कि जो कर्मचारी हैं कचहरी में उनको तनख्वाह न दी जाय या जज को तनख्वाह न दी जाय। आप यह कहेंगे कि तनख्वाह तो दी जाय, बल्कि आप यह भी कहेंगे कि तनख्वाह में वृद्धि भी की जाय।

श्री प्रतापसिंह—आन दि प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अभी कुर्सी से यह व्यवस्था हुई कि हम आर्डिनेन्स पर ही बोलें। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि आर्डिनेन्स में डेमोक्रेटिक सेट-अप का क्या स्थान है?

श्री अधिष्ठाता—आप कृपया स्थान ग्रहण करें। यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं पहले कह चुका हूं कि यह इससे परे है। विषयांतर हो रहा है। लेकिन मनें यहां बैठे-बैठे यह सुना कि विपक्ष के किसी माननीय सदस्य ने सिवा इसके कुछ कहा भी नहीं। आर्डिनेन्स की क्या आवश्यकता थी वह तो मैंने आप को बता दिया। विधान सभा की बैठक नहीं हो रही थी, रुपया हमसे इतना मांगा जा रहा था। अगर यह आर्डिनेन्स नहीं होता तो कानूनन हमारे लिये रुपया वापस करने की मजबूरी थी।

(व्यवधान)

आप ही मुझसे कहते हैं कि विषयांतर कर रहे हैं और आप ही ऐसा प्रश्न उठाते हैं, जिसका इससे कोई मतलब नहीं। मैंने पहले ही कहा कि न यह उसके लिये स्थान है और न यह समय है कि क्यों विधान सभा नही बुलाई गई। आपको यही तो ऐतराज हो सकता है कि आर्डिनेन्स कर दिया गया। अगर विधान सभा बैठी होती तो यह कानून के रूप में आपके सामने आता। वह कानून छः महीने के अन्दर आपके सामने आयेगा ही। उसमें इतनी देर हो गई, यह कोई इतना बड़ा जर्म नहीं हो गया कि आपको वंचित कर दिया। एक दो महीने के लिये अगर कानून बना सकें, तो यह कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं हो गया। वह तो आपको अवकाश मिलेगा।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

हम बिल ले आयेंगे । संभव है कि थोड़े दिन में ले आयें । हम यह समझते थे कि इतना रुपया वापस करना हमारे प्रान्त के हित में नहीं है । जिस वक्त उन्होंने दिया उनको कोई इसका खयाल नहीं था कि हम ज्यादा दे रहे हैं । उन्होंने यह समझ कर कोर्ट फीस लगाई कि इतना देना हो चाहिये । लेकिन एक फैसला हुआ जिसके मानी यह निकले । इसलिये मैंने उनके साथ कोई ज्यादती तो की नहीं । जो फीस उन्होंने खुशी-खुशी दी थी उसका एक अंश वापस न हो जाय इसीलिये यह आर्डिनेन्स निकाला गया । इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि यह सदन इसको मंजूर करेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता जी, कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० पर जो निरनुमोदन के प्रस्ताव आये हैं, उनके समर्थन में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं ।

पहली बात--माननीय मंत्री जी ने अभी फरमाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि सदन अब बैठे या कुछ दिन बाद के लिए स्थगित हो जाय । श्रीमन्, इसमें दो प्रश्न हैं । एक प्रश्न तो यह है कि सदन जल्दी बुलाया नहीं गया । इससे भी अहमियत रखने वाला प्रश्न यह है कि सदन क्यों स्थगित किया गया ? जब श्रीमन्, बम्बई की फिल्म एक्सचेंज कम्पनी की वाद पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दे दिया जिसके अनुसार कि करोड़ों, लाखों रुपये की धनराशि का नुकसान होने जा रहा था तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा बिलकुल निश्चयात्मक रूप से कि सदन की बैठक जब दो दिन हुई तो कौन सी ऐसी बात हुई कि इतना नुकसान उठा कर भी सदन स्थगित कर दिया गया ? मैं पार्टी के आन्तरिक दांवपेंच में नहीं जाना चाहता लेकिन सरकारी सत्तारूढ़ पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और यह जो ज्ञापन इसमें लिखा हुआ है यह भी माननीय वित्त मंत्री श्री सैयद अली जहीर के नाम से है, यह माननीय मंत्री जी उस समय नहीं थे, तो अगर यह बहुत जरूरी मालूम हुआ तो उसी समय सैयद अली जहीर साहब और सम्पूर्णानन्द जी की सरकार ने सदन को स्थगित क्यों कर दिया, क्यों नहीं उसी समय सदन के सामने इसको लाये । फिर उसके बाद जब सदन स्थगित हो गया तो दूध की धोयी यह दूसरी सरकार जो आयी उसने फिर सदन को क्यों नहीं बुलाया ? इसलिए इसने ऐसा किया कि अध्यादेशों के बल पर सारे प्रदेश की साढ़े छः करोड़ जनता पर राज्य करना था । अपने फायदे के लिए, पार्टी के फायदे के लिए ऐसा किया गया, जनहित के दृष्टिकोण से नहीं किया गया ।

इसमें श्रीमन्, है क्या ? एक छोटी-सी बात है और बड़ी-सी बात है । सुप्रीम कोर्ट ने सहज न्याय भाव से यह फैसला किया कि जिस दिन कोई वाद उपस्थित होता है उस दिन जिस दर से कोर्ट फीस ली गई है वही कोर्ट फीस की दर अपील के समय भी होनी चाहिए क्योंकि जब किसी वाद का निर्णय हो जाता है तो अपील उसमें निहित हो जाती है । तो जो दर मुकदमा निर्णय होने के दिन लागू थी वही अपील में भी लागू होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता--निर्णय होने के दिन या फाइल होने के दिन ?

श्री उग्रसेन--सरकार यह कहती है कि नहीं, जब मुकदमा फाइल किया जाय, प्रेजेन्ट किया जाय तब जो रेट हो वह लागू किया जाय ताकि उसके द्वारा बढ़ाया हुआ रेट लागू हो जाय ।

श्रीमन्, पहली बात तो यह कहनी है कि आर्डिनेंस के बल पर राज्य करने के लिए सरकार ने सदन को स्थगित किया और सरकार ने पुनः सदन नहीं बुलाया ।

दूसरी बात श्रीमन्, यह कि न्याय का मंशा क्या है ? माननीय मंत्री जी स्वयं बड़े सिद्धहस्त अपने जौनपुर जिले के एक वकील भी हैं । ला की मंशा श्रीमन्, यह है कि चाहे ९९ दोषी भले ही मुक्त हो जायं मगर एक भी बेगुनाह नहीं फांसा जाना चाहिए । यह न्याय की मंशा है । सुप्रीम कोर्ट ने इसी की तहत में अपना फैसला भी दे दिया । लेकिन माननीय

मंत्री जी बेगुनाहों का खून कर रहे हैं । इसमें क्या हो रहा है ? श्रीमन्, इसमें न्याय का गला घोंटा जा रहा है । अभी आपने रूस और चीन का उदाहरण दिया । यह सही बात है कि मैं भी रूस और चीन की बहुत-सी बातों का विरोधी हूं । लेकिन श्रीमन्, यह भी बात सही है कि रूस और चीन में न्याय सस्ता है । अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस धावन ने एक रूलिंग दी है एक रेलवे कर्मचारी के केस में जिसमें हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट ने अपील दायर की थी । उस रूलिंग में उन्होंने कहा है---वह श्रीमन्, अंग्रेजी में है---उसका मतलब यह है कि आज हिन्दुस्तान का न्याय है अशोक होटल । यदि कोई अफोर्ड कर सके तो वही हिन्दुस्तान का न्याय प्राप्त कर सकता है क्योंकि एक मामूली मजदूर तक का मामला लेबर ट्रिब्यूनल अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है । और फिर माननीय मंत्री जी उसको अपने अध्यादेश से और भी मंहगा बनाने जा रहे हैं । श्रीमन्, ५ रुपये में पहले हम रिट में चले जाते थे । अब वह ५० रुपया हो गया है ।

सरकार की एक इस कार्यवाही की मैं बहुत भर्त्सना करना चाहता हूं कि सरकार अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए बड़े से बड़ा गुनाह हो जाय, वह भी करने के लिए तैयार हो जाती है और शाबाशी लेना चाहती है । बम्बई के मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था लेकिन हमारी प्रदेशीय सरकार ने भी सोचा कि एक अध्यादेश जारी करके अपने घर को बचा लिया जाय वरना यहां पर नेचुरल जस्टिस लोगों को देना पड़ेगा । वह नहीं होने पायेगी । यह सरकार अध्यादेश जारी करके राज्य करना चाहती है । यह सरकार न्याय को इतना महंगा करना चाहती है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं । पता नहीं यह सरकार किस कोने में जाकर टकरायेगी ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रूस के जजों को तनख्वाह नहीं मिलती । मैं उनको बतलाऊं कि रूस के जो जज होते हैं वह बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं । उनको वहां की सरकार जितना देती है उसका शतांश भी यह सरकार नहीं दे सकती है । यूगोस्लेविया में बड़े-बड़े लोगों की एक कालोनी है जहां पर एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं । उनको क्या मालूम कि वहां के मजदूरों की दशा क्या है और कितनी उनको तनख्वाह मिलती है । विलायत के मजदूर को कितनी तनख्वाह मिलती है इसका उनको पता नहीं है । वहां पर करोड़ों रुपया योजना से बचाया नहीं जाता है । वहां तो योजनाओं को पूरा किया जाता है । ५ साल की योजना को ४ साल में पूरा कर दिया जाता है । चाहे जिस तरीके से उसको पूरा किया जाता है । यहां की तरह से नहीं कि ५ साल की योजना को ७ साल में पूरा किया जाय । यहां पर तो एक योजना दूसरी योजना में घुस जाती है । इस सदन में कई बार इसका जिक्र आ चुका है कि कई करोड़ रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये इस्तेमाल नहीं किया गया । इस वजह से जिस रूप में भारत सरकार की ओर से यह अध्यादेश लाया गया है वह बिलकुल न्याय का गला घोटने वाला तरीका है । यदि इसी तरह से अध्यादेशों के बल पर प्रदेशीय सरकार ने शासन करने की ओर कदम उठाया तो सोशलिस्ट पार्टी ने यह कहा है और फिर कहती है कि वह इसका जमकर मुकाबला करेगी ।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस छोटे से आर्डिनेंस पर इतनी लम्बी बहस कल से सुन रहा हूं । मुझे आश्चर्य है कि माननीय मंत्री जी के स्पष्टीकरण के बाद और बहुत-सी स्पष्ट स्पीचों के बाद भी हमारे माननीय उग्रसेन जी, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य की समझ में यह आर्डिनेंस की व्यवस्था नहीं आई । इसका मुझे सख्त अफसोस है । उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि यह जो सरकार आई है यह केवल आर्डिनेंस के बल पर शासन चलाना चाहती है । एक बड़ा भारी रिमार्क उन्होंने इस सरकार पर कर दिया । यह बात उन्होंने बिना सोचे समझे कही है । यह बात कहां तक सच से परे है, इसका न्याय करने के लिये मैं आपको स्वयं सामने रखना चाहता हूं । विधान से हमारे उग्रसेन जी परिचित हैं । वह जानते हैं कि आर्डिनेंस के निकालने के बाद भी कोई सरकार इस बात से बच नहीं

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

सकती कि वह सरकार उस आर्डिनेंस को ऐक्ट के रूप में हमारे सामने न लायें। यदि विधान में यह गुंजायश होती कि आर्डिनेंस निकाल कर सरकार अपनी मंशा पूरी कर ले तो उसकी व्यवस्था विधान के अन्दर होती जिससे उस आर्डिनेंस को विधान सभा क सामन लाने की आवश्यकता न रह जाय। उस आर्डिनेंस को निकालने के बाद सरकार ने बराबर अपनी बात को बतलाया है कि यह कठिनाई उसके सामने रही। उससे उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की है। इसलिये यह दलील जो दी गई है वह बिलकुल न्यायसंगत नहीं है। वह दलील तर्क से परे है।

यदि इस छोटे से आर्डिनेंस को देखा जाय जो हमारे सामने इस रूप में यह आया है तो इसमें कोई नई चीज नहीं क्रियेट की गई है जो कि एक्स्ट्रा आर्डिनरी चीज हो और विधान सभा के सदस्य उससे चौंक जायं। इसमें सरकार का मंशा एक नये सिरे से आया है, और मैं समझता कि इसमें कुछ बहस होने की गुंजायश थी। उसके अंदर जो सरकार ने मंशा व्यक्त की है वह तो हमारे विधान सभा के सदस्यों की मंशा थी, उनके विचारों का समावेश किया गया है उसमें। और माननीय मंत्री जी ने इसका पूरे तौर से स्पष्टीकरण दे दिया कि विधान सभा में सन् १९४८ में, १९५२ में और १९५८ में कई बार इस बात को माना गया है कि प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए कोर्ट फीस में वृद्धि की जानी चाहिये। उसी मंशा की तहत में, न तो कोई नई वृद्धि की गयी है और न कोई नयी फीस लगायी गयी है, केवल जो एक अमेंडिंग ऐक्ट विधान सभा ने पास किर दिया था उसी को मेन्टेन करने के लिये यह लाया गया है और वह इसलिये कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हो गया है उसके अनुसार कहीं वह इन्वैलिड न हो जाय और विधान सभा के सदस्यों की मंशा भंग न हो जाय। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार की कौन सी बदनीयती छिपी हुई है, कौन सी उसकी डिक्टेटरशिप है, कौन-सा षडयंत्र है जिसकी दुहाई बार-बार यहां दी जा रही है। बार-बार यहां कहा गया कि पार्टी की तिकड़मबाजी से, खटपट के कारण यह सब किया गया। इसके लिये तो हमें माननीय मंत्री जी का आभार मानना चाहिये कि हमारे विचारों को मेन्टेन करने के लिये जब हम यहां नहीं थे, जब सेशन नहीं हो रहा था, उन्होंने यह आर्डिनेन्स निकाल दिया और उस के ६ हफ्ते के अन्दर ही वह हमें मौका देंगे, मौका देने के लिये बाध्य होंगे कि उस पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकें और उनका एप्रीशियेशन कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन-सी नयी बात है जिसमें कि बहस और चर्चा का सवाल है। यह जरूर है कि यहां विद्वान लोग हैं, गौरीशंकर राय जी ने डाक्टर मेकाले की एक किताब निकाल ली, इंग्लैंड की पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स निकाल कर पूरी पोथी इस सिलसिले में पेश कर दी.....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, हमारे माननीय सदस्य उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो कि यहां पहले कही जा चुकी हैं। या तो उन्हें माननीय मंत्री कह चुके हैं अथवा अन्य कोई और सदस्य। तो यह कहां तक ठीक है?

श्री अधिष्ठाता---जब वह अपने तर्क दोहरायेंगे तो मैं स्वयं उन्हें रोक दूंगा। किसी माननीय सदस्य को दूसरे सदस्य की बातों का जवाब देने का अधिकार है।

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं यह कहना चाहता हूं कि दोहराने से, तिहराने से, अगर किसी तरह से भी अवस्थी जी के दिमाग में यह बात आ जाय कि इस आर्डिनेंस का मंशा क्या है, तो यह बहस समाप्त हो ताकि सदन का समय बचे और व्यर्थ बहस न की जाय। कोर्ट फीस के सिद्धान्त पर कोई बहस यहां सदन में नहीं हो रही है। जितनी भी स्पीचेज विरोधी दल की ओर से दी जा रही हैं कि कोर्ट फीस लगायी जाय अथवा नहीं, न्याय महंगा है अथवा नहीं, न्याय बेचा जाता है इस देश में, आदि सब तर्क ऐक्ट की बहस में आ सकते हैं। यहां जो-जो रूलिंग हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके अनुसार अगर किसी ने अपील कर रखी है और उस पर कोई कोर्ट फ़ीस लगायी है तो सरकार बाध्य होगी कि उसकी कोर्ट फीस रिफंड की जाय, वह रिफंड न की

जाय इसके लिये जो पहले विधान सभा से एक विधान हो चुका है, वह मेन्टेन रहे इसके लिये यह आर्डिनेन्स लाया गया है। अधिष्ठाता महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा वरना उसी जुर्म का भागीदार होऊंगा जो कि विरोधी कर रहे हैं। इसलिये मैं क्षमा चाहता हूं और चाहता हूं कि जो संकल्प आया है उसे सदन गिरा दे और जो आर्डिनेंस हमारे सामने है उसको पास कर दिया जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस निरनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुझे माननीय वित्त मंत्री के भाषण को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ है। उन्होंने यह बताया कि जो आर्डिनेंस पास हुए हैं वे उचित थे और इस बात को साबित करने के लिये उन्होंने ऐसी दलीलें दी हैं जो प्रजातंत्र की बुनियाद पर आघात करती हैं, जिस समझदारी से उनको पेश किया जाता है मैं समझता हूं वह समझदारी बड़ी खतरनाक समझदारी होगी। श्रीमन्, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकतीं कि आर्डिनेंस उन्हीं परिस्थितियों में जारी करना चाहिये जिनका उल्लेख हमारे संविधान में निहित हैं और जो उसकी मंशा है और जब उनकी नितान्त आवश्यकता हो और गवर्नर महोदय स्वयं उसकी आवश्यकता से संतुष्ट भी हों। उस की आवश्यकता इतनी अधिक हो और फिर उस समय विधान मंडल की बैठक करना भी असम्भव हो। ऐसे समय में उसको जारी करना चाहिये। श्रीमन्, पिछले ३ महीनों में इस सरकार ने ७ आर्डिनेंस जारी किये हैं। इस बीच में विधान सभा की बैठक बुलाई जा सकती थी। विरोधी दलों के समस्त नेताओं की तरफ से इसके लिये मांग भी की गयी किन्तु यह सरकार अपनी पार्टीबाजी के झगड़ों में लगी रही और इस सदन की बैठक न बुलाई गयी। आवश्यकता इस बात की थी कि उस समय यह विधान मंडल बैठता लेकिन उसकी बैठक नहीं बुलाई गयी। उस समय तो ऐसा प्रतीत होता था कि विधान मंडल की बैठक सदैव के लिये समाप्त कर दी गयी है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस अवसर का फायदा उठाकर इस सरकार ने इन अध्यादेशों को जारी किया जो ठीक नहीं कहा जा सकता। आज ऐसा स्पष्ट हो चला है कि यह सरकार अध्यादेशों के बल पर ही शासन करना चाहती है। पिछले तीन महीनों का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस सरकार ने केवल अध्यादेशों के बल पर शासन किया है।

श्रीमन्, इसके अलावा यह भी सत्य है जिसे सभी जानते हैं कि यह सरकार भी स्वयं आर्डिनेंस के बल पर ही बनी है। हाई कमान्ड के आर्डर पर बैठक बुलाई गयी, उसके आर्डिनेंस पर इस सरकार का निर्माण हुआ।

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य पार्टी के आन्तरिक मामलों की चर्चा न करें।

श्री चन्द्रजीत यादव--मैं केवल उन परिस्थितियों को ही बता रहा हूं। इस सरकार को आर्डिनेंस लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, क्या उसकी जरूरत थी? यह बात मैं बता रहा हूं। यह सरकार स्वयं आर्डिनेन्स के आधार पर बनी है .....

श्री रामेश्वर प्रसाद--श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि यह सरकार आर्डिनेन्स के जरिये से बनी और हाई कमान्ड के जरिये आर्डिनेंस लाया गया, क्या इस तरह की गलत बात को कहा जा सकता है?

श्री अधिष्ठाता--सदस्य अपनी बात को, चाहे गलत हो या सही, कह सकते हैं। अगर गलत है तो आपको भी बोलने का मौका मिलता है, आप उसे गलत साबित कर सकते हैं, किन्तु आप किसी सदस्य को कोई गलत बात कहने से रोक नहीं सकते।

श्री चन्द्रजीत यादव--श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि यह सरकार तीन महीनों से अध्यादेशों के बल पर ही शासन करती चली आ रही है। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि हम ६ महीने के अन्दर इसको पास कर सकते हैं तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि ६ महीने नहीं

[श्री चन्द्रजीत यादव]

बल्कि ६ सप्ताह के अन्दर ही लाना आवश्यक है अन्यथा इसको फिर हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर यह समझदारी है तो फिर तो यह तर्क दिया जा सकता है कि सरकार, जितने भी विधेयक आते हैं उनको आर्डिनेंस के जरिये से पास कर देगी और फिर कहा जायगा कि आपको शिकायत क्या हो सकती है, ६ सप्ताह के अन्दर हम सदन में पेश कर देंगे। तो कहीं यह प्रथा न अपनायी जाय, इसलिए यह खतरनाक चीज है। इन विचारों की पृष्ठभमि में इस काम को नहीं करना चाहिए। यह दूसरी बात ह कि सरकार इस बात का औचित्य भी सदन के सामने स्पष्ट करे कि कौन-सी विशेष परिस्थिति थी जिसके कारण यह आर्डिनेंस लाना पड़ा।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह कि जब इस प्रकार के आर्डिनेंस जारी किये जाते हैं तो सरकार शुरू से कह रही है कि इस पर विरोधी दल को खुश होना चाहिए था क्योंकि हम करोड़ों रुपया गन्ना सेस का उत्तर प्रदेश में वसूल करना था, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वसूल नहीं कर सकते थे। साथ ही कोर्ट फीस की आवश्यकता कार्य संचालन के लिए और न्याय प्राधिकारियों को वेतन देने के लिए भी है, वह सरकार वसूल नहीं कर सकती, यह लाजिक दी जाती है। अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि विधान सभा के सामने कानून पेश होते हैं, जैसे कि जमींदारी अबालीशन के और लैन्ड सीलिंग के जिनके पेश करने में सरकार अनावश्यक रूप से समय लेती है और उस बिल के सदन में पेश करने में जितना समय लगता है उसमें जमींदार अपनी जमीनों का पट्टा कर देता है और खातों का बटवारा हो जाता है और कानून की मंशा उससे सही मानों में पूरी नहीं होती, जनता को कोई रिलीफ नहीं मिलता। ऐसे अवसर पर अगर आर्डिनेन्स सरकार पास कर दे कि हम प्रदेश की करोड़ों गरीब जनता की मदद करना चाहते हैं ताकि जमीन गलत ढंग से न बट जाय, तब यह तर्क समझ में आ सकता था। लेकिन जब ऐसे कानून आते हैं तो आर्डिनेंस का सहारा नहीं लिया जाता। जब रुपया वसूल करने की बात आती है तो सरकार इस प्रकार के तर्क देती है। मैं आपके जरिये से केवल इतनी ही दरख्वास्त मंत्री जी से करना चाहता हूं कि इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करके आर्डिनेंस का समर्थन सदन से न कराया जाय और हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां कि प्रजातंत्र शैशवावस्था में है और जबकि प्रजातंत्र के ऊपर चारों तरफ से आघात होते हैं, ऐसी परम्पराओं को डालना अनुचित होगा। इन शब्दों के साथ मैं गोविन्दसिंह जी के निरनुमोदन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिश्चन्द अष्ठाना (जिला सीतापुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, काफी देर से बहस हो रही है एक आर्डिनेंस पर, और दिक्कत यह है कि इस तरफ के बैठे हुये लोगों का उसके सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है उससे उधर के बैठे हुये माननीय सदस्य सहमत नहीं हो पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिये कि एक ही समय में दो भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अगर वे आर्डिनेन्स का मंशा वह है जिसको कि हमारे माननीय चन्द्रजीत जी ने अभी व्यक्त किया कि कांग्रेस हाई कमांड या आल इंडिया कांग्रेस कमेटी किसी प्रकार का निदश अपनी छोटी कमेटियों को दे तो वह आर्डिनेन्स और उस माने में आर्डिनेन्स शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो शायद इस तरफ के जो साथी बैठे हुये हैं वह उनके दृष्टिकोण का समर्थन नहीं कर सकेंगे।

आर्डिनेंस या अध्यादेश इस संविधान में एक विशेष स्थिति रखता है और जो माननीय प्रताप सिंह जी ने अभी प्रश्न किया था कि एक डेमोक्रेटिक सेट-अप में आर्डिनेन्स का क्या मंशा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेटिक सेट-अप में आर्डिनेन्स का मंशा वही है जो इस संविधान के अन्दर दिया गया है। तो साफ बात है कि हमारा कांस्टीट्यशन एक डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन है और उस कांस्टीट्यूशन के अन्दर, उस संविधान के अन्दर अध्यादेश का एक स्थान है और वह स्थान यह है कि यदि लेजिस्लेचर किसी समय सेशन में न हो और गवर्नर महोदय इस बात को समझें कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है कि एक विशेष अध्यादेश का लाना आवश्यक है तो वह अध्यादेश प्रचलित किया जा सकता है। बस यह

अध्यादेश का स्थान है एक डेमोक्रेटिक सेट अप में। हम और आप और उस तरफ के बैठे हुये साथी इस बात से इन्कार नहीं करते कि हमारा संविधान एक डेमोक्रेटिक संविधान है। अगरचे हम इस बुनियादी बात को मान लें तो बात साफ है। एक डेमोक्रेटिक संविधान के अन्दर अध्यादेश का जो स्थान है वह लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लें और इस बात पर गौर कर लें कि आया यह अध्यादेश जो पेश किये गये हैं जिस पर आज सदन में बहस हो रही है वह इस डेमोक्रेटिक सेट अप के अन्दर एक माकूल चीज है या नहीं है।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करनी है कि इस कोर्ट फीस के सम्बन्ध में विशेषकर हमारे वह साथी जो समाजवाद के पृष्ठपोषक हैं जैसे माननीय गौरीशंकर जी, प्रतापसिंह जी और उग्रसेन जी, ये लोग विरोध करने के लिये खड़े होते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। वह यह तो समझते ही हैं कि इसमें अपराधियों या क्रिमिनल केसेज में कोर्टफीस का सवाल नहीं है, एड-वेलोरेम कोर्टफीस जो पड़ती है उसका सवाल है। जमीन जायदाद के झगड़ों पर जो वैल्यू (मालियत) के हिसाब से कोर्ट फीस पड़ती है उसी से इसका मंशा है। हमारे समाजवादी भाई तो जमीन जायदाद को कम करना चाहते हैं। इसलिये अगर कोई व्यक्ति जमीन जायदाद के लिये झगड़ा करना चाहता है और अगर वह अदालत में जाता है और उसको वहां पर कोर्ट फीस देनी पड़ती है तो आखिर इस में परेशानी क्या है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों में जो व्यक्ति जबरदस्ती मुकदमा दायर करता है और अदालत में हार जाता है, उसका अधिकार साबित नहीं होता तो असली वारिस को कोर्टफीस और दूसरे खर्चे लगा करके डिग्री मिल जाती है और वह व्यक्ति उसका भुगतान करता है जिसका कि हक साबित नहीं होता। इस तरह से कोर्टफीस उसको नहीं देनी पड़ती जोकि जमीन जायदाद का असली अधिकारी होता है। इसलिये कोर्ट फीस ऐसा व्यक्ति देता है जिसका जमीन जायदाद से कोई मतलब नहीं था, उसने गलत मुकदमा दायर किया था और उसका दावा सही साबित नहीं होता है। इसलिये मैं समझता हूं कि समाजवादी सदस्यों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील में जोकि बाम्बे प्रान्त से गई हुई थी इस बात का फैसला किया कि जिस वक्त एक सूट या मुकदमा दायर किया जाता है उस वक्त जो कोर्टफीस उसमें दी गई है, उसके अन्दर यह मंशा निहित होता है और मुकदमा दायर करने वाले के लिये अधिकार होता है कि आगे चल करके उसको वह अपील भी कर सके। तो मुकदमा दायर करते वक्त जो कोर्टफीस देता है उसी दर पर अपील के समय भी कोर्ट फीस देना चाहिये। यह सिद्धांत उन्होंने उसमें रखा। आप देखें कि इस प्रदेश के अन्दर कोर्टफीस के तीन अमेंडमेंट्स १९४८, १९५२ और १९५८ में हुये। सन् १९४८ में इस विधान सभा और विधान मंडल की यह मंशा थी कि कोर्टफीस की जो दर पिछली थी उसको कुछ बढ़ाया जाय। यह इस सदन के कानून की मंशा थी। मान लीजिये उदाहरण के लिये सन् १९४७ में किसी व्यक्ति ने एक दावा दायर किया और उस पर एक विशेष दर से जो सन् १९४८ से पहले प्रचलित थी, उसने कोर्टफीस लगाई। और उसके बाद सन् १९४८ और १९४९ यानी दो साल मुकदमा लड़ा गया। और १९४९ में एक पार्टी हार गई और फिर अपील में जाने के लिये ऐसा होगा कि १९४८ में जो कोर्टफीस में अमेंडमेंट किया गया था उसके मुताबिक नये दर पर एडवेलोरम कोर्टफीस लगनी चाहिये। अब सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में यहां कहा कि १९४७ में जब दावा दायर किया गया था उस वक्त की दर रहनी चाहिये क्योंकि अपील में जाने का अधिकार उसी वक्त निहित था जब उसने सूट फाइल किया था। लकिन हमारे विधान मंडल ने तय कर दिया कि हमारी मंशा यह है कि हम कोर्टफीस इस निश्चित दर पर लेंगे। तो अगर उसके अन्दर यह टेक्निकल डिफीकल्टी किसी तरह से आई और उसको इस अध्यादेश के द्वारा हमने सही करने की कोशिश की तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन से उसूलों का खंडन हो गया। जिसको विधान मंडल ने पास किया उसी को हमने माना अगर किसी कानूनी टेक्नीकलटीज की वजह से हम उसे मनवा नहीं सके तो इस अध्यादेश के जरिये यही कोशिश की गई है। हमारी बदकिस्मती है कि हम शब्दों

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

के जाल में प्रिजुडिस होकर फंसते हैं। आजादी के पहले आर्डिनेंस शब्द का एक ऐसा गलत प्रयोग हुआ करता था कि अब भी वही चीज लोगों के दिमाग में मालूम होती है। आज के लेजिस्लेटिव पैटर्न में आर्डिनेंस का एक विशेष स्थान है जो अधिकार गवर्नर को दिया गया है।

श्री सुरथ बहादुर शाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---१ बजे से २ बजे तक कोरम की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कनवेंशन हाउस का है।

श्री चन्द्रजीत यादव---लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य कोरम के प्रश्न को उठाना चाहें तो वह उठा सकते हैं। वह माना जायगा।

श्री अधिष्ठाता---परम्परा यही रही है कि उस पर इनसिस्ट नहीं किया जायगा।

श्री प्रतापसिंह---रूल्स के मुताबिक कोरम होना बहुत जरूरी है। परम्परा को निभाना तो उस साइड का फर्ज है।

श्री अधिष्ठाता---हाउस के बनाये कनवेंशन को हाउस ही बदल सकता है। जब तक हाउस की ऐसी राय न मालूम हो, मैं नही बदल सकता।

श्री चन्द्रजीत यादव---पहले रूलिंग यह हो चुकी है कि इस बीच में अगर कोई माननीय सदस्य कोरम का प्रश्न उठा देंगे तो वह माना जायगा। तो क्या इसका निर्णय आप हाउस का वोट लेकर करेंगे?

श्री अधिष्ठाता---मैं इस प्रश्न को माननीय स्पीकर के सामने रख दूंगा। २ बजे के बाद जब कोरम की जरूरत होगी, तब तय हो जायगा।

श्री सुरथ बहादुर शाह---श्रीमन्, परम्परा तो मैं भी जानता हूं। लकिन चूंकि यहां परम्परा का लिहाज किसी भी चीज में नहीं किया जा रहा है, इसलिये मैंने यह प्रश्न उठाया।

श्री अधिष्ठाता---यह सदन का अपमान है कि यह कहा जाय कि सदन में किसी परम्परा का लिहाज नहीं किया जा रहा है। श्री अष्ठाना अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना---मान्यवर, ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स के बारे में यहां कहा गया। लेकिन वहां की परम्पराओं को हम उसी समय मानेंगे जबकि हमारा संविधान किसी बात के बारे में चुप होगा। जिन बातों के बारे में हमारा संविधान साफ है उनके लिये भी हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की पद्धति को मानें, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई के ही जमाने में एक एमर्जेंसी ऐक्ट के जरिये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ आर्डिनेंस पास किये थे, वह उदाहरण यहां सही नहीं बैठता है। यहां एमर्जेन्सी लेजिस्लेशन ही अध्यादेश के जरिये नहीं समझा जाना चाहिये। यह कांटिन्जेंसी लेजिस्लेशन समझा जाना चाहिये। इसका अधिकार हमारे संविधान में गवर्नर महोदय को दिया गया है और इसमें कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिये। यह जरूरी नहीं है कि कोई लड़ाई जैसी ही इमर्जेन्सी की बात हो तभी आर्डिनेंस जारी किये जा सकते हैं। अगर सही मानों में संविधान की तर्जुमानी की जाय तो यह बात सही है कि अगर लेजिस्लेचर सेशन में न हो और गवर्नर महोदय आवश्यकता समझ कर आर्डिनेंस जारी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधान मंडल का मंशा पहले ही इस कोर्ट फीस को पास करने से मालूम हो चुका था। गवर्नर महोदय ने उसी मंशा की पूर्ति इस अध्यादेश द्वारा की है। एक टेक्नीकल डिफिकल्टी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से, यह करना जरूरी हो गया था। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अध्यादेश का विरोध करने की कोई गुंजायश नहीं रह जाती है।

श्री मोती लाल अवस्थी--अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा बोलने का नहीं था, लेकिन एक माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी बारीकी बताने की कोशिश की, इसलिये मुझे आवश्यक दिखाई दिया कि उनका उत्तर दिया जाय ।

श्रीमन्, आप देखें कि संविधान के बारे में मैंने भी काफी अध्ययन किया है । जो कुछ समझदारी मेरी है उसी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं । हम इस बात को माने लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग की वजह से यह अध्यादेश जारी करना पड़ा लेकिन आर्डिनेंस का औचित्य साबित करना उनका फर्ज था उसे वह नहीं कर पाये, बल्कि अदल-बदल कर दूसरी ही बातें कहने की उन्होंने कोशिश की । इन पिछले ३, ४ महीने के अन्दर बैठक न बुलाकर जिस तरह इस सरकार ने विधान सभा का अनादर-सा किया, एक तिथि मुकर्रर करके अधिवेशन नहीं बुलाया, यह दोहरा अनादर किया । आर्डिनेंस जारी कराके, उसे हमारे ऊपर लाद कर, तिहरा अनादर इस हाउस का इस सरकार ने किया है । इसकी सफाई सरकार की तरफ से आनी चाहिये थी । लेकिन यहां कहा गया कि यह कंटिंजेंसी लेजिस्लेशन था । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह कंटिंजेंसी शब्द किस किताब में लिखा है । ऐसे अवैधानिक शब्दों को वह गढ़ा न करें । हर शब्द का कुछ मूल्य और अर्थ हुआ करता है । अपने मन से गढ़ कर उसे प्रयोग में ला देना उन्हीं के लिये श्रेय हो सकता है, अन्यथा यह निर्मूल बात है । एमर्जेंसी लेजिस्लेशन तो होता है और हम जानते हैं कि उसके लिये कौन समय उपयुक्त होता है । उसकी उस समय आवश्यकता होती है जबकि कोई युद्ध इत्यादि हो या वैधानिक संकट हो या देश में और कोई बड़ी वर्ग द्वेष आदि की आपत्ति आई हुई हो । ऐसी कोई बात हमारे देश में नहीं हुई, चीन का हमला भी ऊपर से नहीं दिखाई पड़ रहा है । गवर्नर महोदय ने भी नहीं कहा कि आर्डिनेंस इसलिये जारी किया गया कि किसी हमले की आशंका थी । न यही कहा गया कि वैधानिक संकट है या और कोई आपत्ति देश पर आई हुई है या आने वाली है । यह कहा गया कि हमारी पार्टी के अन्दर कुछ थोड़ा सा उलट-फेर हुआ । कोई कांस्टीट्यूशनल डेडलाक भी नहीं बताया गया । केवल एक पार्टी के अन्दर की बात दिखायी गयी जिसको हम कभी भी कांस्टीट्यूशनल डेडलाक नहीं कह सकते ।

वर्ग विशेष में कोई विद्वेष या झगड़े की बात नहीं थी । इसलिये किसी इमर्जेन्ट लेजिस्लेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी । हमारे सामने विधान मंडल कायम था और उसको बुलाये जाने का भी सरकार के पास काफी समय था लेकिन फिर भी सरकार ने इस प्रकार का काम किया । बाहर और भीतर से दबाव डाला गया और विधान मंडल के अधिवेशन को बुलाकर भी नहीं बुलाया गया । इसका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया गया । कहा गया कि यह इमर्जेंसी लेजिस्लेशन नहीं है कंटिंजेंसी लेजिस्लेशन है । पता नहीं कहां से और किस प्रकार से इन शब्दों को गढ़ लिया जाता है । इसे हम दिमागी फितूर ही समझ सकते हैं ।

कोर्ट फीस के लिये आर्डिनेंस लाने की यह वजह जरूर थी कि सरकार अपने खजाने की रकम में एक पायी की घटोत्तरी देखकर भी घबरा उठती है क्योंकि उसके ऊपर खर्चे का एक अनियमित बोझ लगा हुआ है इसलिये सरकार उसको आगे बढ़ाने के लिये कभी कभी उतावली में कोई कदम उठा बैठती है । सुप्रीम कोर्ट की एक समस्या हमारे सामने आती है और सरकार की उस आमदनी में एक धक्का लगता है । अब उसका यही एक निराकरण हो सकता था कि सरकार हमारे सामने एक विधेयक लाती, उसके तत्वों को हमें समझाती और हम देखते कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानूनी बारीकी निकाल कर इस चीज पर एतराज किया है, वह कहां तक उचित है । लेकिन सरकार ऐसा न करके केवल अपने मस्तिष्क से काम करना चाहती है और ४-४ माह तक हमसे उसके बारे में पूछती भी नहीं है । मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जब भी सरकार की आमदनी में धक्का लगे उसको मनीमैटर्स में हमें पूछना चाहिये क्योंकि विधान सभा उसके लिये सुप्रीम बाडी है । हमें उसके बारे में पूछने का वैधानिक अधिकार है । विधान परिषद् से मनी-मैटर्स में हमें अधिक अधिकार प्राप्त हैं । इस प्रकार से इस सदन को न पूछना, सदन के अधिकारों पर

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कुठाराघात है। जब आर्डिनेंस के बारे में कैफियत देने का समय आता है तो इधर-उधर की बातें कही जाती हैं और टालमटोल की जाती है और तथ्यों से पलायन किया जाता है और फिर उसके ऊपर हमसे हस्ताक्षर लेने की बात कही जाती है। क्योंकि सरकार ने इस अध्यादेश को लाने का कोई ठोक कारण नहीं बताया। इसलिये जो निरनुमोदन का संशोधन हमने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--अधिष्ठाता महोदय, यह जो कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश के बारे में प्रस्ताव सदन में पेश है, उस पर काफी बहस हो चुकी है। माननीय साथियों ने उसमें कुछ वैधानिक और जनतांत्रिक प्रश्न उठायें हैं। मैं स्वयं इस बात को मानता हूं और सब साथी भी मानते होंगे और माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसका संकेत किया कि कानून बनाने का प्राइमरी फंक्शन देश के लिये हमारी पार्लियामेंट और स्टेट्स में विधान मंडलों का है। लेकिन यह भी हम जानते हैं कि कोई भी देश हो या प्रदेश हो, विधान मंडल या वहां की संसद साल में ३६५ दिन नहीं बैठ सकतीं। उन की छुट्टियां होती हैं और ऐसे समय भी होते हैं कि जब अधिवेशन उनके न होते हों और ऐसी हालत में ऐसी परिस्थितियां किसी देश और प्रदेश के सामने आ सकती हैं, उनकी सरकारों के सामने आ सकती हैं कि फौरी परिस्थितियों का मुकाबिला करने के लिये उन को तुरन्त कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाय। यही वजह है कि आर्डिनेंस लाने की पावर संविधान के अनुच्छेद २१३ में दी हुई है।

(इस समय १ बजकर ५६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

यह सही है और एक जनतांत्रिक कनवेंशन भी है और होना भी चाहिये कि आर्डिनेंस बनाने की यह शक्ति या अधिकार जो संविधान में है उस का कम से कम प्रयोग किया जाय। मुझे याद है और माननीय अवस्थी जी को भी याद होगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद विवाद यहां हुआ था उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इन्टरवीन करते हुये बताया था कि वह भी यह मानते हैं कि आर्डिनेंस का सहारा किसी जनतंत्रीय सरकार को जहां तक हो न लेना चाहिये। हमारे और माननीय अवस्थी जी के सिद्धांत में मतभेद नहीं है कि आर्डिनेंस की पावर संविधान में होते हुये भी सरकार को उस का प्रयोग जहां तक सम्भव हो नहीं करना चाहिये। इसको हम भी जानते हैं। यह भी हम सब जानते हैं कि अधिकांश में हमने अपने विधान का बहुत कुछ भाग बटिश पार्लियामेंट से लिया है और वृटिश पार्लियामेंट को ही मदर आफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि जनतांत्रिक गवर्नमेन्ट की हैसियत से जो कनवेंशन्स बृटिश पार्लियामेंट के हैं वही आज दुनिया में सब से अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। मेरे मित्र देखेंगे कि उस पार्लियामेंट में और बृटिश संविधान में भी आर्डिनेंस बनाने का अधिकार वहां की सरकार को है। यह बात दूसरी है कि उन्होंने अपने उस अधिकार के लिये सीमित किया है कि जब इमरजेंसी का समय हो तभी वहां की सरकार आर्डिनेंस ला सकती है और उस का कारण यह है कि आर्डिनेंस के पीछे एक आटोक्रेटिक मनोभावना होती है और जो कानून विधान मंडल बनाता है उसके पीछे एक डेमोक्रेटिक मनोभावना होती है। यह जो ७००-८०० साल का संघर्ष बृटिश पार्लियामेंट में और हाउस आफ कामन्स में और वहां की एग्जिक्यूटिव का है उससे आहिस्ता-आहिस्ता आर्डिनेंस लाने का अधिकार नियंत्रित होता गया और अन्त में यह हुआ कि अगर आर्डिनेंस लाया जा सकता है तो केवल इमरजेंसी में ही लाया जा सकता है।

जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है, मैं बृटिश काल की बात तो नहीं कहता, वह अच्छी चीज नहीं है उस की स्मृति भी अच्छी नहीं है। हमारे संविधान के आर्टिकल २१३ को कई साथियों ने पढ़ा उसके अन्दर जो पावर हैं वह सरकार के लिये अनलिमिटेड पावर देती हैं, उसमें कोई

सीमा या कंट्रोल नहीं है, उसमें एक चीज है कि हाउस जैसे ही बैठे तो ६ सप्ताह के भीतर उस आर्डिनेंस को या तो बिल के रूप में सदन में उपस्थित किया जाय या उसको डिसएप्रूव कर दे वर्ना ६ मास के बाद उसकी मियाद खत्म हो जायगी। इतना नियंत्रण हमारे डेमोक्रेटिक संविधान में है और अगर सरकार निरंकुश भी होना चाहे तो ६ मास से अधिक किसी आर्डिनेंस से नुकसान होने वाला नहीं है। इसके अन्दर यह नियंत्रण है। तो जो प्रश्न हमारे सामने है वह यह है कि आर्टिकिल २१३ में जिन परिस्थितियों का कंटम्प्लेशन है वह परिस्थितियां हमारे सामने थीं या नहीं। मेरे एक साथी गौरीशंकर जी ने एक बात टैक्सेशन के सम्बन्ध में उठाई। वह इस समय यहां नहीं हैं। उन्होंने टैक्सेशन की बात कही। मैं जानता हूं कि यह एक बुनियादी उसूल है ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन का कि "नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन (No taxation without representation)" कोई भी नया टैक्स जब तक कि जो जन प्रतिनिधि हैं उनको वाद-विवाद का मौकान मिले, नहीं लगाया जाना चाहिये यद्यपि इस तरह का कोई प्रतिबन्ध टैक्स लगाने के मामले में प्रदेशीय सरकार के ऊपर नहीं है। फिर जो कोर्ट फीस का यह आर्डिनेंस है यह कोई नये टैक्स के लिये नहीं है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में स्पष्ट किया, जो विधेयक कोर्ट फीस की बढ़ोत्तरी का यह हाउस पास कर चुका है और जिसके ऊपर कोई डायरेक्ट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यू०पी० के बारे में नहीं किया है बल्कि जो बम्बई का कोई केस था उसमें एक फैसला किया है और जिससे यह अंदेशा हुआ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है तो वह सारे देश पर लागू होगा लिहाजा ....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--किस तारीख को हुआ ?

श्री नवल किशोर--वह मंत्री जी बतायेंगे आपको। मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह अंदेशा था कि ऐसा न हो कि जो कोर्ट फीस वसूल की गई है वह वापस करनी पड़े। इसलिये फौरन इस बात की जरूरत थी कि एक आर्डिनेंस के द्वारा उस वसूलयाबी को जो अब तक हो चुकी थी और जो आयन्दा होगी उसको वैलीडेट करने के लिये यह आर्डिनेंस जारी किया जाय.....

श्री हरगोविन्द सिंह--२२ अप्रैल सन् १९६० को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था।

श्री नवल किशोर--तो मैं यह कह रहा था कि इस पर दो ओपीनियन हो सकती हैं कि कोर्ट फीस का बढ़ाया जाना मुनासिब था या नहीं और उसको रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट देना मुनासिब था या नहीं, लेकिन जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं कि वह प्रश्न हमारे सामने नहीं आता।

एक बात जरूर है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, अगर २२ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था तो जरूर एक प्रश्न मेरे सामने भी है कि २२ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाउस को कई बार बैठने का मौका हुआ और जब हाउस को कई बार बैठने का मौका हुआ तो मैं समझता हूं कि मुनासिब यही होता और सही तरीका यही था कि हम अमेन्ड-मेन्ट को विधेयक के रूप में हाउस में ले आते और पास करा देते। लेकिन किसी वजह से वह नहीं हो सका और मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता हूं। तो जब नई सरकार बन कर आई हालांकि यह कोई नई सरकार नहीं है क्योंकि पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन मंत्रि मंडल में परिवर्तन हुआ तो उसने यह देखा और महसूस किया कि किसी वजह से जाने या अनजाने में यह एक लैकुना रह गया कि अमेंडिंग बिल इस सम्बन्ध में पेश नहीं हो सका, लिहाजा उसको आर्डिनेन्स का सहारा लेना पड़ा।

इस सम्बन्ध में मान्यवर, यह भी कहा गया कि जो उपनिवेश हैं, जो कालोनीज हैं उनको छोड़कर कहीं कोर्ट फीस नहीं लगाई जाती। किसी भाई ने यह भी कहा कोर्ट फीस को फीस की हैसियत से देखना चाहिये, उसको टैक्स क रूप में नहीं देखना चाहिये, न उसको सोर्स आफ

[श्री नवलकिशोर]

इन्कम बनाना चाहिये। यह कुछ ऐसे बुनियादी प्रश्न हैं जो जब विधेयक आये उस समय उठ सकते हैं अभी नहीं। बहरहाल यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं यह बातें इस मामले में उठती नहीं हैं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, २,३ मर्तबा कोरम का मसला उठ चुका है और फिर भी कोरम नहीं है। मालूम होता है लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय वही अच्छा है।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि बहुत प्रश्न उठाये गये जिनका कोई सम्बन्ध अध्यादेश से नहीं है। आखिर में जो मुख्य प्वाइंट था वह यह है कि आर्टिकिल २१३ जो अधिकार देता है आर्डिनेंस इश्यू करने का सरकार को, वैसे तो राज्यपाल को, उसके अन्दर सिर्फ २,३ कंडीशन्स हैं। एक तो यह कि उस समय विधान मंडल की बैठक न होती हो। दूसरी बात यह कि परिस्थितियां ऐसी हों कि उनके ऊपर तुरन्त कार्य करने की आवश्यकता हो और राज्यपाल जी को इस बात का विश्वास हो कि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो वह आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर उनको प्रेसीडेंट से परमीशन की जरूरत हो तो परमीशन के बाद वह भी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक ही आपत्ति की गई वह यह कि १२ तारीख को सदन की बैठक थी उसको सरकार ने स्थगित क्यों किया, या राज्यपाल महोदय ने क्यों स्थगित किया। और दूसरा यह, जैसा मोतीलाल अवस्थी जी ने कहा, मुनासिब यह होता कि हाउस की मीटिंग को बुलाते और उसमें इसको पास कराते। श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में १२ तारीख की मीटिंग हटायी गई वे हाउस के सामने कई दफा आ चुकी हैं और बारबार उसको दोहराना मैं मुनासिब नहीं समझता। एक ही प्वाइंट है कि आर्डिनेंस इश्यू करना यह ज्यादा सही था या हाउस की मीटिंग को बुलाकर विधेयक पास कराते यह ज्यादा सही था? यह दो चीजें ऐसी हैं जिन पर हमेशा सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष के अन्दर मतभेद रहेगा और रहता चला आया है। मैं यह समझता हूं जिन परिस्थितियों में और जिन हालात के अन्दर यह सरकार काम कर रही थी उनके अन्दर मजबूरी थी कि उस समय में जब कि हाउस की मीटिंग नहीं चल रही थी और हाउस की मीटिंग इतनी जल्दी नहीं बुलायी जा सकती थी तो एक ही रास्ता था कि आर्डिनेंस को जारी करते या इस बात का खतरा लेते कि जो पैसा वसूल हो गया है उसको वापस करें और आइन्दा की वसूलयाबी को बन्द करें। अतः मैं समझता हूं यह अध्यादेश वैधानिक है और सरकार को जो वैधानिक अधिकार हैं उसके अन्दर हैं।

जहां तक और बातें कही गईं मान्यवर, जब विधेयक इसका पेश होगा उन पर यदि समय मिला तब जाऊंगा। इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव पेश हुआ है मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने बड़ी कृपा करके हमें बता दिया कि जो फैसला हुआ था, जिसकी बिना पर यह बिल बना।

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, जो गलतफहमी इनको हो रही होगी वह मैं बता दूं....

श्री उपाध्यक्ष--फिर आपको मौका मिलेगा।

श्री हरगोविन्दसिंह--एक सूचना दे दूं।

आपने तारीख पूछी थी कि कब फैसला हुआ वह मैंने बतला दी थी। उसमें शायद यह गलतफहमी होगी कि इतने दिन का फैसला था पहले क्यों नहीं विधेयक बना। पहले एक फैसला हुआ लेकिन जब उसके बाद यह फैसला हुआ कि कोर्ट फीस रिफंड होगी तब तय हुआ कि विधेयक बनाया जाय।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उन्होंने मेहरबानी की जो तारीख बतला दी कि वह अप्रैल, ६० की है। सरकार जो कुछ करती है उसके पीछे एक बड़ी बैटेलियन लीगल एडवाइजर्स की होती है। एक फैसला हुआ उसका इंटरप्रिटेशन प्रिज्यूम किया जा सकता है कि लीगल एडवाइजर्स ने सही किया होगा। सवाल यह है कि उस वक्त कोर्ट फीस एंहेंस नहीं हुई थी। सरकार सबसिक्वेंट अमेंडमेंट बिल लाई है। अब चाहे ५७ में या ५८ में अमेंडमेंट हो उसके बाद जब कोर्ट फीस एंहेंस हो जाती है तो लामुहाला उसे रिफंड करना होगा। यही कोर्ट फीस का नियम है कि कोई भी आदमी अपनी ज्यादा कोर्ट फीस रिफंड करा सकता है। १ आना फी रुपया कट जाता है। माननीय वित्त मंत्री स्वयं वकील हैं और वे इस बात को जानते होंगे जब कि छोटी कोर्टस् में वकालत करने वाला मुझ जैसा अदना आदमी यह बात जानता है, तो कयास में यह बात नहीं आ सकती कि सरकार इस बात का डिफेन्स ले कि यह रुपया रिफंड करना होगा इसके लिये कोई दूसरा फैसला हो।

माननीय नवलकिशोर जी आर्डिनेन्स की ताईद में फरमा रहे थे। आपकी आज्ञा से २९ जुलाई, १९५८ को स्वयं उन्होंने एक आर्डिनेंन्स के बारे में क्या कहा था उसे उद्धृत कर देना चाहता हूं प्रतापसिंह जी को उद्धृत कर कहा था "उन्होंने यह कहा कि उस समय स्वशासन मंत्री नें आश्वासन दिया था कि वह यह चाहते हैं कि वह संशोधन विधेयक जल्द से जल्द पास हो जाय ताकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में चुनाव जल्दी हो जायं। उसके बाद उन्होंने इस बात का इल्जाम लगाया कि चुनाव नहीं हो सके और उसके बदले यह आर्डिनेन्स गवर्नमेंट ने इश्यू किया और माननीय मंत्री जी ने ऐसा करके इस हाउस का अपमान किया है"। आज भी उन्होंने दबी जबान से उसी का समर्थन किया लेकिन उनके सारे आर्ग्युमेंट्स संविधान के अनुच्छेद २१३ पर बेस्ड थे। उन्होंन तर्क यह दिया कि जिस दौरान में आर्डिनेन्स बना उस दौरान में असेम्बली बैठी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मंत्री जी ने तारीख बतला दी २२ अप्रैल तो स्वयं माननीय नवलकिशोर जी को महसूस हुआ कि दलील लचर हो गयी। जिस बुनियाद पर उन्होंन महल खड़ा किया था वह सारी की सारी ढह गया। अकेले उन्होंने ही माननीय मंत्री जी का समर्थन किया और बाकी सारे लोगों ने विरोध किया। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी प्रजातांत्रिक पद्धति के आगे सर झुका कर आगे इस तरह की भूल कम से कम न करें और न इस तरह का आर्डिनेन्स लाने की कृपा करें।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि पुरानी सरकार तो आर्डिनेन्स नहीं लाई। बड़े अनुभवी तथा हाशियार आदमी नवलकिशोर जी हैं। इन सारे लेप्सेज की जिम्मेदारी उन्होंने पुरानी सरकार पर डाल दी और यह कहा कि नई सरकार ने उस lacuna का फौरन fill up किया। मैं नवलकिशोर जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा। आर्डिनेन्स तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे ठीक तरह से याद है कि अली जहीर जी के उस पर दस्तखत हैं। तो माने यह हैं कि आर्डिनेन्स तब बन चुका था जब अली जहीर साहब उस वक्त मिनिस्टर थे। सात दिसम्बर या कुछ ऐसे ही उनका इस्तीफा मन्जूर हुआ था। तो कहने का मतलब यह है कि अक्तूबर या नवम्बर जब भी यह बना हो तब अली जहीर साहब यहां मौजूद थे लेकिन बावजूद इसके जैसा कि आदरणीय सदन के उधर बैठने वाले बहुत से सदस्यों ने कहा, चूंकि कांग्रेस के दो गुटों में झगड़ा हो रहा था इसलिये असेम्बली को बन्द कर दिया गया, यानी प्रदेश के सारे कानून बनने इसलिये बन्द हो गये क्योंकि रूलिंग पार्टी के भीतर झगड़ा हो रहा था।

श्रीमन्, इंग्लैंड की पार्लियामेंटरी पद्धति के माननीय नवलकिशोर जी बड़े विद्वान हैं। मैं उनकी तारीफ करता हूं। इस बात की भी तारीफ करता हूं कि अपने वीकेस्ट केस

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

को भी वे अच्छी तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं। आज उन्होंने फिर वही बात कही। मैं उनको आपके जरिये याद दिलाना चाहता हूं कि जब इंग्लैंड में चेम्बरलेन की सरकार थी और म्युनिख में उन्होंने हिटलर के सामने घुटने टेक दिये थे उसके बाद वे हटा दिये गये, दूसरी सरकार आयी, पार्टी वही थी, लेकिन एक दिन के लिये भी आर्डिनेन्स नहीं आया जबकि हिटलर का उनके ऊपर खतरा था। इस तरह की एक नहीं अनेक मिसालें इंग्लैंड की हैं। राज्य परिवर्तन हुआ, पार्टियां बदलीं लेकिन आर्डिनेन्स नहीं आया। तो फिर माननीय नवलकिशोर जी किस मुंह से कहते हैं कि हम तो इंग्लैंड की पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने इस पर बड़ी नाक-भौं सिकोड़ी कि जब अंग्रेज यहां शासन करते थे तो आर्डिनेन्स के जरिये करते थे। लेकिन मैं उनको चैलेन्ज देता हूं कि इतने कम समय में ६–६, ७–७ आर्डिनेन्स हैलेट के जमाने में भी नहीं आये। तो हैलेटशाही को भी आज कांग्रेस वाले मात कर गये। क्यों? इसलिये कि उनकी पार्टी में झगड़ा था। मौका था, यहां पर असेम्बली बुलायी जा सकती थी। यहां पर बड़ा जिक्र चला कि महामहिम राज्यपाल यहां मौजूद नहीं थे और उनके लिखित आदेश इस तरह के नहीं थे कि असेम्बली 'प्रोरोग' की जाय। कहा गया कि हमने टेलीफोन पर पूछ लिया था। क्या हुक्म कहीं टेलीफोन पर हुआ करता है? हाई कोर्ट के जजेज फैसला लिख देते हैं मगर दस्तखत नहीं होते, कई दफा माइन्ड चेन्ज कर देते हैं और तब तक फैसला मुकम्मल नहीं माना जाता जब तक न्यायाधीश के दस्तखत नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष––इस आर्डिनेन्स से उससे क्या सम्बन्ध है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––हमारे संविधान के अनुसार महामहिम राज्यपाल जो भी कार्य करते हैं वह मुख्य मंत्री के सुझाव पर करते हैं। राज्यपाल तो केवल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। उनको तो दस्तखत करना है, उनके दस्तखत पवित्र माने जाते हैं। कलम उनकी होती है लेकिन हाथ मुख्य मंत्री का होता है। तो ए जीक्यूटिव आज लेजिस्लेचर पर हावी होती जा रही है। कम से कम उत्तर प्रदेश में अगर जम्हूरियत को खतरा है वह इससे है कि दिन पर दिन हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शन्स को सरकार यूसर्प करती रहती है? श्रीमन्, आप और माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे हकों के रक्षक हैं। आपको और माननीय अध्यक्ष को चाहिये कि इस सम्बन्ध में जितनी हो सके हमारी सहायता करें। मैं आदरणीय सदन के कांग्रेसी सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि आर्डिनेन्स निकलने से केवल विरोधी दल का ही अपमान होता है बल्कि बहुमतदल के सदस्यों का भी अपमान होता है, यानी लेजिस्लेचर के सारे सदस्यों की तौहीन होती है। सरकार को आज अपनी पार्टी के सदस्यों पर भी विश्वास नहीं है। इससे हमें ठेस पहुंचती है। यही मौके होते हैं जब हम जनता की बातों को यहां पर रख सकते हैं।

मैं आपके द्वारा फिर मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके से भविष्य में आर्डीनेन्स न लायें। इससे यहां की बात वह नहीं करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि वह इसका निरनुमोदन करें।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि यह सदन कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

श्रीमन्, यह अध्यादेश के क्रम में तीसरा है जो आपके सामने इस समय प्रस्तुत है। इस अध्यादेश की पृष्ठभूमि यह है कि उस समय की सरकार को पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ नियमों के बनाने की आवश्यकता पड़ी और इसी सिलसिले में यह अध्यादेश जारी किया गया। यदि आप उन तिथियों को देखें जिनमें यह कार्य किये गये तो जाहिर होगा कि यह कार्य कितने अनुचित रहे हैं। यह अध्यादेश १० दिसम्बर को जारी किया गया था और १२ तारीख को एक पूर्व विज्ञाप्ति के द्वारा विधान सभा की बैठक बुलाने की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। सरकार को पंचायतों के चुनाव के बारे में नया कानून बनाना था। उस के सम्बन्ध में यदि वह अपने पूर्व निश्चय पर दृढ़ रहती तो हम लोगों से राय ले सकती थी। लेकिन ऐसा न करके सरकार ने न केवल अध्यादेश जारी किया बल्कि विधान सभा के अधिवेशन को भी नहीं बुलाया। अपने हाथ में अध्यादेशों के द्वारा सरकार ने शासन करना आरम्भ कर दिया और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से छै अध्यादेश निकले हैं। मैं अपने को इसी अध्यादेश पर ही सीमित रखूंगा और यह दिखाऊंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार अपने निश्चय पर दृढ़ रहती और आधिवेशन बुला लेती तो हम लोग इन सब बातों पर विचार कर लेते। एक बात हमारे सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही थी कि सरकार का निर्माण हुये केवल चन्द रोज ही हुये थे। मैं इस बात को मानता हूं कि ७ तारीख को सरकार नये रूप में आई। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या किसी मुख्य मंत्री को विधायी कार्यों को सीखने के लिये एक लम्बा अरसा चाहिये। मुख्य मंत्री जी पहले भी एक प्रमुख मंत्री रह चुके हैं और उन्हें प्रदेशीय सरकार का शासन चलाने का ज्ञान पहले से था। उन्होंने जब मुख्य मंत्री का पद हासिल किया तो अपने साथियों को उनमें से ही लिया जो पहले कार्य करते थे। ऐसी दशा में यह सोचना कि ऐसे मंत्रि मंडल को सीखना बाकी था और उसके लिये समय चाहिये था, इसलिये विधान मंडल को बुलाना उचित नहीं समझा गया, यह तो उनकी बुद्धि पर तरस खाना होगा, उनकी अयोग्यता का प्रमाण होगा। मैं उनको ऐसा कहना नहीं चाहता लेकिन अगर वह ऐसा कहते हैं तो स्थिति बड़ी दयनीय है।

आप देखें कि एक तो पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में हम लोगों से राय नहीं ली गई और जो अध्यादेश द्वारा शासन किया गया, अध्यादेश के अन्तर्गत ही जो चुनाव किये गये उनमें अनेक अनियमितताएं की गयीं। चुनाव क्या एक तमाशा हुआ। जितने भी कार्य इस अध्यादेश द्वारा किये जाने का प्रयास किया गया वह सब अटपटे से हुए और उनका वह परिणाम नहीं निकला जिसकी अध्यादेश द्वारा आशा की जाती थी। इस अध्यादेश में पहले ही कहा गया है—

"No person who is not, and except as otherwise provided by this Act, every person who is for the time being entered in the register of members, shall be entitled to vote at any election or in any other proceeding under this Act or the Rules framed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat."

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—यह तो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अंग्रेजी में तो है ही।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—सोशलिस्ट पार्टी को तो बहुत एतराज है अंग्रेजी पर।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मुझे बीच में टोक रहे हैं। मैं उन्हीं शब्दों को पढ़ रहा हूं जो सरकार ने लिख कर दिये हैं। यह सरकार हिन्दी तो जानती ही नहीं है। हिन्दी में लिख कर देना ही नहीं जानती।

श्री उपाध्यक्ष--वह आशा कर रहे थे कि आप अनुवाद करके पढ़ेंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर इसका अनुवाद वैधानिक हो तो करूं । यह कानून की भाषा है । मेरा अनुवाद कहीं गलत न हो जाय, यह भी आप जान लें । मैं वही शब्द पढ़ रहा हूं जो कानून के अन्दर हैं, जिसको बक्ता महोदय भी पास करेंगे, जिन्होंने एतराज किया है ।

श्रीमन्, इस अध्यादेश में जो परिवर्तन करने का प्रयास किया गया मैं आप की आज्ञा से उसके पूर्व की स्थिति को बताना चाहता हूं । जिसकी जगह पर सरकार ने रखने की कोशिश की । आप पहले के शब्द देख लें । वह यही थे --

"The provisions of rules 4 to 7 shall *mutatis mutandis* apply in relation to the annual revision as they apply in relation to the preparation of register of members :

Provided that the first date of March of the year in which the register is revised shall be deemed to be the date on which the members should possess qualification for registration in the register."

अब इसमें हिन्दी करने की जरूर आवश्यकता है क्योंकि मैं इसको अपनी तरफ से पढ़ रहा हूं । इसमें लिखा हुआ है कि ४ से ७ तक जो रूल्स हैं इसमें भी लागू होंगे, जब कि सालाना मेम्बरों के रजिस्टर की तब्दीली और तैयारी की जाय, बशर्ते कि हर साल की पहली मार्च को जब कि रजिस्टर का परिवर्तन किया जाय वह वही डेट समझी जायगी जिस तारीख को उस आदमी को उस प्रकार की योग्यता प्राप्त हो गयी हो । इन शब्दों में सरकार ने कुछ कमी पायी और उसके आधार पर कुछ शब्दों को सुधार कर उन्होंने रखा । सरकार को कानूनी कमी ऐन मौके पर समझ में आती है । जब घर में आग लगती है तो सरकार कुआं खोदने लगती है । लेकिन सरकार ने जो सुधार किये, उनके अन्तर्गत क्या वह सुविधायें प्राप्त हो सकीं ? यह जो रजिस्टर आफ मेम्बर्स हैं, जिसको रजिस्टर नम्बर दो कहते हैं, बिल्कुल ग़लत थे । अध्यादेश की मंशा होते हुये भी इसमें कोई सुधार न हो सका । इसलिये कि अध्यादेश का आदेश इतने कम समय में निकला, या ऐसा निकला जो वहां पहुंच न सका या ऐसा निकला जिस पर अमल न हो सका यानी इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो सका । नतीजा यह हुआ कि गांव पंचायतों के चुनाव ऐसे मतदाताओं के रजिस्टर के आधार पर हुए जो कि बिलकुल ही अनियमित थे, गलत थे ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि इस समय प्रश्न यह है कि अध्यादेश क्यों नहीं स्वीकृत होना चाहिये । विषय के गुण, दोष पर तो जब विधेयक सामने आयेगा उस समय भी सदन को मौका मिलेगा । इसलिये मुख्यतः इस समय आप अपने को वहीं तक सीमित रखें कि क्यों इसका निरनुमोदन कर दिया जाय ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मुझे आप की आज्ञा शिरोधार्य है । मैं जानता था कि आप यह एतराज शायद करें । लेकिन उस को समझते हुए भी मैं उसके गुण दोष पर नहीं जाऊंगा, मगर इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह अध्यादेश बिलकुल बेसमय निकाला गया और उससे जो मंशा थी वह भी पूरी नहीं हुई । बिलकुल उसके उलटे देखने को मिला । जो नतीजे हमारे अनुभव के सामने आये उनके आधार पर मैं यह कह रहा हूं । अध्यादेश इतने ग़लत तरीक़े से और इतना बेसमय निकाला गया कि इससे कोई भी पर्पज़ हल नहीं हो सका और उलटे पंचायतों के चुनाव में बहुत सी फर्जी बातें, ग़लतियां और परेशानियां सामने आयीं । जिसका परिणाम यह हुआ है कि चुनाव ही बिलकुल निरर्थक हो गया । जगह-जगह ऐसी शिकायतें और दिक़तें हुई हैं ।

अब जैसा आप ने कहा है यह सही है कि हमारे सामने विधेयक आयेगा । उस समय भी हम इन सारी परेशानियों और दिक़तों को रख सकेंगे । अभी तो हमें केवल यही कहना है कि सरकार ने हमें मौक़ा नहीं दिया कि हम भी इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त कर सकते और

सरकार को चेतावनी दे पाते कि यह दुरुस्तियां इस तरह से नहीं हो पायेंगी बल्कि इसमें यह करना चाहिए। यह मौका हमें तभी मिल सकता था जब अधिवेशन में यह विधेयक हमारे सामने आता। यह सरकार की महान् ग़लती हुई। और इसी का परिणाम यह हुआ कि आज हमारे गांवों में जो ७० हज़ार के करीब पंचायतें बनीं उनके निर्माण में अनेक लोगों के दिलों में ठेस लगी जिसका निराकरण सरकार नहीं कर पायेगी।

मुझे तो बड़ी आशा थी कि हमारे नये स्वायत्त शासन मंत्री कुछ नयी और विशेष रुचि दिखायेंगे। लेकिन जो कुछ कार्य उन्होंने करके दिखाया वह आर्डिनेन्स की आड़ में दिखाया और यह देख कर मुझे आश्चर्य हुआ। अगर वह हमारी राय भी पूछते तो हम उन्हें यह बताते कि यह रजिस्टर इस तरह से दुरुस्त नहीं होंगे, इस तरह से करें तो दुरुस्त होंगे। लेकिन उनका तो आर्डिनेन्सों के द्वारा शासन करने का स्वभाव है जिससे उन्होंने एक लाठी सी मार दी और कह दिया कि ऐसा होगा। जो यह कहा जा रहा है कि आर्डिनेंस के जरिये यह करना बहुत जरूरी था और जिसके लिये हमको यह भी समझाया जाता है कि हमने बहुत अच्छा सा कार्य किया है। यह बताया जाता है कि चुनाव कैसे हो, गांव सभा के सदस्य कैसे बनें, यह इसमें बता दिया गया है और यह बताया गया है कि एक सदस्य का चुनाव किस प्रकार से होगा और प्रधान का चुनाव किस प्रकार से होगा? यह मैं कहना चाहूंगा कि उनके इसके करने की मंशा यह थी कि इस विधान सभा के सदस्यों ने यह राय व्यक्त की थी कि जो नये प्रकार का प्रधानों का चुनाव होने जा रहा है उस विधेयक को सरकार कानून में परिणत कर दे तो अच्छा हो। मैं कहना चाहूंगा आप के द्वारा कि विधेयक को लाने के बजाय सरकार ने जो अध्यादेश में प्रयत्न किया वह एक उलटा सा साबित हुआ।

इसमें जो आपने सिम्बल सिस्टम किया उसमें ऐसी बहुत सी गलतियां आपने कीं, जिसका नतीजा यह हुआ कि ग्राम पंचायतों में लोगों में एक उलटी भावना पैदा हो गई। सिम्बल तो आप ले आये। लेकिन उसके साथ नाम भी होने चाहिये थे जो कि नहीं थे। इससे एक पढ़ा-लिखा आदमी जो चुनाव के दिन ही वहां आता है वह यह नहीं जान पायेगा कि वह किस प्रकार अपने आदमी को वोट दे। क्योंकि उसे सिम्बल का ज्ञान पहले कैसे हो सकता है जो उसी दिन पहुंचा। होना यह चाहिये था कि उस सिम्बल का पहले से उनको ज्ञान कराया जाता और उम्मीदवार का नाम भी वहां पर रहता, उससे कोई दिक़्क़त नहीं रहती। लेकिन यह सरकार ४३० आदमियों को यहां पर बेकार समझती है और सरकार के दिमाग में जो आया लिख दिया और वह गवर्नर के द्वारा निकाल दिया गया। मन्त्री और गवर्नर आपस में बात कर चुके होंगे। बस कानून बन गया और जनता के सामने रख दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि अपने प्रदेश में जो यह नया चुनाव देहातों में करने की कोशिश की गई है उसमें ग्रामीण जनता, स्त्री और पुरुष जो गांवों में रहते हैं उन्होंने चिन्ह का पहचानना सीखा नहीं है. . . .

श्री उपाध्यक्ष—मेरी बातों की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। यह आर्डिनेन्स क्यों रद्द कर दिया जाय इसी पर आप बोलिये और अपने तर्क दीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं उसी पर हवाला दे रहा हूं और विस्तार में नहीं जा रहा हूं। जितना संक्षेप में म कह रहा हूं उतना संक्षेप में यहां पर दूसरा नहीं कह सकता है। ग्रामीण लोगों के साथ इस आर्डिनेन्स के द्वारा अन्याय हुआ है। इस चुनाव में उन लोगों के सामने बड़ी दिक्कत आयी। मैं आप को बताऊं कि हमारे देहातों में बहुत से लोग अनपढ़े हैं। आज भी हमारे यहां की जनता १५ फीसदी से अधिक शिक्षित नहीं हो पायी है। ८५ फीसदी जनता अशिक्षित है। उस ८५ प्रतिशत जनता को आप ज्ञान दें कि उस तरह से वे लोग पहचान कर सकें। यह एक नई बात थी। उसके पहचानने में सरकार ने जो तरीका अपनाया वह बहुत गलत था। उस मुहर लगाने के तरीके में बड़ी दिक़्क़त लोगों के सामने आईं। २ हजार

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मतपत्र लगभग इन्वैलिड हो गये। यह सारी ग़लती सरकार की है। सदस्यों को मौका नहीं दिया। यदि हम लोग यहां पर उस पर विचार करते तो इसका जनता में प्रचार होता। यदि हमको मौक़ा दिया गया होता तो हमलोग इसका प्रचार करते या सरकार उन क्षेत्रों में इसका प्रचार करती तो यह आर्डिनेन्स सहायक होता, लेकिन वह बात सरकार ने नहीं की। इस आर्डिनेन्स के द्वारा अनुचित बात करने की कोशिश की जो हमारे लिये बड़ी अनुचित रही है। वह समय भी ऐसा रहा कि जिस समय में इस प्रकार से आर्डिनेन्स निकालना उचित नहीं कहा जा सकता....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या इस हाउस में कोई माननीय सदस्य सो भी सकता है?

श्री उपाध्यक्ष--यह सदन सोने के लिये नहीं बना है यह तो स्पष्ट है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं इतनी जोर से बोल रहा हूं तब भी उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--वह ध्यान से सुन रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर सोने को भी ध्यान कहा जाय तो मन्त्री जी भी सो लें।

श्री उपाध्यक्ष--आप (श्री मोतीलाल से) अपनी बात को जरा दिलचस्प बनाइये तभी लोग सुनेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जिसके कान न हों उनके लिये यदि सिर भी फोड़ दिया जाय तो भी उनको सुनाई नहीं देगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस नई पद्धति को इस अध्यादेश के द्वारा लाने की कोशिश की गई है। उस ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर अशिक्षित जनता रहती है और अशिक्षा का बाहुल्य है उनमें उस बात को लाकर रखा गया है, आर्डिनेन्स के द्वारा उस गलत बात को लाकर रखा गया है, वह तरीक़ा रखा गया है जो किसी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। वह समय भी ऐसा था जिस समय में इस प्रकार से आर्डिनेन्स निकालना उचित नहीं था। वह उसके लिये उचित समय नहीं था। वह समय ऐसा था कि जब हम यहां पर लाकर विचार कर सकते थे। उस समय हर सदस्य का यह विचार था कि यहां पर उनको बुलाया जायगा। मैं जानता हूं कि ७ अक्तूबर को यह सदन स्थगित किया गया। मैंने बड़ी प्रतीक्षा की कि अधिवेशन होगा और उस अधिवेशन में पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में नई बातें हमारे सामने आयेंगी, और उस पर विचार होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अधिवेशन को बुलाया नहीं और गांव पंचायतों का चुनाव जिस तरह से चाहा उस तरह से कर लिया और आज भी पंचायतों में जगह-जगह पर मैं जानता हूं--आप के द्वारा बतला दूं--कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनके चुनावों के परिणमस्वरूप अनेक जानें गयीं, मृत्युएं चुनाव के बाद ही हुईं। जम कर लाठियां चलीं, गोलियां चलीं और यह इसलिये कि सरकार का तरीका चुनाव का, जो इस आर्डिनेन्स द्वारा जारी किया गया वह असामयिक था, गलत तरीके से जारी किया गया था। इसके उपरान्त कितनी जगह मुकदमेबाजी भी बढ़ी है, हाईकोर्ट तक रिट गये हैं, एलेक्शन पिटिशन्स की तो भरमार हो गई है। उन देहाती इलाकों में जहां इतना रुपया चुनाव में नहीं जाता था वहां मुकदमेबाजी घुस गयी और वे लाखों रुपये अदालतों में बर्बाद करने जा रहे हैं इसलिये कि सरकार ने आर्डिनेन्स द्वारा यह चुनाव करा दिये। इसकी जानकारी मुझ सरीखे जो जनता के सेवक हैं, जिनको सेवा करने का अभिमान है, उन्हें है और उन्हें भी इस बात का मौक़ा नहीं मिला कि वे जनता को उसकी पद्धति समझा सकते। जल्द बाजी में जो क्रोध आ जाता है उसका वे भी निराकरण नहीं करा सके। नतीजा यह हुआ कि इस आर्डिनेन्स के द्वारा चुनाव होते ही

देहातों में सैकड़ों जानें गयीं, लाख रुपया मुकदमेबाजी में फुंकने का कारण हो चुका है और इस की बदौलत जो नयी पंचायतें बनी हैं उनमें वह प्रेम लौट कर नहीं आया जो कि आवश्यक था, एक वांछनीय वस्तु थी वहां के लिये।

आज सरकार कहती जरूर है कि आज हमने प्रधानों का इस तरीके से चुनाव करा कर एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अगर प्रधानों के साथ-साथ अन्य सदस्यों का चुनाव भी वह इसी प्रकार करा सकती तो क्या अच्छा न होता? मैं कहना चाहूंगा कि सरकार का इस तरह से आर्डिनेन्स का प्रसारित करना गलत था और हमें उसे अस्वीकार करना चाहिये। मैं सदन से अपील करूंगा कि सरकार ने जो कदम उठाया है वह इतना भयंकर है कि अगर हम उसे स्वीकार कर लेंगे तो यह सरकार हमेशा ही महत्वपूर्ण कार्यों को आर्डिनेन्स द्वारा ही कराने को तैयार रहेगी और हमारे हकों को अरक्षित बनायेगी। हम अपने हकों को समझते हैं और इसलिये मैं कहता हूं कि जब सरकार ऐसी चीजों को लाये कि जिनका संबंध ग्रामीण जनता से हो, निरक्षर जनता से हो, तो पहले सरकार इस विधान सभा से उसकी स्वीकृति ले ले और तब उसे लागू करे।

श्री उपाध्यक्ष---(स्वशासन मंत्री से) आप इंटरवीन करना चाहेंगे?

***श्री कैलाशप्रकाश**---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ बात स्पष्ट करने का आप ने मुझे समय दिया। जो अध्यादेश और जिसके निरनुमोदन का प्रस्ताव विचारार्थ है, उस संबंध में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो यह है कि कोई अध्यादेश होना चाहिये अथवा नहीं। एक सिद्धान्त तो यह है कि कोई अध्यादेश होना ही नहीं चाहिये। उस संबंध में सदन में आज भी काफी चर्चा हो चुकी है। और इसके लिये मुझे सदन का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

दूसरी बात यह है कि संविधान में अध्यादेश जारी करने का प्राविजन रखा गया है जो महामान्य राज्यपाल कर सकते हैं। अब उसमें यह आवश्यक है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी जरूरत आ जाय और विधान मण्डल न बैठा हो तो वह अध्यादेश जारी करेंगे। श्रीमन्, सदन को यह तो ज्ञात है कि पंचायतों का कार्यकाल, उनकी अवधि समाप्त होने वाली थी और पंचायतों का चुनाव कराने का प्रबन्ध किया जा चुका था। दिसम्बर में नामजदगी होने वाली थी, जनवरी में चुनाव होने वाले थे, जो हुए, इस कारण हमको अध्यादेश लाना जरूरी हो गया।

श्रीमन्, जो भी नियम और अधिनियम थे वे इस सदन द्वारा पास हो चुके थे। जब चुनाव होने जा रहे थे तो उस बात की आशंका हो चली थी कि सम्भव है कोई वैधानिक कठिनाई इसमें पैदा न हो जाय और जो सदन की मंशा है वह पूरी न हो सके। यदि मेरे दोस्त इस अध्यादेश को देखने की कृपा करेंगे तो उनको मालूम हो जायेगा कि इसमें वही किया गया है जिसे यह सदन स्वीकार कर चुका है। इस सम्बन्ध में जो पहले का नियम था, धारा ९ की उप-धारा (२) उसकी ओर संकेत करना चाहता हूं। वह यह थी---

"Notwithstanding anything contained in this Act, no person who is not, and every person who is, for the time being entered in the register of members, shall be entitled to vote at any election or in any other proceeding under this Act or the rules framed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat."

तो यह पहले था। इसका सारांश यह है कि इस विधान सभा के द्वारा यह उप-धारा जारी की गयी थी इस कारण कि यदि किसी व्यक्ति का नाम वहां के रजिस्टर में दर्ज है तो वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है और जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं है वह चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

अब जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें यह किया गया है कि --

"No person who is not, and except as otherwise provided by this Act....."

तो केवल इसमें इतना और जोड़ दिया गया है कि "एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाई दिस एक्ट" । माननीय सदस्य देखेंगे कि इसी ऐक्ट में धारा ५-ए में कुछ अयोग्यतायें निर्धारित की गयी हैं और यह बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता । अब यह उप-धारा अगर ऐसी की ऐसी ही रह जाती तो दोनों में आपस में पारस्परिक विरोध पैदा होता क्यों कि एक जगह तो धारा ५ में कहा गया है कि अमुक-अमुक व्यक्ति उम्मेदवार हो नहीं सकते और दूसरी जगह इस उप-धारा में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, वह हो सकता है । तो इस वैधानिक कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसा करना पड़ा और इस अध्यादेश को लाना पड़ा । चुनाव ठीक प्रकार से हो सके और उसमें कोई मुकदमें बाजी और परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से यह अध्यादेश लाया गया था और अब यह किया गया कि अगर वह व्यक्ति जो रजिस्टर में दर्ज है चुनाव में हिस्सा ले सकता है बशर्ते कि इस अधिनियम के द्वारा उस को अयोग्य न साबित किया गया हो । केवल इतनी बात इस अध्यादेश में है । और यदि उसके कारण कोई मुकदमेबाजी बढ़ने वाली थी, उसका स्पष्टीकरण अगर दें तो कोई अनुचित बात नहीं है, एक तो उपधारा इस चीज की है ।

दूसरी उप-धारा चुनाव के सम्बन्ध में है, सदस्यों का चुनाव हाथ उठा कर और प्रधान का बैलट से होगा, इसकी व्यवस्था थी नियमों में, किन्तु जब अध्यादेश आ ही रहा था तो कुछ कानूनी सलाह ऐसी हुई कि बजाय नियमों में रखने के इसको कानून का रूप दे दिया जाय कि किस तरीके से वोट किया जायगा । यह खयाल माननीय सदस्यों को हो सकता है कि सदस्यों का भी और प्रधानों का भी चुनाव बैलट से होना चाहिये था, किन्तु मैं उस की मेरिट में नहीं जा रहा हूं ,क्योंकि इसका विधेयक फिर से सदन में आने वाला है । मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे मित्र अवस्थी जी ने कहा कि कोई बड़ा भारी काम इसके द्वारा हमने कर दिया, वह बात नहीं है । अध्यादेश जारी करने की वजह से पंचायत के चुनावों में बड़ी भारी खराबी हुई हो, यह हो सकता है कि हुई और शिकायत है, मैं इन्कार नहीं करता, लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि इस अध्यादेश की वजह से वह शिकायतें पैदा नहीं हुईं । शिकायतें हुईं, उनका कारण और कोई है और उन शिकायतों को देखा जा रहा है । अध्यादेश में केवल उस बात को स्पष्ट कर दिया गया जो इस सदन ने शासन को नियमों के द्वारा करने का अधिकार दिया था ।

केवल ये दो बातें इस पंचायत के अध्यादेश में हैं, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ है नहीं । सदन का बहुत समय लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । मैं तो समझता था कि इसका स्वागत ही होगा, क्योंकि माननीय सदस्यों को यह जोर भी रहता है कि किसी चुनाव को टालना नहीं चाहिए और यही मेरा मंशा था इसको लाने की आवश्यकता पड़ी, वरना जो दिसम्बर और जनवरी में चुनाव होने वाला था उस चुनाव को टालना पड़ता जब तक कि माननीय सदन से अधिनियम के रूप में वह पारित न हो ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव तो टाल रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--विषयांतर नहीं होना चाहिए । वह भी आयेगा आपके सामने, तभी कहियेगा यह बात । मैं यह समझता हूं कि जब पंचायतों का चुनाव निर्धारित कर दिया गया है उसको टालने के बजाय यह उचित मालूम होता है कि जो कानूनी कुछ दिक्कतें रह गई हैं , उसूली तो कुछ हैं नहीं, उसको अलाहदा कर दिया जाय यह अध्यादेश जारी करने के बाद ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मैं भी इस चर्चा को सुन रहा हूं। ठीक है, चुनाव तो हमारी सरकार के सभी ठीक होते हैं, लेकिन एक चीज उत्तर प्रदेश में जो नयी हमारी सरकार ने की है वह सराहनीय है। यह चीज तो केरल में भी पैदा हुई थी, लेकिन वह दूसरा ढंग था। वह कौनसी चीज है श्रीमन्? वह चीज है आर्डिनेंस जिसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। हमारी सरकार ने उसे यहां भी लागू कर दिया। अभी थोड़ी सी ही उत्तर प्रदेश पर उसकी छाया पड़ी, ज्यादा नहीं पड़ी, एक कोने पर ही पड़ा। श्रीमन्, हमारे मित्र ठाकुर साहब भी आ गये। पुरानों में से एक तो जिन्दा रहे। श्रीमन्, मैं पंचायतों के ऊपर जिक्र कर रहा था। हमारी सरकार ने वह काम किया जो कोई नहीं कर सकता था। हम लोगों के पास सूचना पहुंची कि सदन की बैठक होगी और फिर काम बन्द हो गया क्योंकि कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है। उसी पर सारा दारोमदार होता है।

जब दूसरी सृष्टि रची गई, दूसरी रचना हुई तो फिर गवर्नर के आर्डिनेंस से काम हो गया, इसमें कोई बुराई की चीज नहीं है। लेकिन श्रीमन्, वह चीज सुहावनी नहीं बनी। वह एक ऐसी चीज बन गई जो किसान के लिये, देहात के लिये और मजदूर के लिये यह पंचायतों का चुनाव घातक हो गया। श्रीमन्, गांव से हम भी यहां आते हैं तो बहक जाते हैं। जो भी ऊंची कोठी में पहुंच जाता है, खटोले में बैठकर ऊपर जाता है तो उसको घर का खयाल नहीं रहता। घर का खयाल तो जो देहात में रहते हैं उन्हीं को रहता है। वही पहचानते हैं कि सरकार ने जो विधान बनाया है वह सुहावना है या नहीं, उसमें कोई वजन है या नहीं या वह खोखला ही है। सोने की परख तब होती है जब वह घिसा जाता है, खींचा जाता है, और अग्नि में तपाया जाता है और तब पता चलता है कि वह असली सोना है या नहीं। श्रीमन्, एक दमक भी होती है, मुलम्मा होता है जो दो पैसे में मिल जाता है, लेकिन कुछ भाई उसमें ठग भी जाते हैं। ६ आने की जंजीर के लिये ५०० रुपये दे आते हैं। तो श्रीमन्, वह मुलम्मे की जंजीर बनाकर सरकार ने हम किसानों और मजदूरों को तंग किया, गांव गांव में पार्टीबन्दी कराई और घर घर में लाठीचार्ज और मुकदमेबाजी करवाई और इसके ऊपर श्रीमन्, पेटीशन का क्लेश। इसका मतलब है कि वह पिट गया तो पेटीशन, उसका नाम ही पेटीशन है।

श्रीमन्, गांवों में क्या होता है? प्रधान के लिये तो बक्स में पर्चा पड़े और सदस्यों के लिये हाथ उठाया जाय। सरकार ने खाने कमाने के लिये यह एक रास्ता छोड़ दिया है कि एक यह बक्स है, इसकी कमाई से मौज करो। उठे १५० हाथ और एक के उठे ८०, लेकिन ८० तो पहले के हो गये जाके १५० थे और जिसके ८० थे वाके १५० हो गये। वाहरे मेरी सरकार। बहुत अच्छी, खूब पागल बनाया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करता हूं कि सारी खता हमारी है। हमहीं तो दोषी हैं। गवर्नर साहब को दोष नहीं दूंगा, न सरकार को दूंगा पुराने मंत्री बैठे हैं न उनको दूंगा। हम दोषी हैं। क्या होगा ६२ में? सब गालियां दे रहे हैं। बुरी सरकार, निकम्मी सरकार, लेकिन प्रजा सोशलिस्ट तो भाग गया क्योंकि उसकी तो पूजा हो गयी। अब एक फाफानन्द और रहे गये हैं, कल उनकी भी मालूम पड़ेगी, क्या होता है। श्रीमन्, इसीलिये कहता हूं कि ये विरोधी ही कांग्रेस को जिन्दा रखने वाले हैं। कांग्रेस की जड़ में ये ही तो पानी देने वाले हैं। विरोधी सभी दोषी हैं। कांग्रेस हम लोगों से लाख दर्जे अच्छी है।

श्री उपाध्यक्ष—आप अध्यादेश पर बोलें। वह तो काफी हो गया।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, एक चीज बताऊं जिस पर किसी का दिमाग नहीं पहुंचा। आपके द्वारा बतला दूं। चुनाव ही तो है, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, सदस्य का चुनाव हो, चाहे मंत्री का चुनाव हो, श्रीमन् चुनाव ही तो है। आपके द्वारा निवेदन करता हूं श्रीमन्, वे चुने जा रहे हैं और ये सब भाग रहे हैं। किस का चुनाव ?

[श्री टीकाराम पुजारी]

रानी का चुनाव, राजा का चुनाव, नवाब का चुनाव, आज बड़े आदमी का चुनाव है, लेकिन ये वहां नहीं जायेंगे। इस तरह पर श्रीमन्, विरोधीदल बन सकता है? सारी खता विरोधी दलों की है। विरोधी ही इस सरकार को जिन्दा रखे हुए हैं। ६२ में भी रखेंगे। बस ये जो ५-६ आगे बैठते हैं इनको मनालेओ, माला फूल चढ़ा देओ। काहू की खता नहीं है। खता हमारी है। जहां इनकूं फल फूल चढ़ायो, थोड़ो सो इनको पूजा पाठ करो, सब आनन्दहो जाइयो। हम तो गरीब हैं। मौत के घर में हैं। खुदा बचायेगा तो बचेंगे। लेकिन ये तो गांधी जी के चेले हैं पुराने। मैं कहता हूं कि श्रीमन्, इनमें सब हिंसक हैं। गांवों में लट्ठ-बाजी हो रही है, १५० के ८० गिने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सरकार घमंड करती है और कहती है कि हमारे चुनाव बहुत बढ़िया हो रहे हैं। तुम्हारी सभी चीज बढ़िया है। अच्छा तो आप सब कुछ करते ही हैं। अच्छा तो सब होता ही है, लेकिन आपको यह सब अच्छा यह विरोधी ही बनाते हैं। देखिये ६२ में क्या होता है। एक जनसंघ है, एक रणसंघ है, एक स्वतंत्र है, एक कम्युनिस्ट है, एक प्रजा सोशलिस्ट है, एक सोशलिस्ट है और सब सरकार को गालियां दे रहे हैं। इनसे आशा की जायगी कि वे जनता का भला करेंगे। अगर जनता का भला करना है इन विरोधी दल वालों को तो रानीखेत में १४४ में से अगर सौ गये तो मैं समझ लूंगा कि यह सब धोखेबाज है, विरोधी नहीं है। अगर यह सच्चे विरोधी हैं तो एक होकर चलें रानीखेत फिर देखें कि तुम्हारी विजय होती है या नहीं होती है। यही कहकर मैं खत्म करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आगे संक्षेप में और विषय पर ही भाषण हों, क्योंकि पुजारी जी का महत्वपूर्ण भाषण होने के बाद कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी के अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी की यह दलील कि हमारे ऐसे बहुत से माननीय सदस्य होंगे कि जिन की समझ में यह बात न आई होगी कि पंचायतों के चुनाव की मियाद खत्म हो चुकी थी या खत्म होने वाली थी इसलिये आर्डिनेंस का निकालना आवश्यक था। इस तरह की बात का प्रयोग मैं समझता हूं कि सरकार के हर काम के लिये होना चाहिये, केवल आर्डिनेंस निकालने में ही इस का प्रयोग न होना चाहिये। सरकार को अपने आर्डिनेंस निकालने से पहले जो प्रदेश की अन्य खराबियां हैं उन की तरफ भी जाना चाहिये और यदि उनकी दूसरे चुनावों की मियाद खत्म होती है तो उन की तरफ भी जाना चाहिये। आप जानते हैं कि इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव सन् १९४८ में हुये थे और उस के बाद १२ साल बीत गये, लेकिन आजतक सरकार को इस पर विचार करने का समय नहीं मिला कि कोई आर्डिनेंस निकाल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव करा दे और चुने हुये प्रतिनिधि वहां स्थापित करा दे। इस की फुरसत उन को नहीं है, लेकिन पंचायतों के चुनाव के लिये फुरसत है। फिर आर्डिनेंस भी इतना अधूरा निकाला गया जिस से प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ। असल बात यह है कि सरकार के दिल में इस के पीछे दूसरी बात थी और असल में दूसरी बात लाई गई। उनके दिमाग में यह था कि चुनाव करा के जल्दी से जल्दी चेयरमैन जिला बोर्ड जो आज कलेक्टर है उसकी जगह पर अपने लोग स्थापित किये जायं जिस से १९६२ के एलेक्शन में अपने लोगों को बिठाकर अपने मन के अनुसार एलेक्शन का काम चलाया जा सके। असल में मंशा यह थी उस को छिपाने के लिये जो ५० तरह का बहाना बनाया गया उस के नीचे भावना यह थी। यहां जो नियम बनते हैं, पंचायत राज बिल आया उस की नियमावली सदन में कब रखी गई?

बहस की तारीख निश्चित हुई, ५ मास के लिये असेम्बली गायब हो गई और अब आर्डिनेंस निकाल दिया गया और चुनाव करा दिये गये। मैं समझता हूं कि जब भी कोई सरकार आयेगी तो वह अपने सलाहकारों की राय से काम करेगी, उन की अक्ल का प्रयोग करेगी।

सब जानते हैं कि पंचायतों के चुनाव में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। प्रधान का चुनाव बैलट पेपर से हुआ और पंचों के हाथ उठा कर हुये गांव के झगड़े को बचाने के लिये, अच्छे आदमी को चुनने के लिये, जो बैलट पेपर का इस्तेमाल किया गया, उसका फायदा कुछ भी नहीं हुआ। परिणाम यह हुआ कि पंच भी खराब निकल गये और प्रधान भी खराब निकले। शायद ही कोई पंचायत ऐसी हो जहां पंच और प्रधान अच्छे चुनकर गये हों। आम चुनाव में क्या होता है? सरकार को इतनी समझ नहीं आई। जहां हम बैलट पेपर देते हैं वहां यह भी तो देखते हैं कि कौन मतदाता वोट दे गया और कौन नहीं। श्रीमन्, हमको जानकारी है, हमने चुनाव स्थल पर देखा है कि एक ही मतदाता ने बीस-बीस मर्तबा वोट दिया है। उस आर्डिनेंस के जरिये, उस नियम के जरिये कहां पाबन्दी थी इसके लिये एक आम चुनाव में नियम है कि मतदाता आता है, उसके निशान लगाया जाता है काली स्याही का। इसमें उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक एक आदमी ने बीस-बीस मर्तबा वोट दिया। प्रेसाइडिंग आफिसर और एजेंट उसको रोकने में बिलकुल असफल हुये। यह आर्डिनेंस और नियम है सरकार का।

एसेम्बली का वोट होता है, पार्लियामेंट का वोट होता है, मतदाताओं के लिये पाबन्दी हो जाती है कि ६ महीने पहले से वोटर्स नहीं बढ़ाये जा सकते हैं। यहां क्या होता है? साढ़े चार बजे तक वोट होता है और ठीक पौने चार बजे ३०० वोटर्स की लिस्ट दे दी जाती है। किसी को मालूम ही नहीं कि कितने वोटर बढ़ गये। जिसने लिस्ट दी पंचायत सेक्रेटरी को उसको मालूम होता है। नतीजा यह होता है कि जिसको पंचायत निरीक्षक चाहता है, जिसको सेक्रेटरी चाहता है, उसका प्रतिनिधि होता है। इस तरह की अव्यवस्था प्रदेश में पिछले चुनावों में कभी नहीं हुई है जो इस चुनाव में हुई है।

आप द्वारा मैं यह भी कहना चाहता हूं सरकार से कि कानून कायदे बनाने में बहुत ही संजीदगी की जरूरत है। क्या जल्दबाजी थी? यदि सरकार ने १२ दिसम्बर को असेम्बली नहीं बुलाई तो फिर बुलाने वाले थे ही। तभी नियम बनाते, हम लोगों के सामने भी वह पेश हो जाता। हम लोगों के पास भी बुद्धि है, सरकार को उससे भी कुछ फायदा होता, लेकिन सरकार अपने सामने सबको कम अक्ल समझती है और अपने को बड़ा अक्लमन्द समझती है। ७२ हजार गांव सभायें हैं और करीब डेढ़ लाख आदमियों ने नामजदगियां दाखिल की हैं, तो करीब डेढ़ करोड़ रुपया सरकार को मिला। जो बैलट पेपर दिये गये पंचायतों के चुनाव में उसकी तालिका जिले में बनाई गई और हर गांव सभा में कितने वोटर हैं वह पिछली लिस्ट जो एक महीने से प्लानिंग आफिस में थी उसके आधार पर किया गया। साढ़े तीन-तीन बजे तीन-तीन सौ आदमियों की लिस्ट दे दी गई। मैं खुद एक जगह देखने गया, ५२ नये नाम एक गांव सभा में बढ़े हैं। यह क्या व्यवस्था है? इस तरह की व्यवस्था है और उसके लिये सरकार ने आर्डिनेंस बनाया। उसका असर यह हुआ कि वोट भी ठीक तरह से नहीं दिया जा सका।

सरकार यह कहती है कि पंचायत के चुनाव में इतनी सफलता या विफलता कभी नहीं हुई थी। सरकार को मैं बतलाना चाहता हूं कि अभी मेरे ही क्षेत्र में २० गांव सभायें ऐसी हैं जहां कोरम पूरा नहीं हुआ। ९ गांव सभायें ऐसी हैं जहां पंचायतें पूरी तरह से नहीं बनीं। एक तरफ पूरी पंचायतें नहीं बनीं, एक तरफ बहुत सी गांव सभायें ऐसी हैं जहां प्रधान नहीं चुने गये। और दूसरी तरफ २० तारीख तक हर ब्लाक के यहां के प्रधान का चुनाव हो जायगा और २८ मार्च तक अन्तरिम जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो जायगा। सरकार को जरा सोच समझ कर नियम बनाने चाहिये। केवल कागज पर नाव चलाने से काम नहीं चलता है।

मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का आर्डिनेंस निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस आर्डिनेंस को सरकार को वापस लेना चाहिये जिसकी बदौलत प्रदेश में लाखों करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है, कत्ल और बलवे हुए हैं, अदालतों में मुकदमों की भरमार हुई है, मतदाताओं को ठीक तरह से वोट देने का अधिकार नहीं मिला है और सरकार को चाहिये कि इस प्रदेश में

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

जनमत तैयार करने के लिये लोगों में आर्डिनेंस से काम लेने की भावना को प्रोत्साहन न मिलने लगे। इस सरकार ने पंचायतों का जो उद्देश्य है इस आर्डिनेंस के जरिये से उस उद्देश्य को विफल बनाया है। यह भी होना चाहिये कि जो वोटर बढ़ाये जा रहे हैं इसका अधिकार सरकार को नहीं मिलना चाहिये। इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी ने घूंस ले कर १५०, ३०० नाम बढ़ा दिये। इलेक्शन पिटीशन के लिये कानून में अधिकार दे बैठे हैं कि सेक्रेटरी को, इंस्पेक्टर को वोट बढ़ाने का अधिकार है। इलेक्शन पिटीशन क्या होगा ? लिहाजा बहुत संजीदगी से आर्डिनेंस लाना चाहिये। इसको सरकार को वापस लेना चाहिये और बाकायदा विधेयक ला कर नियम उपनियमों के द्वारा गांव पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस को जल्दी से ले आने की बात को स्वीकार किया जा सकता है। पिछली मर्तबा कानून बनाते समय अगर इतनी बड़ी भूल कर दी गयी थी तो उस भूल का सुधार करने के लिये जब कि विधान सभा की बैठक नहीं होने वाली थी तो उस बीच में आर्डिनेंस निकाल कर उसकी व्यवस्था की जा सकती थी। लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना चाहिये कि जिन बातों पर इस विधान सभा में उस समय अनेक बार जोर डाला गया था सरकार के ऊपर उनकी व्यवस्था कर देनी चाहिये ऐक्ट में ही और सरकार ने उनको नहीं माना तो सरकार ने उस समय गलती की और इस थैंकलेस काम को करने के लिये गुंजायश रखी। इलेक्शन के तरीके के लिये उसी समय कहा गया था कि लेजिस्लेचर में ही तय कर देना चाहिये और कानून में ही उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिये, लेकिन इसको उस वक्त रियलाइज नहीं किया गया और सरकार को मजबूर होकर अब उस बात के लिये आर्डिनेंस निकालना पड़ा। अगर माननीय सदस्यों की बात उसी समय गंभीरतापूर्वक सोची जाती तो इस आर्डिनेंस की आवश्यकता न पड़ती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस में जिन बातों की व्यवस्था की गयी है उनको स्वीकार करने के बाद भी इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार का जो इरादा था वह इरादा पूरा नहीं हुआ।

श्रीमन्, पंचायत राज के इस अध्यादेश पर बोलते हुये मैं यह जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों, चाहे उस तरफ के बैठने वाले हों, हम दोनों डेमोक्रेसी के नाम पर ही यहां बैठे हैं। अगर प्रजातंत्र न हो तो न सरकार उस तरफ बन सकेगी और न हम इस तरफ बैठ पायेंगे, कोई दूसरी व्यवस्था ही फिर होगी। इन पंचायतों के चुनाव की बात कहते हुये मुझे कष्ट भी होता है और भय भी मालूम होता है। पंचायतों के अब की के चुनाव में जो जो बातें हुईं जैसा कि अभी रामसुन्दर जी ने कहा, कुछ वक्त की कमी के कारण और कुछ हमारी जबान में उतनी ताकत नहीं है कि हम उन बातों को यहां रख सकें। जो जो करतूतें इस चुनाव में हुई हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान गम्भीरता के साथ जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह मौका है जबकि हम उन बातों की जानकारी करके आगे के लिये कुछ ऐसा इन्तजाम कर सकते हैं कि फिर इस प्रकार का आर्डिनेन्स निकालने की आवश्यकता न पड़े।

चुनाव के तरीकों को जनता इस आर्डिनेन्स के जरिये से तो जान नहीं सकती। चुनाव एक ऐसा काम है कि जिसकी विधि को जानने के लिये बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है और जहां के ८०, ९० फीसदी ग्रामीण लोग निरक्षर हों वहां मार्किंग करने के लिये कितनी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। यह हम एकदम जब पोल होने जा रहा है तब फैसला कर पाते हैं। श्रीमन्, हम लोगों को स्वयं जानकारी नहीं थी कि किस तरह से चुनाव होगा। तो यह बड़ी कमी थी और इसका बड़ा अनुचित लाभ उन लोगों ने उठाया जिन्होंने इस चुनाव में रिश्वत लेना पसन्द किया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात मुझे जरूर देखने को मिली कि जिन ब्लाक्स के अधिकारियों ने इससे अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की वहां का चुनाव तो ठीक ढंग से हो गया, लेकिन जहां के ब्लाक और पंचायत अधिकारियों ने इसको एक रिश्वत का मौका समझा उन्होंने खूब धन कमाया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन गम्भीरतापूर्वक इसकी जांच की जरूरत है। दो, तीन उदाहरण मैं दिये देता हूं। एक सभापति का नामांकन-पत्र इसलिये खारिज हो गया क्योंकि उसका नाम एलेक्टोरल रोल में नहीं था। पुराना सभापति, एलेक्टोरल रोल में नाम नहीं। अब कौन इसका कसूरवार है इसको देखना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--सभापति स्वयं सुधार लेता।

श्री गेंदासिंह--यह ठीक है, लेकिन मजबूरी यह है कि अवस्थी जी जैसे पढ़े-लिखे सभापति बहुत कम हैं।

दूसरी बात मैं बैलट पेपर पर मार्किंग करने वाली कहूं। यह इस हद तक हुआ कि बैलट पेपर का कोई हिसाब किताब जिस तरह से आम चुनाव में होता है नहीं रखा गया और लोगों ने बैलट पेपर को अलग से बेंच लिया। उसका कुछ रेट निकल गया कि फलां जगह की गांव सभा के बैलट पेपर का इतना रेट है और फलां जगह का इतना है। अगर माननीय कैलाशप्रकाश जी पसन्द करेंगे तो मैं कुछ गांवों के नाम भी बता दूंगा। तो बैलेट पेपर लोगों ने खरीद लिये और जब ठप्पा लगाने के लिये गये तो एक आदमी की जेब में अगर दस बैलेट पेपर हैं तो उसने दस के दसों बैलेट पेपर डाल दिये।

श्री उपाध्यक्ष--प्रेसाईडिंग आफिसर की मुहर थी उन पर ?

श्री गेंदासिंह--वही तो बेंचते थे।

श्री उपाध्यक्ष--मौके पर ?

श्री गेंदासिंह--बेचने का काम बगैर उनकी मर्जी के थोड़े ही होता था, वह तो उनकी मर्जी से होता था। श्रीमन्, एक दो बात और मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं। शो आफ हैंडस यानी हाथ उठाकर चुनाव कराने की जो प्रथा है उसकी मुझे जाती तौर पर जानकारी है। एक आदमी से नाराजगी हो गई कि इसको हराना है और वहां पर ब्लाक अधिकारी मौजूद है, सब इंस्पेक्टर मौजूद है और गांव के लोगों ने कहा कि इसको ८०० वोट मिले, लेकिन दूसरे कागज पर वोटों का हिसाब लगाया गया और जब सब वोट गिन लिये गये तो जिस आदमी को ८०० वोट मिले थे उसको केवल ३५० वोट देकर हरा दिया गया। इस तरह की घटनायें बहुत काफी हुई हैं।

श्रीमन्, गांव सभापति और लेखपाल में झगड़ा हुआ और पुराने लेखपाल के खिलाफ गांव सभापति ने कई दफा लिखा कि यह गांव समाज की जमीन पर नाजायज तौर पर इंतजाम कर रहा है, वह बार-बार कहता रहा और लिखता रहा कि लेखपाल उसको तंग कर रहा है और वह लेखपाल के पीछे पड़ा रहा कि यह बहुत रुपया कमाता है और गांव समाज की सम्पत्ति को बरबाद कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब चुनाव का अवसर आया तो खुद लेखपाल पौलिंग आफिसर बन बैठा। श्रीमन्, जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मैंने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दी और वह वहां से हटा दिया गया, लेकिन उसकी किस्मत से उसका भाई जो किसी दूसरे विभाग में था वह पोलिंग आफिसर बन गया। चुनाव में तीन पौलिंग बूथ पर तो वह जीत गया, लेकिन जिस बूथ पर लेखपाल का भाई था उसमें उसे बुरी तरह से हराया गया जिससे वह मेक अप नहीं कर सका और वह चुनाव में हार गया।

श्रीमन्, इसी तरह से वोटर लिस्ट को भी मैनिपुलेट किया गया है और जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है उसकी कल्पना करके घबराहट पैदा हो जाती है। जहां चाहे बढ़ा

[श्री गेंदासिंह]

दिये और जहां चाहे नहीं बढ़ाये। जहां पर आदमी एक आध वोट से हारता जीतता है वहां पर शुबहा रहता है और चाहता है कि दुबारा गिनती हो, लेकिन रिकाउंटिंग की कहीं कोई गुंजायश नहीं है। एक दफा जब रिजल्ट निकल गया तो फिर रिकाउंटिंग की कहीं गुंजाईश ही नहीं रहती है। अब सिर्फ रिकाउंटिंग की वजह से ही बहुत सी इलैक्शन पेटीशंस फाइल होंगी और वह दो-दो डेढ़-डेढ़ साल में जाकर फैसल होंगी। इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये थी, लेकिन, इसकी व्यवस्था न हो सकने के कारण हजारों मुकदमे दायर हो रहे हैं जिनमें रिकाउंटिंग का ही सवाल है, लेकिन अदालती तौर पर वह वर्षों चलते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बड़ी जल्दबाजी में सरकार ने यह अध्यादेश निकाला है। हमारी यह चेष्टा रहती है और हम यत्न करते हैं कि हम सरकार को आगाह कर दें जिससे आगे के लिये सरकार समुचित व्यवस्था कर पाये। लेकिन श्रीमन्, आप यह ध्यान में रखें कि इस अध्यादेश को जारी करते हुए, जो कारण लिखा गया है उसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि लेजिस्लेचर में ही जोर डाला गया कि निर्वाचनों के सम्बन्ध में मतदान करने की नीति की व्यवस्था स्वयं ऐक्ट में ही की जानी चाहिए। वह व्यवस्था की गयी। मैं समझता हूं कि यह गलती हमारी नहीं है। अध्यादेश निकालने की आवश्यकता कतई नहीं पड़ती, जो सरकार को मजबूरी हुई और अगर निकाल दिया तो जिस कमी को परफेक्ट करने के लिए वह निकाला गया वह पूरी भी नहीं हो पायी। पूरे चुनाव के तरीके को नहीं निकाला। एलेक्शन पेटीशन को आप ने कहां रखा ?

मैं आखिर में दो बातें कहना चाहता हूं। विधान की आड़ में, या डेमोक्रैसी को बदनाम करने के लिए जो कार्यवाहियां हुई हैं उनकी सख्ती से सरकार जांच करवाये। मैं माननीय स्वशासन मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह जांच करवाने की चेष्टा करेंगे तो उनको जानकारी हो जायगी। लोग इसकी जानकारी करवा सकते हैं। पेटीशन के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पर फैसला हो सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय अवस्थी जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी को, उन्हीं की दो एक बातों का जबाव देना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि उन्होंने दो एक कदम उठा कर के अच्छा काम किया। अच्छे काम पर तो कभी भी इनकार हम इस रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे काम की आशा ही की जाती है मंत्रिगण से, लेकिन अच्छा काम ठीक समय पर हो जाय तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा काम जो किया गया वह गलत तरीके से किया गया, इस लिए वह अच्छा काम गलत हो गया। इस चुनाव के दर्मियान जो बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने देखीं उनको इस सदन में उन्होंने रखा। चुनाव सुन्दर ढंग से होता अगर सरकार इस अध्यादेश को जारी करने से पहले हम लोगों से पूछ लेती। पूछने का तरीका अधिवेशन को बुला कर था या अन्य तरीकों से पूछती। अगर अध्यादेश ही सरकार को जारी करना था तो और बहुत सी बातों की जानकारी जो आवश्यक थी, सरकार को कर लेनी चाहिए थी। केवल यह कह देना कि हमने रजिस्टर में दुरुस्ती करवा दी, यह कहना काफी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि रजिस्टरों की गलतियों के कारण सैकड़ों इलक्शन पेटीशनों की भरमार हो चुकी है। उसको यह भी सोचना चाहिए था कि अगर रजिस्टरों में दुरुस्ती करवानी है तो दुरुस्ती किस रुप में की जाय, किस तारीख तक हो, इस अध्यादेश में सरकार सभी बातों का समावेश करे। तो शायद यह बात पूरी होती। यह न करके हर जिले के जिलाधीश को यह छूट दे दी गयी कि वह रजिस्टर आफ मेम्बर्स में दुरुस्ती, कमोबेशी जितने समय तक चाहें करते रहें। जैसी शिकायतें हमारे पूर्व वक्ता माननीय पांडेय जी ने बतायीं कि उन लोगों ने बढ़ोत्तरियां ऐन वक्त तक करायीं और कुछ ऐसी भी शिकायतें हैं कि किन्हीं लोगों ने हर चन्द कोशिश की कि दुरुस्ती होकर नाम बढ़ जायं, लेकिन स्थानीय मंत्री नहीं चाहते थे तो उनका नाम नहीं बढ़ाया जा सका यद्यपि कि बढ़ाया जाना चाहिए था, तो यह चुनाव जनता की तरफ का नहीं हुआ बल्कि यह चुनाव मन्त्रियों और पंचायत राज अधिकारियों द्वारा हुआ। मैं फिर कहूंगा नये स्वायत्त शासन विभाग के माननीय मंत्री जी

से कि पंचायत विभाग को वह जरा सम्हालें। मैंने इस पंचायत विभाग को पंचायती, यानी गोलमटोल विभाग कहा है। इस विभाग में न कोई एफिशियेंसी है, न कोई बुद्धि है। बुद्धि-विहीन है यह विभाग।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो नया प्रश्न उठा रहे हैं आप। इस समय तो जो जबाव दिया गया है उसी के सम्बन्ध में आपको कुछ कहना हो कहिए।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह आर्डिनेंस जो है यह विभागीय बुद्धि की उपज है।

श्री उपाध्यक्ष---यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---पहले यह नहीं कहा था कि यह डिपार्टमेंट गोलमटोल है। अभी जब हमारे माननीय मन्त्री जी ने कहा कि बड़े ठीक समय पर ठीक बात सोच कर उन्होंने आर्डिनेंस निकाला तो मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ठीक सोची हुई बात ठीक समय पर नहीं आयी और वह बेअमल हुई जिसका परिणाम बड़ा दुखद हुआ।

दूसरी बात आपने यह बतायी कि कानूनी सलाहकार से सलाह लेकर हम इस निश्चय पर पहुंचे कि रूल्स की जगह पर इसे हम ऐक्ट में लावें। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज को जब सोचें माननीय मंत्री जी तो उनके सोचने की सीमा केवल ऐडवोकेट जनरल ही न हुआ करें। ऐडवोकेट जनरल की सलाह को ही वह ब्रह्म-वाक्य मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐडवोकेट जनरल केवल कानूनी पेचीदगियां ही बताते हैं, लेकिन कानूनी पेचीदगी के साथ-साथ व्यवहारिकता में क्या है इसको एडवोकेट जनरल नहीं बता पायेंगे। इसलिए इस व्यवहारिकता की बात को या तो वह स्वयं अपनी बुद्धि से सोचते या हाउस से सलाह लेते। तो यह केवल एक कानूनी पेचीदगी ही नहीं रही बल्कि एक अव्यावहारिकता हो गई। नतीजा यह हुआ कि चुनाव बड़े गलत तरीके से हुए। इन चुनावों को हम बड़ी प्रमुखता देते हैं और वह इसलिए देते हैं कि यहीं से नीचे की शक्ति बढ़ेगी, विकेन्द्रीकरण का नारा यहीं से उठता है और इन गांवों को हम विलेज रिपब्लिक्स कहते हैं। इनके बनाने में जनता का हाथ समुचित रूप से होना चाहिए। उनमें जनता की बुद्धि यथेष्ट रूप में लगायी जानी चाहिए। आज ग्रामों में चाहते थे कि अच्छे लोगों के हाथों में शासन आता, अच्छे प्रधान और सदस्य चुने जाते, लेकिन यह काम इसलिए नहीं हो पाया कि सरकार ने बड़ी जल्दी में आर्डिनेंस के द्वारा कार्य किया। चुनाव तो उनको कराना ही चाहिए था, लेकिन समझ बूझ कर कराना चाहिए था। मैंने माननीय मंत्री जी की बात सुनी। उसको सुनने के बाद भी आपके द्वारा मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि सदन इस अध्यादेश का निरनुमोदन करे।

*श्री कैलाशप्रकाश---उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत आभारी हूं माननीय सदस्यों का और विशेषकर श्री गेंदासिंह जी का कि उन्होंने इस बात को मुनासिब समझा कि अगर कोई दोष था कानून में तो उसका सुधार करना अच्छा ही है। इस समय मुझे कुछ अधिक बातें कहने की आवश्यकता नहीं है इस वजह से कि यह पंचायत राज विधेयक के रुप में सदन के समक्ष आने वाला है।

मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि पंचायतों के चुनाव में बड़ी अनियमिततायें हुई हैं। मैंने प्रारम्भ में भी इस बात को स्वीकार किया था कि पंचायतों के चुनाव में अनियमिततायें हुई हैं और कुछ शिकायतें मेरे पास भी आई हैं। इस बात में फर्क हो सकता है कि जितना बड़ा यह काम था, ७३ हजार पंचायतों का चुनाव हो और प्रत्येक पंचायत में १०,२०, ३० सदस्य हों। बहुत बड़ा काम है। जो शिकायतें पैदा हुई उन शिकायतों की तरफ यदि देखा जाय तो बहुत बड़ी तादाद उनकी भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस बात से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

कोई सन्तोष नहीं होता कि प्रपोर्शन में या अनुपात में शिकायत बहुत कम है। यह बात सही है कि मैं पंचायतों को प्रजातन्त्र की बुनियादी कड़ी मानता हूं और पंचायतों का चुनाव सही तरीके से होना चाहिये। उस चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उससे जनसाधारण की बैलेट बाक्स के प्रति आस्था कम होती है। इसलिये उस ओर और भी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये।

यह बताया गया कि जो पंचायतों के मतदाताओं की सूची तैयार की गई उनमें कुछ बहुत दोष था और अन्तिम समय उनमें घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी हुई है। कुछ शिकायतें इस किस्म की मेरे पास भी आईं। असल बात यह है कि यह मतदाताओं की सूची १५ दिसम्बर तक अन्तिम रूप से तैयार होने को थी किन्तु उसी दौरान इस किस्म की बहुत सी शिकायतें आईं कि बहुत तादाद ऐसे लोगों की रह गई है बहुत सी जगह जहां के अधिकतर मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं। इसलिये मुनासिब समझा गया कि यदि कोई ऐसी गलती रह गई है और मतदान में अभी समय है तो उसका सुधार हो जाना चाहिये। नियम और आदेश सुधार करने की दृष्टि से भेजे गये। उनका दुरुपयोग भी हो सकता है और जैसा मेरे मित्र गेंदासिंह जी ने कहा कि चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उस चीज में हमें सुधार करना चाहिये। इस बात में मैं माननीय सदस्यों का सहयोग लेने के लिये तैयार हूं। शिकायतें तो मेरे पास आई थीं, लेकिन जिस शिकायत की तरफ गेंदासिंह जी ने मेरा ध्यान दिलाया है वह प्रथम बार मैंने इस सदन में सुनी है कि मतदान-पत्र बेचे गये हैं सही है। माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उसको इन्कार नहीं करना चाहता, केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि विशिष्ट रुप से जो उनको जानकारी है उससे वह मुझे भी अवगत करा दें ताकि मैं उसके पूछताछ की कोशिश करूं जिससे दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से उधर बैठे हुए साथी इस बात के इच्छुक हैं कि चुनाव ईमानदारी के साथ हों, सरकार भी उसी तरीके से इच्छुक है इस बात की। मैं इस बात को कह कर नहीं बचना चाहता कि यह हमारा सामाजिक दोष है। मैं इस बात को एक मजबूरी समझता हूं। जब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव किये जाते हैं तो यह एक जबरदस्त काम है। इसमें लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल है और इसमें जीतने और हारने के लिये लोग हर तरीके की बात कर सकते हैं और यह काम छोटे दर्जे के कर्मचारियों के हाथ में भी देना पड़ता है। हो सकता है कि कल हाथ उठा कर होने वाले चुनाव का जो परिणाम था उसमें कहीं-कहीं अदल-बदल की गयी हो। बात ध्यान में थी और इसीलिये नियमों के अन्तर्गत इस बात का प्राविधान किया गया था कि हर उम्मीदवार अपना एक एजेंट रख सकता है और वह एजेंट जो चुनाव फल वहां लिखा जाय उस चुनाव फल पर अपने दस्तख्त करे....

एक सदस्य—लेकिन कराये नहीं गये।

श्री कैलाशप्रकाश—हो सकता है कहीं न कराये गये हों। किन्तु यदि अनुचित न समझा जाय तो यह निवेदन कर दूं कि प्रजातंत्र में और चुनाव में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। एजेंट का सिस्टम, वह वहां रहे, पहचानने वाले लोग वहां रहें, यह सब इस बात को मान कर किया जाता है कि कुछ बेईमानी हो सकती है। और यह भी कुछ अनुभव की बात है कि जहां एजेन्ट या उम्मीदवार अच्छी तरह की जानकारी रखता है चीजों की, वहां वह बहुत सी चीजों को मनवा सकता है और जो नियमों का उल्लंघन करना चाहते हैं उनको भी उससे कुछ दबना पड़ता है। नियमों की पूरी जानकारी यद्यपि इस बात का प्रयास किया गया कि सब लोगों को हो जाय....

श्री मोतीलाल अवस्थी—कैसे? सिवाय गजट में छापने के आपने क्या किया?

श्री कैलाशप्रकाश—गजट आप पढ़ते हैं। अगर आप उस काम को करते होते तो वहां आप उन्हें बतला सकते थे। वह कोई बुराई की बात नहीं थी। सब के सहयोग से ही वह काम हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पर किसी काम को करने के लिये सब के सहयोग की

आवश्यकता है। खैर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता और न मेरा किसी पर दोषारोपण करने का मंशा है, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिये, जिन पंचायतों के साथ हम हमदर्दी रखते हैं, जिन्हें हम सफल बनाना चाहते हैं, केवल विधान सभा में विचार रखने मात्र से वह काम हो सकेगा, मुझे माफ करें कहने के लिये, इसमें संदेह है। प्रजातंत्र के लिये बहुत शिक्षा देने की आवश्यकता होती है और हम लोगों को अपने-अपने स्तर पर इसके लिये प्रयास भी करना चाहिये। गजट में प्रकाशित करने के बावजूद तथा अन्य प्रयत्न करने के बावजूद भी इस बात की आवश्यकता है कि हम उन बातों की जानकारी उनको करायें।

श्रीमन्, और इससे अधिक इस समय कुछ न कह कर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह की अनियमिततायें हुई हैं उनकी जांच कराने का प्रयत्न किया जा रहा है और माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अगर इस संबंध में उनकी कोई व्यक्तिगत जानकारी हो तो वे उसे मुझे बतायें और मैं उसकी जांच कराने का प्रयत्न करूंगा....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—इस चुनाव के दौरान में चनाव में कितने आदमी मरे और कितने कत्ल हुये, कुछ इसकी जानकारी अगर माननीय मंत्री जी को हो तो वह भी बताने की कृपा करें ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं और मैंने मंगाये भी नहीं हैं।

तो श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को महज सुधार के लिये जारी किया गया और आशा करता हूं कि अब माननीय अवस्थी जी अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश के राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है।

श्रीमन्, मेरे सामने जो यह अध्यादेश है उसके संबंध में आपके द्वारा मैं यह निवेदन कर दूं कि यह अध्यादेश ऐसा है जिसने सचमुच मंत्रिमंडल के लिये एक ढ़ोल पीटने का काम किया है। बल्कि मैं तो यह कहूं कि ज्यों ही हमारे मुख्य मंत्री ने अपना स्थान ग्रहण किया उसके ठीक थोड़े ही दिनों बाद सरकार द्वारा यह ढ़ोल पीटा गया और बड़े जोर से पीटा कि यह सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का कार्य कर रही है। ये वही लोग थे जिन्होंने पिछले मंत्रिमंडल पर यह लिखित आरोप लगाया था कि मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार कार्य में शिथिलता है और इसी प्रकार के छ आरोप लगाये थे और कहा था कि उनके खर्चे में बेइंतिहा फिजूल खर्ची है। उसके बाद दूसरे मंत्रिमंडल ने एक नयी कार्य-प्रणाली अपनाने की बात कही और कहा कि सबसे पहला काम यह करेंगे कि बचत दिखलायेंगे, अपनी तनख्वाह में ही कटौती करेंगे। उसके फलस्वरूप एक अध्यादेश आया

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

और इसका प्रकाशन काफी किया गया और जगह-जगह पर सभाओं में इसकी बात कही गई, यद्यपि इसके पहले वाले का प्रचार कम हुआ और जनता में लाभ कम उठाया जा सका ।

जहां तक उद्देश्य और कारणों का संबंध है, कहा गया है कि प्रशासन के समस्त क्षेत्रों में मितव्ययिता लाने और उसके लिये आवश्यक वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के वेतनों और भत्तों में कमी करने और अवैतनिक सभा सचिव रखने का निश्चय किया । उसने यह भी निश्यच किया कि पूर्वोक्त निर्णय ७ दिसम्बर, १९६० से, जबकि उसने कार्य भार संभाला, प्रभावी हो । आप देखें कि ७ तारीख से ही यह शुभ कार्य शुरू हुआ ।

मैं आपकी आज्ञा से यह बता दूं कि यह जो मितव्ययिता की गई है और इस आर्डिनेन्स के द्वारा चालू कर दी गई, वह सचमुच मितव्ययिता न हो कर एक भ्रम का जाल है, या अधिक खर्चा है ।

श्रीमन्, मेरे सामने आपकी आज्ञा से कल एक अनुपूरक अनुदान रखा गया जिसमें प्रशासन के व्यय के मंत्रिगण की उप-मद में यह कहा गया है कि, "अब तक मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के लिये बड़ी कारों की व्यवस्था की जाती थी । बड़ी कारों को चलाने तथा उनके अनुरक्षण पर छोटी तथा मध्यम आकार की कारों से बहुत अधिक व्यय होता है । इसके अलावा कुछ वर्तमान कारों के प्रतिस्थापन का समय भी आ गया था, परन्तु नई बड़ी कारों पर व्यय अधिक बैठता है । मितव्ययिता करने के लिये सरकार ने निश्चय किया है कि मंत्री और राज्य मंत्री छोटी और मध्यम आकार की कारों का ही प्रयोग करेंगे" और तदनुसार १,१०,००० रुपये की लागत से ९ छोटी कारें क्रय करने का निश्चय किया गया है । तो इस प्रकार से १,१०,००० के करीब मितव्ययिता बताई जाती है इस कारण से । यद्यपि यह भी बता दिया गया है कि सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस समय जो बड़े साइज की १० कारें हैं उन्हें सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जाय, इससे लगभग १,२५,००० रुपया प्राप्त होने की आशा है । तत्व यह निकला कि सरकार १५,००० रुपये की बचत दिखलाना चाहती है । यह जो अध्यादेश का मंशा १५ हजार की बचत में परिणत हुआ इसके लिए अगर मैं एक लाइन और पढ़ दूं तो स्पष्ट हो जायगा, कि अन्त में यह लिखा हुआ है कि, "चालू वर्ष के आयव्ययक में दो बड़ी कारें क्रय करने के लिये केवल ४४,००० रुपये की व्यवस्था उपलब्ध है ।" यानी दो बड़ी कारें खरीदने की बात पहले से ही तय थी और कहते हैं कि "चूंकि व्यय अत्यावश्यक और अप्रत्याशित प्रकार का था, इसलिये राज्य आकस्मिकता निधि से केवल ६६,००० रुपये की धनराशि अग्रिम प्राप्त करके आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है ।" और आखिर में कहा गया कि "तदनुसार केवल २५,००० रुपये की अनुपूरक मांग प्रस्तुत की जाती है और यह मांग स्वीकृत हो जाने पर राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम ली गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति उक्त निधि में कर दी जायगी ।"यानी १५ हजार की बचत दिखाई गई और वह २५ हजार के अधिक खर्चे में परिणत हो गई । तो ऐसा अध्यादेश जो कि मितव्ययिता का ढिंढ़ोरा पीट रहा है और जिसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि मितव्ययिता लाने के लिये हमने यह कदम उठाया है ....

श्री उपाध्यक्ष—तो इस निरनुमोदन के जरिये क्या आप चाहते हैं कि मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ जाय ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—हम चाहते हैं कि इस तरह से गलतफहमी न पैदा की जाय । हम लोगों के भी कुछ अक्ल है, हम लोग यहां पर धान बेच कर नहीं आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने प्रस्ताव के पक्ष में कुछ स्पष्टीकरण तो दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वेतन कटौती की जो बात कही गई है कि १,२०० रुपया मासिक के शब्द हटाकर एक हजार रुपया रखा जाय और अगर आप

आज्ञा दे दें तो मैं कह दूं कि कराची में जो ५०० रुपये का प्रस्ताव पास हुआ था वह बहुत ही शुद्ध वातावरण में पास किया गया था उसका अगर पालन किया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। श्रीमन्, उस समय वहां पर हम लोगों ने यह प्रस्ताव ५०० रुपया का पास किया था, उसमें मैं भी एक सदस्य था, लेकिन आज जब मालिकाना अधिकार इनको मिला तो यह कहते हैं कि १,२०० के १,००० ही करेंगे। मेरा निवेदन यह है कि अगर आप प्रस्ताव करने ही बैठते हैं तो मितव्ययिता का ढिंढोरा न पीटें बल्कि उस ५०० रुपये वाले कराची के प्रस्ताव को ही अमल में लावें। इसमें आपको क्या दिक्कत है ? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी के घर का काम इस पद को सम्हालने के पहले नहीं चलता था और अब उनपर कौन सी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि १,००० रुपये से कम में घर ही नहीं चलेगा ? या हमारे वर्तमान मंत्री जी पुनर्स्थापित हुये हैं उनके घर का काम ४ साल कैसे चला और अब एक साल में क्या हो जायगा ? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके काम में कुछ असलियत भी होनी चाहिये।

इसमें यह भी लिखा है डिप्टी मिनिस्टरों के लिये ७०० के बजाय ६०० कर देंगे। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इसमें कुछ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी लागू होता होगा। मुझे पता नहीं कि कि यह पुण्य का बटवारा है इसमें आपका कितना हिस्सा लगाया गया है, लेकिन मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को लाकर सरकार ने अपनी बड़ी छीछालेदर कराई है। सभी लोग समझते हैं कि वही दुकानदार अपने सौदे को चिल्ला-चिल्ला कर बेंचता है जिसके सौदे में नकलीपन होता है या सड़ान होती है। आज जो बार-बार कहा गया कि ७०० के ६००, १,२०० के १,००० और इनकम टैक्स निकाल कर लेंगे और बंगलों में भी जो थोड़ी सी आमदनी हो जाती थी वह भी कम करा लेंगे और साज-सज्जा के संबंध में जो रुपया पाते थे वह नहीं लेंगे, इस प्रकार के जो बहुत लक्षण दिखाये गये हैं वह हमें याद दिलाते हैं कि सरकार ने जो अम्बर पहन रखा था उसको खोल करके वह अपना नग्नमय रूप दिखाना चाहती है। यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस अध्यादेश को लाकर सरकार ने सारे प्रश्न को क्यों उखाड़ दिया। आज मंत्रियों के ऊंचे-ऊंचे वेतन, अस्वाभाविक तरीके के निवास जिसके कि वे आदी हो गये हैं, एक ग्रामीण किसान समझ नहीं पाता कि इन बड़े-बड़े प्रभुओं के पास कैसे हाथ जोड़ कर आया करें। कहां गांधी जी के वह शब्द थे कि किसान गवर्नर बने, मंत्री बने और कुटियों में रहें, उन शब्दों को इस सरकार ने खन्दक में गाड़ दिया है। गांधी जी का फोटो भी हमारे सामने है, उनके शब्द भी हमारे पास लिखे हुये हैं, लेकिन उनको भुला दिया गया। वे जिस बात को पकड़ते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। पता नहीं कि इस वेतन के मामले में इतने अदृढ़ क्यों हैं, क्या मन्त्रियों के वेतन के बारे में सरकार यह नहीं कर सकती थी कि इस सदन से पास करा लेती ? यह जरूरत इसलिये मालूम पड़ी, ऐसा लगता है कि पहले से ही इसका ढिंढोरा पीट कर शाबाशी का हाथ अपने ऊपर ले लिया जाय। मैं एक किसान को समझा रहा था कि अब मन्त्री लोग छोटी मोटर में चलेंगे, बड़ी में नहीं, तो उसने कहा कि क्या मोटर में चलना जरूरी है ?

एक सदस्य—क्या बैलगाड़ी हो ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—एक साहब कहते हैं कि बैलगाड़ी हो। विनोबा भावे ने बैलगाड़ी इस्तेमाल की गांधी जी ने उड़ीसा में डन्डी में पद-यात्रा की थी और उससे देश का उद्धार किया था।

खैर, मैं इस अनावश्यक बहस में नहीं जाना चाहता हूं। इस अध्यादेश को बनाकर सरकार ने अपने आडम्बर को उघाड़ा और उस नंगेपन को दिखाया जिसमें वह रह रही है। इसमें, श्रीमन्, कई धारायें हैं जिनके बारे में मैं अलग-अलग तो नहीं कह सकता हूं और आपकी अनुमति भी प्राप्त नहीं होगी, यद्यपि मैं जानता हूं कि इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने-अपने विचार रखेंगे, लेकिन यह सरकार चाहती तो अपनी तनख्वाहों में स्वेच्छा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

से कटौती कर देती जो कटने लग जाती। अध्यादेश लाकर, गजट में छापकर, ढोल पीटने की क्या आवश्यकता थी? आपने भी, श्रीमन, अपनी स्वेच्छा से अपने वेतन में २०० या २५० रुपये मास की कटौती की थी और सदन में एलान भी किया था और मुझे विश्वास है कि आप अब भी अपनी जगह पर दृढ़ होंगे। आपने एक परिपाटी चलाई कि उपाध्यक्ष ५०० रुपये में ही काम चला ले कौन सी शान-शौकत आपकी मन्त्रियों से कम हो गई? एक उपाध्यक्ष अगर....

श्री उपाध्यक्ष--आप इस विषय पर ज्यादा न कहें। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को वाद-विवाद में न लावें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं आपके आदर्श को उनके सामने रख रहा था। नहीं रखूंगा, अगर आपकी अनुमति नहीं है तो।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ले लेती और अपने सत्कार्य को सुन्दर ढंग से करती। दान वह जो कहा न जाय और जिसका ढिंढोरा पीटा जाय वह दान नहीं रहता है, लेकिन यह तो एक मितव्ययिता है। मितव्ययिता केवल १०० रुपये कम लेने से नहीं होती है। वह तभी होगी जबकि विभागों में जो लाखों और करोड़ों रुपये बह रहे हैं उनको बचाया जाय।

मैंने सुना है कि अब हमारे मन्त्री लोग छोटे-छोटे बंगलों में रहेंगे। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व के मन्त्री बेचारे बड़े कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि किसी समय तो वे बड़े आराम से रहते थे। अब वह आराम एक दम से उनके हाथ से छूट गया। जो परिवर्तन सरकार ने किया है, इस अध्यादेश से, वह सचमुच ऐसा है जिसे वह अहंकार से कह सकती है कि उसने यह किया। लेकिन ज्यों ही आपने अहंकार किया त्यों ही लोगों ने उसको टटोलना शुरू कर दिया कि आपका अहंकार कितना सच्चा और कितना झूठा है। तौलने और परखने से मालूम पड़ा कि ढोल में कितना पोल है। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल यह कहूंगा कि इससे ज्यादा मक्कारी का और कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मुझे इस "मक्कारी" लफ्ज पर आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष--यह लफ्ज किसी व्यक्ति के लिये नहीं कहा गया, सरकार के लिये कहा गया है अतः आपत्तिजनक नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, मैं तो नया हूं। जो बनावटीपन होता है उसी को मक्कारी कहते हैं। मैंने उसको किसी बुरे अर्थ में नहीं लिया। उसके बारे में मेरी कोई बुरी भावना नहीं है, लेकिन बनावटीपन अच्छा नहीं होता और हमेशा लोगों को उलझा देता है।

(इस समय ४ बजकर ११ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इस अध्यादेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। मन्त्री जी ने आदर्श उपस्थित किया था तो १,२०० से बजाय १,००० करने के ५०० करते। इसमें कोई पैसा बचने वाला नहीं है। बंगलों के बजाय ऐसे मकान लें जैसे मकानों में साधारण आदमी रहते हैं और अपना भत्ता भी कम करें। ठीक इसी प्रकार से सभी आदर्श मितव्ययिता के दिखायें। अपने यहां के निजी कर्मचारी, उपमन्त्री आदि का भी अधिक वेतन न लें। इसमें यह रखा गया है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अवैतनिक रखे जायेंगे। यह बात उन्होंने आदर्शवादिता की रखी। पता नहीं यह आदर्शवादिता चार साल बाद क्यों सोची क्योंकि पिछली ही सरकार की पुछल्ला यह नई सरकार है। मैं इन दोनों में अन्तर नहीं मानता, लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की तनख्वाह न रखने का कार्य आपने अच्छा कार्य किया है। एक काम आप और

करें। पहले आपका दल २९ आदमियों का था। अब २२ हो गये हैं। इस प्रदेश के लिये इतने बड़े दल बादल मन्त्रिमन्डल की आवश्यकता नहीं है। चन्द योग्य मन्त्रियों के द्वारा ही प्रदेश का काम अच्छी प्रकार से चलाया जा सकता है। आशा है कि अब इस दलबादल को आप बढ़ाने का प्रयत्न न करेंगे और खर्चे का बोझा प्रदेश पर और न बढ़ायेंगे। मितव्ययिता के प्रस्तावों में यह कहा गया है कि हम तनख्वाहों से रुपया बचायेंगे, लेकिन जो अनुपूरक बजट आपने रखा है उसमें तो कहीं मितव्ययिता दिखाई नहीं देती है। उसमें तो २५ हजार रुपया और अधिक खर्चा हो रहा है। उसमें तो कुछ घटेगा नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--यह आप रिपीटीशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--जो तनख्वाहें कम की गई हैं क्या उनका आपने हिसाब लगाकर देखा है कि तनख्वाहों के कम करने से २५ हजार ज्यादा खर्च हो रहा है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां, जो सप्लीमेंटरी बजट है उसमें यही दिखाया गया है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन यह तो अभी आपके सामने नहीं है। जो आपके सामने नहीं है उसका हवाला देना इर्रेलेवेंट है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--एक हमारे हाथ में है और एक हमारे कान में।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके बैठें। असंगत बातें बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह अध्यादेश अनुपयुक्त है, इससे मितव्ययिता नहीं होगी, बल्कि खर्चा बढ़ेगा अतः उसकी जरूरत नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय अवस्थी जी की बातें सुनीं। जिस कटुता के साथ और जिस भाषा के साथ उन्होंने अपनी तकरीर की है मैं अपनी तकरीर में न वह भाषा और न वह कटुता ला सकता हूं और न मैं कटुता लाना ही चाहता हूं। यहां लड़के नहीं है बल्कि अपने-अपने जिले के नेतागण यहां हैं, लड़कों को पढ़ाना दूसरी बात है और बुड्ढों को पढ़ाना दूसरी बात है।

मैं अपने मित्र की अक्ल को क्या कहूं, वह कहते हैं कि इस आर्डिनेन्स से इखराजात बढ़ेंगे, उनका हिसाब मेरी समझ में आया नहीं, अगर वह ऐसे ही लड़कों को हिसाब पढ़ाते होंगे तो उनका भविष्य भी मेट रहे हैं। जहां तक अपने मित्र की तकरीर का मतलब मैंने समझा है, उनकी शिकायत आर्डिनेन्स से नहीं है, उनकी बात मेरी समझ में तो नहीं आती, लेकिन वह कहते हैं कि इस आर्डिनेन्स का अननुमोदन कर दिया जाय यानी उसका मतलब यह हुआ कि जितना वेतन है वही बदस्तूर कायम रखा जाय, कोई किफायत न की जाय। इसका नतीजा यह होगा कि अगर अध्यादेश खत्म होता है और बिल नहीं आता है तो वही पहले वेतन बदस्तूर कायम रहेंगे। उनका कहना यह है कि यह एकानामी न की जाय। अगर उनके कहने का मतलब यह है कि इसमें किफायत नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ९ गाड़ियां खरीदी गईं। आपने अखबार में देखा होगा कि वह कम दाम पर आई हैं, १५,००० की हैं, इनमें बचत है, इनमें ४० गैलन और ५० गैलन का खर्च है। ऐम्बेसेडर में ५० गैलन और फीयट में ४० गैलन मासिक पेट्रोल दिया जायगा और अगर ज्यादा खर्च होगा तो हम लोग अपने पास से खर्च करेंगे। पुरानी बड़ी गाड़ियों में ७५ गैलन खर्च होता था। तो यह किफायत हुई या नहीं ? अगर अब भी वह कहें कि नहीं हुई तो मैं उनको समझाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि समझने के लिये अक्ल की जरूरत है, अक्ल मैं दे नहीं

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

सकता, हमारे पास थोड़ी है और अगर उनको दे दें तो खुद अनाड़ी बन जांय इसलिये मैं देना नहीं चाहता ।

उनकी यह भी शिकायत है कि गजट में यह क्यों शाया किया, बड़ी पब्लिसिटी की गई । आप कहते हैं कि आर्डिनेन्स न निकाला जाता और खुद ही मिनिस्टर कम वेतन लेने लगते, लेकिन मुश्किल है वह भी अखबारों में छप जाता और अखबारों से यह चीज छूट नहीं सकती थी । फिर भी वह कहते हैं कि ढिंढोरा पीटा गया और मक्कारी शब्द इस्तेमाल किया गया, मैंतो यह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता । वही मक्कारी वाला लेक्चर दे सकते हैं, मैं तो सीधी बात कहना जानता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं, मैंने अपने भाषण में यह नहीं कहा था, मैं ने तो ....

श्री अध्यक्ष--वह बैठ नहीं रहे हैं, इसलिये आप को इजाजत नहीं दे सकता । आप बैठ जायं आखिर में आप कह सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने कोई बात अपने मित्र को नहीं कही, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था उस का जिक्र मैंने करना चाहा था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न सुन लिया जाय, क्या आप वैधानिक आपत्ति भी न सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आप कृपया बैठ जायं, मैंने सुना था आपने पहले पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिये कहा था और जब वह नहीं बैठे तो मैं और क्या करता ? अब आप वैधानिक प्रश्न की बात कर रहे हैं । आप बैठ जायं और अगर नहीं बैठते हैं तो आप सदन त्याग कर दें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह तो मैं कर ही दूंगा, मैं इस सदन में नहीं बैठूंगा, आप के आने से पहले एक बार श्री उपाध्यक्ष ने फैसला दे दिया था कि 'मक्कारी' शब्द सरकार के लिये कहा गया था ।

(जब श्री मोतीलाल अवस्थी जाने लगे)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--श्रीमन्, आप क्रोध न करें, वह अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते थे । उस के लिये आप इजाजत उनको दे दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अवस्थी जो की शिकायत है कि पब्लिसिटी क्यों की गई, मैं श्रीमन् से ....

श्री अध्यक्ष--पहले उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की बात कही थी, उस पर जब मंत्री जी नहीं बैठे तो मैंने उनको बैठने को कहा और उसी वक्त कह दिया था कि अगर वह आखिर में चाहें तो वैयक्तिक स्पष्टीकरण दे सकते हैं । अब अगर वह बैठें तो बाद में दे सकते हैं ।

(श्री मोतीलाल अवस्थी पुनः बैठ गये।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, इसके बाद तो मौका देंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं मौका दूंगा, मैंने कहा पर्सनल एक्सप्लेनेशन आखीर में दे सकते हैं ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--यह तो आज बड़ी नई चीज सदन में पैदा हुई है। मेरे लिये निकाल दिया जाता है, उसके लिये बैठाल दिया जाता है, श्रीमन्।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय अध्यक्ष महोदय, उधर से शोर होने के कारण मैं अपनी बातों को भूल गया, लेकिन फिर भी मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश से मितव्ययिता हुई।

एक सदस्य--नहीं हुई।

श्री हुकुमसिंह विसेन--लेट अस एग्री टु डिफर। आप यही कहते रहें और मैं यही कहता रहूंगा और आम जनता भी महसूस करेगी कि कौन सी बात सही है। दुनिया भी काफी समझ रखती है। वह समझती है कि कौन-सा प्रस्ताव जायज है और कौन-सा जायज नहीं है। अगर हम अच्छा भी करें तब भी आप उसको मानने के लिये तैयार नहीं है, बुरा तो आप मानेंगे ही नहीं। हम अपनी तनख्वाह कम कर दें और अच्छाई करें तो कहें कि नहीं, ५००रु० कर दीजिये जो कराची में तय हुआ था। उस वक्त के हालात आज भी हैं? जब वह तय हुआ था तब कितने सेर का गेहूं बिकता था? एक लड़के को जब पढ़ायें तो उनको भी बता दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरी बात सुन लें, श्रीमन्, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप बैठिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो ५०० रुपये की बात थी वह मुख्तलिफ हालात की थी। अब हालात मुख्तलिफ हैं। फिर यह भी बात कही गई कि मिनिस्टर महलों में रहकर मजा उड़ाते हैं। श्रीमान् की आज्ञा हो तो मैं जवाब दे दूं....

एक सदस्य--जरूर दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जवाब यह है कि मेहरबानी करके आप चलिये हमारे घर बहराइच में और देखिये कि इससे बेहतर है या नहीं। आप समझते हैं कि सब लफंगे हैं? आप देखिये कि वह मकान इससे अच्छा है या नहीं। मैं तो यह कहूंगा कि "वन सीज दि रिपलैक्शन आफ हिज ओन हार्ट"....

श्री रामस्वरूप वर्मा--सब लफंगे हैं, मैं कहता हूं....

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९३४ में मैंने मकान बनवाया था और १९४६ में मिनिस्टर हुआ....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं पर्सनल बातों का जवाब नहीं दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। यह मैं जानना चाहता हूं आपसे, आप इसकी व्यवस्था करें कि लफंगा शब्द जो इस्तेमाल किया है माननीय मंत्री जी ने यह पार्लियामेंटरी नहीं है, इसको वापस लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--वह शब्द पार्लियामेंटरी नहीं है, लेकिन आपके लिये उसे नहीं कहा गया है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने किसी के लिये नहीं कहा है....

श्री अध्यक्ष--मैंने कहा कि यह किसी दूसरे के लिये नहीं कहा इसलिये वापस लेने का सवाल नहीं है, लेकिन इस शब्द को इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैंने अपने लिये किया था, मैं वापस लेता हूं। मैंने किसी के लिये नहीं कहा था। अब सवाल यह है कि सरकार ने इसे मुनासिब समझकर इस पर एक कदम उठाया। उसका असर दुनिया पर जो कुछ पड़ा वह दूसरी बात है, लेकिन नेकनियती से सरकार ने यही तय किया कि हम किफायत करें। हम लोगों से सहायता मांगते हैं और टैक्स लगाते हैं तो अपने आप भी कुछ त्याग करने को तैयार हों, थोड़ा या बहुत। उसका अच्छा असर हुआ है इसी वजह से हमारे दोस्त परेशान हैं। हमने नेकनियती से किया है और हम चाहते हैं कि जो करें वह कानून के दायरे में लेकर करें। हम खुद भी कर सकते थे, लेकिन अपने आप को हम कनून के दायरे में लाकर पाबन्द करना चाहते थे।

हमने इस अध्यादेश के जरिये से किसी की जायदाद नहीं छीनी, किसी पर टैक्स नहीं लगाया बल्कि जो कबिनेट के मेम्बर ह और जो माननीय स्पीकर हैं, चयरमन इन सबकी तनख्वाह में कमी की। तो इसको कानूनी जब्त में लाने के लिये अध्यादेश जारी करना जरूरी हो गया। अगर असेम्बली सेशन में होती तो बिल लात, लकिन चूंकि एसा नहीं था, असेम्बली प्रोरोग हो चुकी थी इसलिये अध्यादेश जारी करना पड़ा। ७ दिसम्बर से यह लागू हो गया और उसी तारीख से हमको तनख्वाह उसी हिसाब से मिलती है। तो इसमें हमने पाप क्या किया है?

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--खुद छोड़ सकते थे।

श्री हुकुमसिंह विसेन--खुद हम छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हमने अपने को कानून के शिकंजे में बांध दिया तो क्या बेजा किया?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--प्रोपोगेंडा कैसे होता।

श्री हुकुमसिंह विसेन--अखबारों में तो वैसे भी छपता और जनता को मालूम ही होता क्योंकि हिन्दी के अखबार और अंग्रेजी के अखबार ज्यादा गांवों में जाते हैं, गजट तो अफसरान के पास, माननीय सदस्यों के पास और कचहरियों में ही जाता है। गालिबन आप पर इसका अच्छा असर ही पड़ा होगा। अध्यादेश इसलिये जारी किया गया क्योंकि जरूरी था। अगर आप इसको डिसएप्रूव करते हैं तो हमारी तनख्वाह फिर १,२०० रु० माहवार हो जायेगी जितनी कमी हुई है वह सब खत्म हो जायेगी। तो अगर आप गरीबों का पैसा हमारी जेब में देना चाहें तो इस अध्यादेश को खत्म कर दीजिये। हम लेना नहीं चाहत। आप देना चाहते हैं। लिहाजा ऐसी दानिशमन्दी से काम न लीजिये। अगर आप नहीं मानते हैं तो गरीब जनता का नुक्सान होगा और आप गरीब जनता के हरगिज हमदर्द नहीं हैं। जहां जनता का फायदा होता है उसकी भी मुखालिफत करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस निरनुमोदन के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह तो मैं कह नहीं सकता कि वापस ले लें क्योंकि वापस वह लेंगे नहीं इसलिये हम अपनी जवान गिराना नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष--माननीय मोतीलाल जी, आपको क्या पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना है?

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान्, मुझे यह कहना है कि जिस "मक्कारी" शब्द पर माननीय मंत्री जी इतना उलझे और गुस्सा भी हुए हैं, यद्यपि क्रोध प्रदर्शित करना उनके लिये शोभनीय नहीं है, लेकिन उप-नेता सदन होने के नाते गम्भीर होना चाहिए था ....

श्री अध्यक्ष--यह शब्द क्या आपने नहीं कहा था?

श्री मोतीलाल अवस्थी---जी मैंने कहा था और मेरे कहने पर उप-नेता ने आपत्ति की कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी है और श्री उपाध्यक्ष ने रूलिंग दी कि यह शब्द अनपार्लियामेंटरी नहीं है । उसी शब्द को फिर अपने मुंह से दोहराया कि आपने मक्कारी शब्द कहा। तो मैं यह वैधानिक प्रश्न उठा रहा था कि जब इस पर निर्णय हो चुका है और जब तक वह निर्णय आप बदल न दें तब तक वह अपनी जगह पर कायम था ...

श्री अध्यक्ष---यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं यह कह रहा हूं कि २,३ बार माननीय उप-नेता सदन ने यह कहा कि यहां लड़के हम नहीं है । आप अध्यापक हैं हमको सिखायेंगे नहीं । मैं मानता हूं कि मैं अध्यापक हूं, रहा हूं, लेकिन उन ८२ हजार मतदाताओं को क्या कहूं जिन्होंने हम सरीखे अध्यापक को यहां भेजा कि उप-नेता सदन को सिखा आऊं। मेरे सिखाने पर भी वह न सीखेंगे। यह मेरा दुर्भाग्य रहेगा।

श्री अध्यक्ष---आप बहस कर रहे हैं। यह कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन की बात यों नहीं थी कि अगर 'मक्कारी' शब्द उन्होंने कहा था और आपने न कहा होता तब तो पर्सनल ऐक्सप्लनेशन की बात होती। और अगर वह आउट आफ आर्डर दे दिया गया होता तो वह खत्म हो गया होता उसके जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब वह उपाध्यक्ष जी द्वारा पार्लियामेंटरी करार दे दिया गया तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसमें कोई पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जिस व्यंग रूप से वह कहते हैं वह बुरा लगता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० के निरनुमोदनार्थ संकल्प

श्री अध्यक्ष---माननीय गोविन्दसिंह जी, अब आप भाषण दें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० का निरनुमोदन करता है ।

श्रीमन्, किसी भी अध्यादेश को लाने के लिये सबसे पहली जरूरत इस बात की होती है कि इसकी क्या अरजेंसी थी, जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने भी कहा था। जहां तक इस अध्यादेश को देखते हैं हमें यह लगता है कि मौजूदा सरकार इस को लायी है। इसमें यह कहा गया है कि जो अंतरिम जिला परिषदें हैं, उनके सदस्य जिला मैजिस्ट्रेट को छोड़ कर बाकी सारे वर्तमान सदस्य होंगे। दूसरे अध्यक्ष के चुनाव की बात है। अगर मैं यह कहूं कि केवल प्रोपोगेंडा मात्र के लिये यह अध्यादेश निकाला गया तो अतिश्योक्ति न होगी। हमने अखबारों में भी देखा, मंत्रियों के बयानात भी निकले कि हम प्रजातांत्रिक पद्धति प्रदेश में कायम करने जा रहे हैं और जो लोगों की मांग थी, आज तक जो प्रेसीडेंट हुआ करता था वह इलेक्टेड नहीं होता था, नान-आफिशियल नहीं होता था, आज से यह सरकार इलेक्टेड, नान-

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

आफिशियल को प्रेसीडेंट बना रही है। उनका कहना है कि सरकार का मंशा है कि जनता के वास्तविक चुने हुये प्रतिनिधि प्रेसीडेंट रहें और अधिकारी लोग उनके मातहत रहें, लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि इसके बिलकुल उल्टा है। आप देखें सही बात इस संशोधन से प्रकट होती है खंड (४) के उपखंड २(क) में उन्होंने कहा है "जिला मैजिस्ट्रेट को छोड़ कर, जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य सदस्य होंगे" यानी अगर यह शब्द 'छोड़ कर न इसमें आता तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी एक सदस्य होकर और जो प्रेसीडेंट हमने छांटा है जिसे सरकार नान-आफिशियल कहती है, उस प्रेसीडेंट के मातहत होता। मैं कहता हूं प्रजातंत्र की हत्या करने का सबसे बड़ा प्रयास यहां पर किया गया है। यहां पर bureaucracy को Supreme किया गया है। उस जिलाधीश की सदारत में जनता द्वारा छांटा गया प्रतिनिधि आज तक बैठ सकता था, उस कमेटी में, जिलाधीश ब्यूरोक्रेसी का प्रतिनिधि है, वह हो सकता था, प्रेसीडेंट, और बाकी सदस्य न सिर्फ १ लाख, २ लाख द्वारा चुने हुये, बल्कि स्वर्गीय फीरोज गांधी ऐसी सीट्स भी यहां पर हैं, वगैरह जहां एम० पी० १२, १२, एम० एल० एज० के क्षेत्र से चुने गये एम० पी० हैं जिसमें मेरा खयाल है १२, १४ या १५ लाख वोटर हैं। तो १५ लाख वोटरों द्वारा चुने गये पार्लियामेंट के मेम्बर अब तक परिषद् मेम्बर या उपाध्यक्ष हो सकते थे और वह जिला मैजिस्ट्रेट के मातहत बैठ सकते थे, लेकिन आज उनको यह हक नहीं है कि जिला मैजिस्ट्रेट उनके नीचे बैठ सके। जिलाधीश को यह हक दिया गया है कि वह सदस्य नहीं रहेगा। तो यह तो बात बड़े जोर से कही गयी है कि हम प्रजातंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, निर्वाचित प्रेसीडेण्ट कर रहे हैं, आफिशियल प्रेसीडेण्ट को हटा रहे हैं। यह केवल प्रोपोगेंडा मात्र है सरकार का।

दूसरे इसमें अर्जेंसी का सवाल भी नहीं उठता। इस बिल को लाकर तारीख बढ़ाई जा रही है जिससे जो वर्तमान अन्तरिम जिला परिषद् हैं वे रह सकें। हमसे यह कहा गया था कि ये परिषदें अन्तरिम हैं तथा ये ३० दिसम्बर, ६० के बाद नहीं रहेंगी, लेकिन अब ३० जून, ६१ तक रहेंगी। इस तरह से किसी प्रकार इन जिला अन्तरिम परिषदों को जिन्दा रखा जा रहा है। इसी तरह से मैं जानता हूं कि आम चुनाव, १९६२ तक भी जिला बोर्ड के चुनाव नहीं होंगे। ऐसा पिछला इतिहास बतलाता है। १९४८ में सीमित मतदान के बेसिस पर चुनाव हुए थे। हर एक को बालिग मताधिकार नहीं था। उसके बाद १९५२ में चुनाव हो जाने चाहिये थे दोबारा, लेकिन उनको जानबूझ कर नहीं कराया गया क्योंकि पिछले जिला बोर्डों में कांग्रेस का बहुमत था। जब इस आदरणीय सदन में बार-बार यह बात कही गयी कि आप चुनाव कराइये तो कहा गया कि पुराने चुनाव के तरीके में आमूल चूल परिवर्तन करना है जिसके लिये काम्प्रिहेंसिव बिल हम ला रहे हैं, इसलिये चुनाव नहीं कराये जा सके। १९४८ से १९५२ हो गया और यहां तक कि ५३, ५४, ५५, ५६ और सन् ५८ हुआ। पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो गयी और पहले मंत्रि-मंडल का कार्यकाल समाप्त हुआ। आम चुनाव आ गये। जनता के १९५२ में चुने हुए एडल्ट फ्रेन्चाइज के बेसिस पर प्रतिनिधियों को तो बदल दिया गया, लेकिन एक लिमिटेड फ्रेन्चाइज से चुने हुए लोगों को, जिनको अंग्रेजों ने मत देने का हक दिया था, उनके द्वारा चुने हुए लोगों को इतना अच्छा माना गया कि ४८ से बराबर बरकरार रहे।

इसके बाद हम लोगों की तरफ से बहुत आवाजें उठाई गयीं, जनता ने विरोध किया, मांग की गयी कि चुनाव कराये जायं तो फरवरी, ५८ में संशोधन विधेयक लाया गया इस आदरणीय सदन में और यह कहा गया कि हम चुनाव फौरन कराना चाहते हैं। तत्कालीन जो स्वशासन मंत्री श्री विचित्रनारायण शर्मा थे उनकी मैं शब्दावली पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने कहा "हमारे मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दल के माननीय नेताओं से परामर्श किया और उसके बाद निश्चय हुआ कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स

इलेक्शंस जल्दी से जल्दी करा दिये जायं और उन्हीं से उस समय यह भी तय हुआ चूंकि वर्तमान ऐक्ट के मुताबिक इलेक्शन नहीं हो सकते और चूंकि कई चीजें कांस्टीट्यूशन में ऐसी हैं जैसे रिजर्वेशन आफ सीट्स वगैरह इनको हम नहीं रख सकते हैं, इसलिये इस ऐक्ट में संशोधन कर दिया जाय, उसी के मुताबिक इलेक्शन करा दिया जाय इसी विचार से आज यह बिल मैंने इस सदन के सामने पेश किया है।" आगे चलकर उन्होंने कहा "जैसा कि हमें आश्वासन दिया गया था ५ मिनट में विरोधी दल के सदस्य इसे पास कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र से शीघ्र पास हो जायगा ताकि हम जल्दी इलेक्शन करा सकें। इलेक्शन तो मैं मार्च में ही करा लेता, लेकिन उसके लिये आर्डिनेन्स लाना पड़ता और उससे मुमकिन था कुछ बदमगजी पैदा हो जाती।" इलेक्शन कराने के लिये वे इतने जागरुक थे और आर्डिनेन्स के यह सरकार इतनी खिलाफ थी कि 'बदमगजी पैदा हो जायगी' इसलिये उसने ऐडल्ट फ्रेन्चाइज की बेसिस पर भी उस समय इलेक्शन कराना उचित नहीं समझा, लेकिन आज अपने आदमियों को फिर से बागडोर देने के लिये, चुनाव का ढिंढोरा पीटने के लिये कि वह जनता के प्रतिनिधि हैं, Non-official हैं, आफिशियल नहीं रक्खा है, सरकार आज फिर उसी अस्त्र का जिसको वह कंडम कर चुकी है प्रयोग कर रही है। मैं माननीय मंत्रियों को उपहार देता हूं उन्हीं की बात का जो उन्होंने कुछ दिन पहले इस आदरणीय सदन में कही थी। उसके बाद आगे उन्होंने कहा—

"श्रीमन्, मेरी इच्छा तो यह थी कि यह जो दूसरा बिल हम ला रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी हम डिस्कस करते क्योंकि इसी सत्र में हम उसको स्थायी रुप देना चाहते हैं। ताकि मार्च के पहले-पहले यानी फरवरी में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का एलेक्शन हो सके और अप्रैल में वह कायम हो जाय।"

हमने कहा था कि सन् १९६२ से पहले चुनाव होने के नहीं है। इस पर उन्होंने कहा था—

"किसी ने सन् ६२ की बात कही। हमारी ओर से पूरी कोशिश यह हो रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो रहा है कि जल्दी से जल्दी बिल को लाकर इस सदन के सामने उपस्थित कर दें ताकि उस पर विचार हो कर प्रवर समिति को भेज दें।" श्रीमन्, सन् १९५८ में यह बात कही और प्रवर समिति को भेजने वाला बिल आता कब है, २९-८-६० को। यह उनकी जल्दी है। यह जनता के प्रति जागरुक रहने वाली सरकार की सावधानी है। आगे इसमें और देखिये। माननीय यादव जी जो आज भी इस सरकार में सुशोभित हैं, जिन्होंने अपने १७ पुराने मंत्री साथियों का साथ देना पसन्द नहीं किया वे कहते हैं—

"बजट चलने के कारण हम जल्दी से बिल पास नहीं करा सके।" लेकिन आपकी इजाजत से मैं कहूंगा कि वह बजट कब इसके मार्ग में रुकावट हुआ था? ४ मार्च को वह बिल परिषद् से पास हो गया था, ८ मार्च को गवर्नर की असेंट हो गयी थी। उस पर भी इलेक्शन नहीं हो सका। एक तरफ तो कहते थे कि फरवरी में चुनाव करायेंगे, लेकिन माननीय राज्यपाल की मुहर लग जाने के बाद भी सरकार ने इलेक्शन अब तक नहीं कराया। इससे ज्यादा दुख की बात और क्या हो सकती है?

श्रीमन्, आज का यह अध्यादेश एक camouflage है, सिर्फ जनता को धोखा देने वाला है, केवल प्रचार मात्र के लिये है। अभी एक अध्यादेश चल रहा था, केवल उदाहरण के रुप में कहूंगा। पहले हर मिनिस्टर को १,५०० रुपये तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने १,२०० कर दिये पर वे कोई बिल नहीं लाये····

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, केवल थोड़ा सा रेफरेन्स दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं । आप आगे भी चलते हैं और पीछे भी चलते हैं । वह विषय समाप्त हो चुका , अब उसकी बात न कहिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---अब श्रीमन्, देखें कि विधान किस तरह से बनाया गया है । यानी एडल्ट फ्रेन्चाइज से चुने हुए लोगों ने दो प्रतिनिधि पहले से वहां भेज रखे थे उसके बाद ५ फिर भेजे । यानी इनडाइरेक्ट से भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ । कोई भारत सेवक समाज के नाम से चला गया, वह है कांग्रेस का आदमी, कोई कोआपरेटिव का विशेषज्ञ होकर चला गया वह भी कांग्रेसी । श्रीमन्, विशेषज्ञ बनने की इस सरकार की परिभाषा बड़ी भयंकर है । आप और आदरणीय सदन मुझे माफ करेंगे, थोड़ी सी कड़वी बात कह दूं । अब पालिटीशियन्स भी विशेषज्ञ होने लगे हैं और डाक्टरों की जगह नामांकित होकर ऊपर के आदरणीय सदन में आने लगे हैं । जिस सीट पर पहले बड़े बड़े सर्जन आया करते थे उस पर अब केवल पालिटीशियन्स आने लगे हैं क्योंकि जिनके हाथ में आज ताकत है वे जो चाहें कर सकते हैं और कहा जाता कि गरीबों के नाम पर, प्रजातंत्र के नाम पर ये सारी बातें हैं । यह कितने दिन तक चलेगा ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---ठाकुर साहब को सुना दीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---माननीय उग्रसेन जी कहते हैं कि ठाकुर साहब को सुना दूं । क्या करूं, वे यहां हैं नहीं । मैं उतना उग्र हो नहीं पाता । मैंने नाम भी वैसा नहीं पाया है ।

एक चीज इसमें और आयी है। इस बिल में कई जगह तो कलेक्टर को उड़ा देने की बात कही गयी है और कई जगह कलेक्टर को रखने की, यानी They are blowing hot and cold in the same breath ।

श्री अध्यक्ष---आप उसके व्यौरे में न जाइये ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---व्यौरे में नहीं जा रहा हूं सिर्फ चुटकी भर ले रहा हूं । यह बैलून ऐसा है कि थोड़ी पिन प्रिकिंग (pin pricking) में burst होता है । तो श्रीमन्, नई धारा ६ में यह है कि कलेक्टर को नया अध्यक्ष रिप्लेस कर देगा ....

श्री अध्यक्ष---मैंने आपको रोका था कि आप इस पर न आयें । अध्यादेश नहीं होना चाहिये इस पर ज्यादा बोलें, इस पर न बोलें कि इसके खंडो में क्या है । आप तो जब आपके सामने विधेयक आयेगा उस समय उसको क्रिटिसाइज करें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---श्रीमन्, इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा जा रहा है कि यह प्रजातंत्र के लिये है इसलिये मैं थोड़ा सा प्वाइंट आउट करना चाहता हूं । जहां पर कलेक्टर आता है उसकी जगह अध्यक्ष रख दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष, की जगह उपाध्यक्ष सिदारत कर सकेगा । यह तो इसमें है , लेकिन कौन पावर्स अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को डेलीगेट करेंगे इसके बारे में कलेक्टर डेलीगेट करेगा । इसलिये श्रीमन्, यह खाली कहने की प्रचार की बात है । इतना सब यों ही रखा गया है ।

श्रीमन्, मैं मंत्रिमंडल को चार्ज करता हूं कि यह एक उनकी बड़ी जबर्दस्त चाल है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के इलेक्शन्स न हो सकें और वर्तमान बोर्ड्स जिस तरह से चले जा रहे हैं उसी तरह से चलते रहें । कोई उनमें विशेषज्ञ बन कर चला जाय, कोई सहकारिता के नाम पर चला जाय । इसमें बहुत से लूपहोल्स हैं, कोई महिला प्रतिनिधि होकर चली जायं । न जाने श्रीमन्, इसमें कितने रास्ते खुले हुये हैं । आज मैं बिल देख रहा हूं कि अध्यक्ष का चुनाव हो जायगा । इसमें कोई बात नहीं है । इसमें यह है कि अगर चार बजे तक वोट पड़ते हैं तो उस समय तक नये वोटर जुड़ सकते हैं । इसलिये इसमें इस बात का पता नहीं रहेगा

कि कितने वोटर्स हैं। हमने मान लीजिये लिस्ट देखी कि ४० मेम्बर हैं, लेकिन बाद में ४, ५ वोटर और बढ़ाये जा सकते हैं। यह फलां के विशेषज्ञ हैं, यह चूरन के विशेषज्ञ हैं, यह पान के विशेषज्ञ हैं, यह फूड के विशेषज्ञ हैं और यह पालिटिक्स के विशेषज्ञ हैं, इस तरह से सब लोग भर जायेंगे और जय हो कांग्रेस महारानी की कह कर वे अपना आदमी चुन कर भेज देंगे। यह चीज नहीं चलेगी।

इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को इस अध्यादेश का निरनुमोदन करना चाहिये क्योंकि इससे सभी की प्रतिष्ठा बढ़ती है। ऐसा न करने से इधर और उधर के सभी सदस्यों की तौहीन होती है कि एक्जीक्यूटिव इतनी ज्यादा ताकत ले बिना आपकी राय लिये हुये और अपने मन से जो चाहे वह कर दे। जनता के जो चुने हुये प्रतिनिधि हैं उनको भी ताकत नहीं दी गई है कि वह प्रेसीडेंट हो सकें। वह इसके जरिये सरकार द्वारा नाकाबिल घोषित कर दिये गये हैं, मुबारक हो उनको। इससे तो हम सबकी तौहीन है यह इसी तरह से है जैसे कि कुछ डिसक्वालीफिकेशन्स रखी जाती हैं जैसे कोई दिवालिया हो गया हो, कोई पागल हो गया हो, कोई कलंकित हो गया हो, या कोढ़ी हो तो वह सदस्य नहीं हो सकता। उसी तरह इस विषय में व्यवस्था है यह कोई एम० एल० ए० हो, एम०एल०सी० हो या एम० पी० हो तो वह अयोग्य है और अध्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्यों को इसका अननुमोदन करना चाहिये।

* स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)––अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुना है। उन्होंने जो आशंकाएं प्रकट की हैं उनका मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं क्योंकि उन्हें सदा कोई काम जो इधर से किया जाता है, उसमें कोई चाल ही नजर आती है।

सदन को यह अच्छी तरह से मालूम है कि अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल ३१ दिसम्बर को समाप्त हो रहा था और परिषद् का जो विधेयक इस सदन से पारित हुआ था वह उस सदन में पारित नहीं हो सका था। इसलिये अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक था, क्योंकि एक अभाव तो नहीं छोड़ा जा सका था कि ३१ दिसम्बर, १९६० तक तो जिला परिषद् बन न पाये क्योंकि वह विधेयक पारित नहीं हुआ, अधिनियम बना नहीं और अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल समाप्त हो जाय। इसलिये उसका कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक था। विधान मंडल की बैठक हो नहीं रही थी। इसलिये अध्यादेश जारी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस अध्यादेश में एक तो अन्तरिम जिला परिषद् का कार्यकाल बढ़ाया गया। दूसरी बात जो इस अध्यादेश में रखी गयी थी वह यह कि अन्तरिम जिला परिषद् का जो अध्यक्ष जिलाधीश होता है, उसके स्थान पर चुना हुआ व्यक्ति हो।

श्रीमन्, यह इसलिये किया गया क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस सदन के माननीय सदस्यों और विशेषकर जो उस तरफ बैठे हैं उनकी यह भावना रही है कि जिले में जो परिषद् हो उसका अध्यक्ष जिलाधीश न हो। कार्यकाल बढ़ाने की तो मजबूरी थी। वह बढ़ाई गयी, लेकिन उसके साथ-साथ इस भावना का खयाल रखते हुए यह प्राविधान इसमें कर दिया गया कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष भी चुना हुआ व्यक्ति हो।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)––पूरी परिषद् के चुनाव की भी भावना थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कैलाशप्रकाश---बिलकुल सही बात है कि पूरी परिषद् के चुनाव की भी भावना थी। किन्तु यदि दूसरे सदन की बात कहना यहां ना मुनासिब न हो, तो मैं कहूंगा कि वह भी विधेयकों को पारित करने में साझीदार हैं। अक्तूबर में जब वह विधेयक इस सदन से पारित होकर वहां गया उस समय विधान परिषद् की बैठक हो रही थी। बाढ़ आने के कारण वह स्थगित हुई। उस समय के स्वशासन मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कहा, उनसे बार-बार अनुरोध किया कि इस विधेयक को पारित कर दीजिए जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र चुनाव हो सके और वह यदि विधेयक इस समय पारित नहीं होता है तो जैसा उन्होंने कह रखा था, जिस अवधि के अन्दर कह रखा था, उस अवधि के अन्दर चुनाव होना सम्भव नहीं है। ऐसी बात स्पष्टतया उन्होंने कही और यह कहा कि सदन जिम्मेदार है, मालिक है, किन्तु यह परिस्थिति पैदा होगी। विधान परिषद् की बैठक स्थगित हुई। वह विधेयक पास नहीं हुआ।

(व्यवधान)

जरा सुन लीजिये आहिस्ता से और सुनकर समझने की भी कोशिश कीजिये कि क्या सुधर की भावना है तभी बात ठीक रहेगी। इसलिये वह जो चुनाव की भावना थी वह व्यावहारिक रूप में नहीं आ सकी और यदि वह व्यावहारिक रूप में नहीं आ सकी तो दूसरी भावना का खयाल इसमें रखा गया। उसके चुनाव का इसमें प्रबन्ध किया गया। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जनवरी में नयी पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं और प्रत्येक अन्तरिम जिला परिषद् में प्रधानों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी जाते हैं। हो सकता था कि जैसे ही अध्यादेश जारी हुआ अध्यक्ष का चुनाव करा दिया जाता। किन्तु मुनासिब समझा गया कि जब नये प्रधानों के प्रतिनिधि जिला परिषदों में पहुंच जायं तभी अध्यक्षों का चुनाव हो।

तीसरी बात श्रीमन्, इस अध्यादेश में यह रखी गयी थी कि अपने प्रदेश में तीन नये जिले कायम हुए हैं। उन तीनों नये जिलों में अभी तक उस रूप में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कायम नहीं थे जिस तरीके से और जिलों में थे। उनको उससे पृथक् किया गया है। यह केवल वह बातें हैं जिस सम्बन्ध में इस अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता हुई और जब यह अध्यादेश का कार्यकाल बढ़ाने के लिये जारी करने की जरूरत समझी गई उसी समय इस बात का भी प्राविधान किया सदन की, और माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए। मुझे इसमें अधिक कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। समय ऐसा आ गया था कि जिसमें कार्यकाल बढ़ाने के लिये अध्यादेश जारी करना आवश्यक था और उस आवश्यकता की पूर्त्ति में यह कार्य हुआ है। वैसे तो विधेयक सदन के समक्ष उपस्थित होगा। इसकी जो धारायें हैं उनका औचित्य, अनौचित्य आवश्यकता, अनावश्यकता पर तो तब भी काफी चर्चा हो सकती है। इस समय में सदन का विशेष समय उस सम्बन्ध में नहीं लेना चाहता।

श्री भूवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अध्यादेश के लाने के बारे में काफी प्रकाश डाला और कहा कि यह आवश्यक था कि जिलाधीश को अध्यक्ष के पद से हटाकर के जनता द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् का बनाया जाय। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपनी यह भी मजबूरी जाहिर की कि और कोई तरीका ही नहीं था और सम्भवतः यह बात इसलिये और कही कि विरोधियों द्वारा या उन के पक्ष के सदस्यों द्वारा भी जिलाधीश को हटाने के लिए काफी चर्चा सदन में हुई थी। श्रीमन्, यह सत्य है कि जिलाधीश का अध्यक्ष पद पर होना प्रजातन्त्र के लिये कोई शोभा की चीज नहीं थी और इस मांग का जो स्वागत किया गया है इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, परन्तु यह जिस रूप में और जिस भावना से अध्यक्ष पद से जिलाधीश को समाप्त कर और उसके स्थान पर नये अध्यक्ष की बात, जबकि अन्तरिम जिला परिषद् का चुनाव मन्त्री जी नहीं करा रहे हैं, कुछ हम लोगों के लिये विचार करने को बाध्य करती है। श्रीमन्, ऐसी कोई बात सरकार के लिये नहीं थी कि वह शीघ्र ही जिला परिषद् के बिल को पास कराकर इसके चुनाव दो मास में न करा देती. . . .

श्री अध्यक्ष--अभी आप कुछ मिनट और बोलेंगे ?

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो आप कल जारी रखियेगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१६ फरवरी, १९६१ ।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६१९ पर)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले कुछ क्षेत्रों के व्यय की तालिका

क्षेत्र	प्रस्तावित धनराशि	व्यय		अनुमानित व्यय १९५६–६१	टिप्पणी
		१९५६–६० वास्तविक	१९६०–६१ अनुमानित		
		(करोड़ रुपयों में)			
१—कृषि उत्पादन	४६.२२*	३०.३५*	११.४६*	४१.८१*	*बाग़बानी, गन्ना, जूट तथा कपास भी सम्मिलित है।
२—शिक्षा ..	२०.५६	१३.९६	४.५४	१८.५०	
३—उद्योग ..	१३.१२	९.२७	२.५९	११.८६	
४—पशुपालन	३.२०	१.६६	०.५३	२.१९	
५—समाज कल्याण	०.५०	०.२२	०.०९	०.३१	
६—हरिजनों त्थान ..	६.००	४.२३	१.१९	५.४२	
७—गृह निर्माण	१०.४५	६.८५	१.६२	८.४७	
योग ..	१००.०५	६६.५४	२२.०२	८८.५६	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३३ पर)

दूसरे गुरुवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या २४ से सबन्धित सूची

तहसील निघासन जिला खीरी के उन ग्रामों की सूची जिनमें पिछली वर्षा व बाढ़ से खरीफ १३६८ फसली को क्षति पहुंची है।

क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम

१—चेलवा
२—फकीरेपुरवा
३—करीमपुर
४—कोद्रीरूप
५—ओझापुरवा
६—फैरातीपुरवा
७—मिलिक
८—माझा सुमाली
९—बुलाकी पुरवा
१०—बेलागढ़ी
११—रामलोक
१२—गोपालपुर
१३—ईशापुर
१४—राइपुर
१५—फूलपुर
१६—कमना
१७—गौढ़ी
१८—मिर्जापुर
१९—भुरजेनिया
२०—धरमपुर
२१—फतेहपुर
२२—बती सहदेव
२३—सेखूपुर
२४—साधुवापुर
२५—चन्दौली
२६—गन्नापुर
२७—चपडाहा
२८—पलिया
२९—दुर्गापुर
३०—दबेर
३१—खवांपुर
३२—रोटिहा
३३—लखपेहरा
३४—गैसापुर
३५—नदुरा
३६—खमेरिया
३७—चखारा
३८—कौड़िया
३९—धरमपुर
४०—जालपुर
४१—मिरचिया
४२—रानीनगर
४३—खजूरिया
४४—पैंडिया
४५—वंशी
४६—मझारा पछिम
४७—माननगर
४८—सिंगाही खुर्द
४९—मुरार खेड़ा
५०—भूपनगर
५१—सुमारपुर
५२—दलनगर
५३—समेड़ी
५४—टुल्ली
५५—प्रेमनगर
५६—पारसपुर
५७—बहादुरनगर
५८—मैंसौड़ी
५९—मंगेपुरवा
६०—लगदहान
६१—हरीनगर
६२—विक्रमवन (इब्राहिमपुर विक्रम कालोनी, विशुनपुर सुथिआना कालोनी)
६३—खैरीगढ़
६४—रामनगर वीरन
६५—वधौरिया
६६—चकनथपुर
६७—जंगले नं० ३
६८—वब्री
६९—नारूपुर

क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम

७०—कुनिया
७१—नाटपुरवा
७२—ढकेरवा कलसा
७३—दरारी
७४—माझरा पूरब
७५—दिलराजपुर
७६—खैरातिया
७७—वोकेरिया
७८—नौबाना
७९—सिंगाही कलन
८०—वंगलाहा तकिया
८१—बवियारी
८२—पढ़ुवा
८३—देवीपुरवा
८४—अहरसिंगपुर
८५—फिरोजाबाद
८६—राजापुर
८७—सुरजानपुर
८८—रामनग्रा
८९—मेदनिया
९०—जगदीशपुर
९१—चन्द्रसाकलन
९२—कलुवापुर
९३—मिर्जापुरवा
९४—सिसैयंकिलन
९५—वीरसिंघपुर
९६—चन्द्रसाखुर्द
९७—चहलार
९८—सरैया कलन
९९—लौकाही मल्हापुर
१००—जमदारी
१०१—अचरौरा
१०२—कुमहैना
१०३—नवांगांव
१०४—नारीबेहर
१०५—लखुन
१०६—सुजावलपुर
१०७—सरसिया
१०८—नकहिया
१०९—मढ़िया
११०—कविरा
१११—राइपुर
११२—उदैपुर
११३—लौकाही ईसानगर
११४—वेलतुवा
११५—हसनापुर
११६—मुंडी
११७—डुंडा कलन
११८—जत्रा
११९—मुंडिया
१२०—गौरा
१२१—हुसेनपुर.
१२२—मुरौवा
१२३—गंगानी
१२४—सरौरा खुर्द
१२५—अधलिशपुर
१२६—मुसेयपुर
१२७—चपकोहा
१२८—डुंडकी
१२९—रूद्रपुर
१३०—खर्वा मितमऊ
१३१—मितौला
१३२—वरारी
१३३—शेखपुर
१३४—मुखालिसपुर
१३५—समैसा
१३६—निजामपुर
१३७—सिंगावर
१३८—सरपातहा
१३९—शंकरपुर
१४०—ईशानगर
१४१—गनेशपुर
१४२—लल्लूपुर
१४३—मुरौवाँ
१४४—गंगन
१४५—हसनगर
१४६—धोला
१४७—बाननगर
१४८—खगियापुर
१४९—समारी
१५०—चहमलपुर
१५१—समदा बदल
१५२—डुंडवा कलन
१५३—रैनी
१५४—समरदाहा
१५५—सरगारा

क्षतिग्रस्त ग्रामों के नाम

१५६—गुरगुट्टा खुर्द
१५७—धौरहरा
१५८—राजापुर
१५९—नौवापुर
१६०—मढ़ना
१६१—लौधानी
१६२—जसवना नगर
१६३—ऐरा
१६४—तहारा
१६५—कफारा
१६६—अमेती
१६७—मुंडी
१६८—मुंडा
१६९—भंवापुर
१७०—गंगौलिया
१७१—नौबस्ता
१७२—देवमनिया
१७३—बिझा
१७४—परसा
१७५—घूसा कलन
१७६—घूसा खुर्द
१७७—बचय पारा
१७८—भटपुरवा कलन
१७९—सुरजइहंडा
१८०—घुलरिया
१८१—रामपुर नाघा
१८२—मतेहरा
१८३—जंगले मतेहरा
१८४—रामपुर लखवारी
१८५—खमेरिया
१८६—सुजानपुर
१८७—बंगलाहा कुट्टी
१८८—सौना कलन
१८९—वनबीरपुर
१९०—गंगनगर
१९१—रमनगर
१९२—ललनपुर
१९३—सिसवाड़ी
१९४—रामपुर
१९५—कोलौहड़ी
१९६—दखवानटकर
१९७—गाजीपुर
१९८—पैंरिया
१९९—सरपताहा
२००—सिसैया
२०१—कसावल
२०२—गुलेरिया पाथरसाह
२०३—कदिया
२०४—दीपनगर
२०५—किशुन नगर
२०६—मैंदारी
२०७—कसवापुर खुर्द
२०८—महाराजनगर
२०९—रामनगर
२१०—उमरा
२११—सहन खैरा
२१२—सुथाना वरसौला

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३७ पर)

तालिका

तालिका जिसमें इस वर्ष गन्ना बोर्ड बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक ७ नवम्बर, १९६० को लखनऊ में हुई उसमें गन्ने के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के विवरण दिये गये हैं।

(१) १९६१-६२ सीज़न के लिये गन्ने का न्यूनतम मूल्य १.७५ रु० प्रति मन गेट के लिये तथा १.६२ रु० प्रति मन रेल संटर्स के लिये निर्धारित किया जाय।

(२) गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त लाभ में हिस्सा दिलाने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जो प्राइस लिंकिंग फारमूला बनाया है और जिसे १९५८-५९ सीज़न से कानूनन लागू किया है तथा अभी हाल में टारिफ़ कमीशन के पास जांच के लिये भेजा है, उसके विषय में टारिफ़ कमीशन से सिफारिशें शीघ्र प्राप्त करके जो अन्तिम रूप से फारमूला बने उसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करें।

(३) नेशनल शुगर इंस्टीटयूट कानपुर द्वारा संचालित अच्छे किस्म के गन्ने के आधार (Quality basis) पर गन्ने के मूल्य का भुगतान किये जाने की योजना के विषय में यह राय प्रगट की गई कि गन्ना उत्पादकों को गन्ने की किस्म को सुधारने के लिये प्रोत्साहन के रूप में गन्ने की अधिक कीमत दी जाय।

(४) गन्ने की उपज प्रति एकड़ बढ़ाने तथा उसकी किस्म सुधारने के लिये प्रत्येक संभव प्रयास किये जायं।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६३८ पर)

१ अप्रैल से १५ नवम्बर, १९६० तक उत्तर प्रदेश में स्थायी सिनेमा गृहों की संख्या तथा उनसे प्राप्त मनोरंजन कर के आंकड़े

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्थायी सिनेमा गृहों की संख्या	मनोरंजन कर की राशि (१ अप्रैल, १९६० से १५ नवम्बर, १९६० तक)
			रु० न० पै०
१	देहरादून	१३	३,७४,२४०.९२
२	सहारनपुर	१५	४,३४,३३७.३१
३	मुजफ्फरनगर	७	१,९४,४५७.५८
४	मेरठ	१८	६,९२,०९७.८३
५	बुलन्दशहर	४	८९,२१७.३३
६	अलीगढ़	७	२,६५,९६२.२७
७	मथुरा	५	१,५४,०७८.५४
८	आगरा	१३	६,९५,०६३.०७
९	मैनपुरी	२	४०,६४४.०८
१०	एटा	१	२५,७६१.२७
११	बरेली	७	३,११,४८९.२०
१२	बिजनौर ..	५	८६,८९६.०९
१३	बदायूं	३	३६,४९१.०४
१४	मुरादाबाद	९	३,४१,८५५.६६
१५	शाहजहांपुर	३	८६,८१३.८७
१६	पीलीभीत	२	४७,६८१.२८
१७	रामपुर	३	९६,९०८.६८
१८	फर्रुखाबाद	२	६४,९००.८३
१९	इटावा	२	६२,२०९.१३
२०	कानपुर	१९	११,९५,४४७.६८
२१	फतेहपुर	२	३२,९६८.२३
२२	इलाहाबाद	१०	६,४७,९८३.४९
२३	बांदा	३	४९,५६०.२९
२४	हमीरपुर	१	१४,७८८.१५
२५	झांसी	७	२,१३,१७६.१७
२६	जालौन	१	२६,१६३.३९
२७	वाराणसी	१२	६,८३,४१०.६८
२८	मिर्जापुर	४	१,०९,०५२.३५
२९	जौनपुर ..	२	६८,४१२.१६
३०	गाजीपुर	२	३५,११८.३४
३१	बलिया	१	३१,५१७.९५
३२	गोरखपुर	७	२,९०,०७८.१७

क्रम संख्या	जिले का नाम			स्थायी सिनेमा गृहों की संख्या	मनोरंजन कर की राशि (१ अप्रैल, १९६० से १५ नवम्बर, १९६० तक)
					रु० न पै०
३३	देवरिया	..	..	१	२५,७७८.३७
३४	बस्ती	..	..	२	३६,९११.०९
३५	आजमगढ़	..	..	२	६५,४०४.१४
३६	नैनीताल	..	..	८	१,९९,६०७.३५
३७	अल्मोड़ा	..	..	३	३६,४४५.६२
३८	गढ़वाल	..	..	२	१७,२७५.०१
३९	लखनऊ	..	..	१६	१०,२१,४४९.५८
४०	उन्नाव	..	..	—	.. ..
४१	रायबरेली	..	..	१	२३,९३५.१०
४२	सीतापुर	..	..	२	४३,१४८.८८
४३	हरदोई	..	..	१	२३,१७५.५९
४४	खीरी	..	..	१	२९,४७०.७०
४५	फैजाबाद	..	..	४	७४,८७४.३१
४६	गोंडा	..	..	३	६१,३०३.३४
४७	बहराइच	..	..	२	५६,६१५.६९
४८	सुल्तानपुर	..	..	१	१६,३७८.६४
४९	प्रतापगढ़	..	..	१	१९,८४२.७८
५०	बाराबंकी	..	..	१	२३,१७१.७८
५१	टेहरी गढ़वाल		..	—	—
५२	पिथौरागढ़	..	..	—	—
५३	उत्तर काशी	..	..	—	—
५४	चमोली	..	..	—	—
	योग	..	..	२४३	९२,७३,५११.००

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४१ पर)

फैक्टरी द्वारा निम्नलिखित परिमाण का लीसा क्रय किया गया था :

	परिमाण (मन)	औसत दर प्रति मन	कीमत (रु०)
		रु० न० पै०	
१९५७–५८			
१—रिजर्व फारेस्ट से ..	२,५५,४३७	१२.४३	३१,७३,९०८
२—सिविल और पंचायत फारेस्ट से ..	३७,८८८	१३.८७	५,२५,२९०
१९५८–५९			
१—रिजर्व फारेस्ट से ..	२,७९,१२७	१२.९८	३६,२२,०६०
२—सिविल और पंचायत फारेस्ट से ..	३९,९७२	१३.८३	५,५२,७५२

जहां तक लीसा के आम बाजार भाव का प्रश्न है, इसकी सूचना सरकार को नहीं है।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६५३ पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६०) में १४ सितम्बर, १९६० के लिये निर्धारित सर्वश्री रामचन्द्र विकल तथा अवधेश सिन्हा के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर :

प्रश्न	उत्तर
४---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल को कितनी बार कितने-कितने अवधि का extension प्रदान किया गया है और क्यों ?	कानपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिन्सिपल को कोई extension नहीं दिया गया।

हुकुम सिंह विसेन,
न्याय मंत्री।

प्रदेश सरकार

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५२ एल० ए०---१९६१---८४५ ।